

खण्ड-06 सत्र -04 (भाग-01)
अंक-34

सोमवार 13 जून, 2016
23 ज्येष्ठ, 1938 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की कार्यवाही



सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

चौथा सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-04 (भाग-01) में अंक 32 से अंक 34 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग
EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव
PRASANNA KUMAR SURYADEVARA
Secretary

एम.एस. रावत
उप-सचिव (सम्पादन)
M.S. RAWAT
Deputy Secretary (Editing)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा प्रिन्टो ग्राफ, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

क्रसं.	विषय	पृष्ठ सं.
सत्र-4 भाग (1) सोमवार, 13 जून, 2016/23 ज्येष्ठ, 1938 (शक) अंक-34		
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3-6
3.	प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	7
4.	विधेयक पर विचार एवं पारण1) दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (वर्ष 2016 का विधेयक सं. 3)	8-15
5.	दिल्ली नगर निगम की समिति में संशोधन का प्रस्ताव	16-17
6.	नियम-114(1) के अंतर्गत नव निर्वाचित उपाध्यक्ष को बधाई प्रस्ताव	17-21
7.	अल्पकालिक चर्चा	21-94
	1) डी.डी.सी.ए. में कथित भ्रष्टाचार तथा इस मामले की जाँच के लिए जाँच आयोग की कार्य-प्रणाली पर ;	
	2) श्री एम.एम. खान, एन.डी.एम.सी. अधिकारी की मौत की जाँच में दिल्ली पुलिस की कथित लापरवाही पर ;	
8.	ध्यानाकर्षण की सूचना (नियम - 54) (दिल्ली जल बोर्ड में पानी के टैंकर की खरीद में कथित भ्रष्टाचार पर।)	94-112
9.	याचिका की सूचना (दैनिक समाचार पत्र में पानी की कमी के बारे में प्रकाशित समाचार)	112-116
10.	अल्पकालिक चर्चा: सी.एन.जी. फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जाँच के लिए जाँच आयोग गठित करने हेतु।	166-140

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-4 भाग (1) सोमवार, 13 जून, 2016/23 ज्येष्ठ, 1938 (शक) अंक-34

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. श्री शरद कुमार | 10. श्री राजेश गुप्ता |
| 2. श्री संजीव झा | 11. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी |
| 3. श्री पंकज पुश्कर | 12. श्री सोमदत्त |
| 4. श्री पवन कुमार शर्मा | 13. सुश्री अलका लाम्बा |
| 5. श्री अजेश यादव | 14. श्री विशेष रवि |
| 6. श्री महेन्द्र गोयल | 15. श्री हजारी लाल चौहान |
| 7. श्री सुखवीर सिंह दलाल | 16. श्री शिव चरण गोयल |
| 8. श्री रघुविन्द्र शौकीन | 17. श्री गिरीश सोनी |
| 9. श्रीमती बंदना कुमारी | 18. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) |

19. श्री जरनैल सिंह
(तिलक नगर)
 20. श्री राजेश ऋषि
 21. श्री महेन्द्र यादव
 22. श्री नरेश बाल्यान
 23. श्री गुलाब सिंह
 24. सुश्री भावना गौड़
 25. श्री सुरेन्द्र सिंह
 26. श्री विजेन्द्र गर्ग
 27. श्री प्रवीण कुमार
 28. श्री मदन लाल
 29. श्री सोमनाथ भारती
 30. श्रीमती प्रमिला टोकस
 31. श्री नरेश यादव
 32. श्री करतार सिंह तंवर
 33. श्री प्रकाश
 34. श्री अजय दत्त
 35. श्री दिनेश मोहनिया
 36. श्री सौरभ भारद्वाज
 37. सरदार अवतार सिंह
कालकाजी
 38. श्री सही राम
 39. श्री नारायण दत्त शर्मा
 40. श्री अमानतुल्लाह खान
 41. श्री मनोज कुमार
 42. श्री नितिन त्यागी
 43. श्री एस.के. बग्गा
 44. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
 45. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
 46. श्रीमती सरिता सिंह
 47. मो. इशराक
 48. श्री श्रीदत्त शर्मा
 49. चौ. फतेह सिंह
 50. श्री जगदीश प्रधान
-

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र—4 भाग (1) सोमवार, 13 जून, 2016/23 ज्येष्ठ, 1938 (शक) अंक—34

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय: सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन स्वागत।

...(व्यवधान)

एक सेकेण्ड अभी एक सेकेण्ड सौरभ जी।

ध्यानाकर्षण पर व्यवस्था नियम 54

मुझे नेता प्रतिपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता जी से नियम 54 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण का नोटिस प्राप्त हुआ है। मैं इस संबंध में माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूँ कि मैंने नोटिस को स्वीकार कर लिया है। इस विषय पर सांय 4 बजे विचार विमर्श होगा। धन्यवाद तो कर दो कम से कम। अब हो गया। कोई बात नहीं, हम चार बजे करेंगे ना चर्चा। चार बजे दे देना, चार बजे देना बैठिए। धन्यवाद।

श्री सौरभ भारद्वाज: अध्यक्ष जी, जैसा कि आपने शुक्रवार को देखा कि बहुत अच्छी कार्यवाही चल रही थी सदन की।

अध्यक्ष महोदय: मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे श्री सौरभ भारद्वाज, माननीय सदस्य से सदन की अवमानना की सूचना प्राप्त हुई है जिसके अन्तर्गत उन्होंने नेता प्रतिपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता द्वारा दिनांक 10 जून, 2016 को सदन की बैठक के दौरान डेस्क पर खड़े होकर सदन की गरिमा को कम करने तथा सदन की अवमानना करने के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का अनुरोध किया है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ। मैंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा है, पूरे सदन ने देखा है, मीडिया ने देखा है। सदन की गरिमा को कम करने तथा सदन की अवमानना करने की यह असाधारण घटना है। देश के संसदीय इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है। माननीय नेता प्रतिपक्ष काफी देर तक डेस्क पर खड़े रहे तथा नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने दायित्व को भूल गए, ऐसा मुझे लगता है। यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए। इस तरह का व्यवहार अमर्यादित तथा अशोभनीय है और अपरिपक्वता दर्शाता है। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी से इस तरह के व्यवहार की आशा नहीं जाती। मैं समझता हूँ कि वे अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। अतः मैं फिलहाल इस मामले को विशेषाधिकार समिति को नहीं सौंप रहा हूँ।

श्री सौरभ भारद्वाज: अध्यक्ष जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा देखिए अध्यक्ष जी ये हमारा मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है ये बात कही जाती है हम सब मानते हैं। प्रधानमंत्री भी जब सबसे पहले संसद में घुसे तो उन्होंने अपना माथा हाउस की सीढ़ियों पर लगाया। एक बहुत बड़ी बात थी। उसी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष वहां पर जूतों को लेकर के खड़ा हो गया

जहां पर हमारे विधेयक रखे जाते हैं मतलब इस मंदिर के अन्दर अगर कोई धार्मिक ग्रंथ है तो वो हमारे विधेयक है जिनको यहां पर रखा जाता है पटल पर उनसे कानून बनते हैं अगर.....

अध्यक्ष महोदय: सौरभ जी, आपकी भावनाएं मैंने सदन के सामने व्यक्त कर दी हैं और एक निर्णय ले लिया है। अब उस पर चर्चा न करें। सौरभ जी मैं रोक रहा हूं। विजेन्द्र जी

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सौरभ जी आप समझदार है बैठिए। नितिन जी

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जनरैल जी, सरिता जी, नितिन जी प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अलका जी, सौरभ जी बैठ जाइए। सौरभ जी, आज का बहुत बिजनेस है। अच्छा बैठिए, अलका जी।

श्रीमती सरिता सिंह: विपक्ष को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए अपने व्यवहार के लिए।

अध्यक्ष महोदय: अलका जी बैठ जाइए।

सुश्री अलका लाम्बा: बेशर्मी की हद है अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय: बैठिए। नितिन जी।

श्री नितिन त्यागी: माफी मांगनी पड़ेगी सर। सर इसमें माफी मांगनी पड़ेगी। 67 विधायक अगर खड़े होकर ऐसी बात करने लगे।

अध्यक्ष महोदय: सरिता जी, नितिन जी, हर विषय को लंबा नहीं खींचा जाता। सदन की गरिमा का हमें भी ध्यान रखना है। सरिता जी बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए नितिन जी बैठ जाइए। अब हो गया। सरिता जी बैठिए प्लीज। प्लीज बैठो। बैठिए अच्छा बैठिए।

श्री सौरभ भारद्वाज : अध्यक्ष जी, निवेदन यह है कि कम से कम माफी तो मंगवाइए आप। आप उनकी तरफ से माफी मांग रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: चलिए, बैठ जाइए। सौरभ जी हो गया अब आप बैठ जाइए। सौरभ जी आप खुद समझदार है बैठ जाइए। सोमदत्त जी बैठ जाइए।

श्री सौरभ भारद्वाज : अध्यक्ष जी, आप कम से कम माफी तो मंगवाइए उनसे। उन्होंने तो माफी भी नहीं मांगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जरनैल सिंह (ति.न.) बैठ जाइये।

श्री नितिन त्यागी : सर, आप माफी मंगवा लीजिये।

श्री सौरभ भारद्वाज : अध्यक्ष जी, आप माफी मंगवा लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : सौरभ जी, आप बैठ जाइये।

श्री सौरभ भारद्वाज : अध्यक्ष जी, कम से कम कमेटी में मामला भेज दीजिए।

...(व्यवधान)

प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का वर्ष 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से संबंधित प्रतिवेदनों की अंग्रेजी व हिन्दी प्रतियाँ सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे। सौरभ जी, आप बैठिये। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री को कह चुका हूँ आप बैठ जाइये प्लीज। आप कुछ तो सम्मान रखिये। आप बैठिये। माननीय उप मुख्यमंत्री खड़े हो गये। सौरभ जी, प्लीज बैठिये। सरिता जी, बैठिये। सोम दत्त जी, बैठ जाइये। विजेन्द्र जी, बैठ जाइये। मैं इस विषय पर किसी को भी समय नहीं दे रहा हूँ, आप बैठ जाइये। मैंने निर्णय दे दिया, विषय खत्म हो गया।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ सदन पटल पर रखता हूँ—

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व एवं सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर प्रतिवेदन।1*

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर प्रतिवेदन।2*

1 व 2 पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर 15558-59 पर उपलब्ध।

विधेयकों पर विचार एवं पारण

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 10 जून, 2016 को सदन में पुरःस्थापित "दिल्ली मूल्य सवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (वर्ष 2016 का विधेयक संख्या-3)" पर विचार किया जाये।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 10 जून, 2016 को सदन में पुरःस्थापित "दिल्ली मूल्य सवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (वर्ष 2016 का विधेयक संख्या-3)" पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं। अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे। विजेन्द्र जी, बोलिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ उप मुख्यमंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जून के महीने में जब शायद पहली बार ये प्रस्ताव लाया गया था, बिल लाया गया था, तो मैंने चर्चा के पहले ही दिन

कहा था कि नियमों को ताक पर रखकर ये बिल पेश किये जा रहे हैं, यह एक तरह से सदन के समय को भी व्यर्थ किया जा रहा है और दिल्ली की जनता इससे लाभाहित नहीं होगी, क्योंकि इसको आपने कानूनीजामा नहीं पहनाया है और जैसे कि सरकार की हर कार्य में एक दृष्टिकोण है – कानून का उल्लंघन करो, संविधान का उल्लंघन करो, अनैतिकता करो और एक के बाद, एक के बाद एक बिल लाये गये...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, बिल पर बोलिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं बिल पर ही बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप बिल पर नहीं बोल रहे हैं। फिर यही दिक्कत होती है। इसलिए समय खराब होगा। पार्टिकुलर बिल पर कोई अमेंडमेंट है तो बताइये ?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं पार्टिकुलर बिल पर यह कहना चाहता हूँ कि पूरा एक साल लगभग जो व्यर्थ हो गया, जिसका लाभ दिल्ली की जनता को एक साल पहले मिल सकता था, अगर सरकार नियम और कानून से चीजों को आगे बढ़ाती। जो काम आपको जून, 2015 से पहले करना था, वो आपने जून, 2016 से पहले किया तो यह एक साल पूरा जो व्यर्थ हुआ है और सरकार को मैं यह हिदायत भी देना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आगे से कभी इस तरह से, बहुत सारी चीजों में नियमों और कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, वो करना बंद कर दें। संवैधानिक तरीके से सरकार चलायेंगे तो लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा और दिल्ली की जनता के हित में भी यह बात जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस बिल के प्रस्ताव पर मैंने इसको प्रस्तुत करते हुए भी कहा था कि नवंबर के महीने में सदन में चर्चा हो चुकी थी कि किन परिस्थितियों में यह लाया गया, किन परिस्थितियों में इसमें उम्मीद की गई थी कि केन्द्र सरकार इसमें सहयोग करते हुए इसको जी.एन.सी.टी. एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत पास कर देगी, लेकिन फिर भी जैसे कि परंपरा है जैसे कि पिछले एक साल में हमने कई बार देखी है कि इसको रोका गया। खैर, अच्छी बात यह है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष को भी विधेयक के संदर्भ में लगता है कि उपयोगिता ही है, यह हमारे लिए अच्छी बात है तो मैं अब क्योंकि चर्चा नहीं हुई तो इसके बाद में, क्योंकि माननीय सदस्यों ने बिल को लेकर कोई प्रश्न नहीं उठाया है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें चर्चा के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खंडवार विचार होगा। प्रश्न है कि खंड 2 जिसमें धारा 3 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड 2, जिसमें धारा 3 का संशोधन है विधेयक का अंग बन गये।

.अब प्रश्न है कि खंड 3, जिसमें धारा 29 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड 3, जिसमें धारा 29 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खंड 4, जिसमें मूल अधिनियम की धारा 50 के बाद नई धारा 50(क) जोड़ने का प्रस्ताव है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड 4, जिसमें मूल अधिनियम की धारा 50 के बाद नई धारा 50 (क) जोड़ने का प्रस्ताव का है, विधेयक का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खंड 5, जिसमें धारा 86 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड 5, जिसमें धारा 86 का संशोधन है विधेयक का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खंड 6, जिसमें मूल अधिनियम की धारा 91 के बाद नई धारा 91 (क) जोड़ने का प्रस्ताव है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड 6, जिसमें मूल अधिनियम की धारा 91 के बाद नई धारा 91(क) जोड़ने का प्रस्ताव है, विधेयक का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खंड 7, जिसमें धारा 92 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड 7, जिसमें धारा 92 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खंड 8, जिसमें धारा 93 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड 8, जिसमें धारा 93 का संशोधन है विधेयक का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खंड 9, जिसमें धारा 107 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड 9, जिसमें धारा 107 का संशोधन है विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक का अंग बन गये।

विधेयक को पारित करना, अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि “दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (वर्ष 2016 का विधेयक संख्या-3)” को पारित किया जाये।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि “दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (वर्ष 2016 का विधेयक संख्या-3)” को पारित किया जाये।

उप-मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि “दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक 2016 वर्ष (2016 का विधेयक संख्या 3)” को पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

प्रस्ताव पारित हुआ विधेयक पास हुआ।

दिल्ली नगर निगम की समिति में संशोधन का प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय: अल्पकालिक चर्चा नियम 55 के अंतर्गत सुश्री अलका लाम्बा जी।

श्री सोमनाथ भारती: Because on the last day, I had moved a resolution to form a Committee on MCD corruption. In that Committee, I proposed the name of Hon'ble member Sh. Jagdish Pradhan ji. At that time, he had consented to be a member of this Committee but unfortunately, his party has not allowed him to continue to be in this Committee in view of which I proposed the name of Sh. Ved Prakash Ji to be the member of that committee. To that effect, this proposal should be amended. That's my submission.

अध्यक्ष महोदय: मैं जगदीश प्रधान जी से एक बार और आग्रह कर लेता हूँ कि इस कमेटी सदस्य बनें। विपक्ष की भूमिका रहनी चाहिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, हमारा फेसला ये है कि ये जो कमेटियां बनाई जा रही हैं, ये राजनीति से प्रेरित हैं un-constitutional तरीके से ये जो अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, इस सदन के उस पर कमेटियां बनाई जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय: चलिए ठीक है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: इसलिए हम इस प्रक्रिया का घोर विरोध करते हैं और इसीलिए उस दिन हमने वॉकआउट भी किया था।

नव निर्वाचित उपाध्यक्ष को बधाई
प्रस्ताव 17

23 ज्येष्ठ 1938 (शक)

अध्यक्ष महोदय: अब सोमनाथ जी का जो संशोधित प्रस्ताव है, वेद प्रकाश जी का नाम उसमें उन्होंने जोड़ा है, यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
प्रस्ताव पारित हुआ।

संशोधित प्रस्ताव श्री सोमनाथ जी का पारित हुआ

अध्यक्ष महोदय: सुश्री अलका लाम्बा जी डी.डी.सी.ए. में तथाकथित भ्रष्टाचार तथा इस मामले की जांच के लिए गठित जांच आयोग की कार्यप्रणाली की स्थिति के संबंध में चर्चा प्रारंभ करेंगी।

नव—निर्वाचित उपाध्यक्ष को बधाई प्रस्ताव

सुश्री अलका लाम्बा: अध्यक्ष जी मैं उस चर्चा से पहले नियम 114 के तहत आपसे इजाजत चाहती हूँ। क्योंकि इस सदन में हमारी छोटी बहन कहें, बहुत कम उम्र में दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष नियुक्त की गई हैं और ये बहुत बड़ा संदेश जो है, पूरे देश में भेजा गया है। क्योंकि एक जगह हम देख रहे हैं कि जहां पर हमारे दलित भाई—बहनों के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है जिस तरह से उन्हें अपमानित करके

प्रस्ताव

उन्हें रोहित वेमुला की तरह आत्महत्या पर मजबूर किया जा रहा है, दूसरी तरफ मैं इस सदन का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज उसी समाज से आई हमारी एक छोटी बहन को बहुत युवा उम्र में जो है, इस सदन का, उस कुर्सी पर बिठाने का काम किया है जिस कुर्सी के सामने जब भी हम इस हाउस से अंदर और बाहर जाते हैं, हमारा सिर झुक जाता है। तो उस कुर्सी पर आपने इन्हें बिठाकर एक सम्मान इन्हें नहीं, इनके समाज को ही नहीं, उन सब लोगों को दिया है जो इस समाज और इनसे आये लोगों के प्रति एक सम्मानजनक नजरिया रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय: नितिन जी का भी इसी प्रस्ताव पर समर्थन है।

श्री नितिन त्यागी: मैं भी थोड़ा सा बोल देता हूँ, समर्थन तो है ही सर, मैं बधाई देना चाहूँगा इस हाउस को, दिल्ली सरकार को, अरविन्द केजरीवाल जी को कि उन्होंने एक बहुत सच्ची कोशिश अभी तक करी है, ये जो गैप कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर आज तक राजनीति करने वालों ने हमारे देश में खड़े किये हैं, इस गैप को ब्रिज करने में बहुत बड़ी पहल करी है। चाहे वो माइनोंरिटीज के लिए हो, चाहे वो दलितों के लिए हो या किसी भी समाज के लिए हो। किसी भी तरीके की डिसपेरिटी, जब भी कोई प्लान बनाते हैं, उस तरीके से नहीं करते, ये दिल्ली सरकार नहीं करती, ये सदन नहीं करता कि किसी को भी जात-पात के नाम पर बांटे। आज तक की जो तुष्टिकरण की नीतियां रहीं या आज भी जो चल रहा है, पूरे देश में हाहाकार फैला हुआ है अब यूपी. में चुनाव होने वाले हैं तो झगड़े की और मंदिर की पहले से बात शुरू होने लगी है। इस

नव निर्वाचित उपाध्यक्ष को बधाई
प्रस्ताव

19

23 ज्येष्ठ 1938 (शक)

तरीके की चीजों को पीछे छोड़ते हुए सारे के सारे समाज को। as whole आगे बढ़ाके एक पूरा हिन्दुस्तान खड़ा करने की जो पहल है, जो कोशिश की है, उसके लिए बहुत-बहुत congratulate करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद, हां अलका लाम्बा जी, नहीं सोमनाथ जी हो गया। अब इसमें प्लीज नहीं, आज कई महत्वपूर्ण विषय हैं, सोमनाथ जी आप खुद बहुत समझदार है। चलिये जी।

श्री सोमनाथ भारती: Hon'ble Speaker Sir, this is why I am saying so because this is an emotional moment Ms. Rakhi Birla being appointed as Deputy Speaker and this is not only a moment for us to be happy about, its a moment which is historic as well as something with this country has been looking forward to so far whether it is BJP or Congress, both have divided the nation on the basis of caste, region and religion. Aam Aadmi Party also divides the nation but that is on the basis of exploiter and exploited. anybody who has been exploited, AamAadmi Party represents all of them and its a matter of pride for all of us that our colleague Ms. Rakhi Birla was appointed as a Deputy Speaker, she has resumed the role of Deputy Speaker that very day and she being the youngest among all of us possibly.

अध्यक्ष महोदय: चलिए अब प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती: Youngest, as such a short age she has resumed her responsibilities. I wish her a good luck and the entire House possibly will witness her dynamism through this Chair.

अध्यक्ष महोदय: हां सुश्री अलका जी, भई अब नहीं, प्लीज। नहीं, अब विषय को आगे बढ़ने दीजिये, प्लीज।

श्री अजय दत्त: अध्यक्ष महोदय, हमारे समाज में भी, मैं भी इसी समाज से आता हूं तो ये जो आज हमारी सरकार ने, आपने, इस पूरे सदन ने सबसे कम उम्र की उपाध्यक्ष महोदया को इस सदन में बिठाया है, ये पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत गर्व का विषय है और दूसरा, ये यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है जहां किसी भी समाज के लोगों को प्रॉपर जगह दी जाती है, उनके अधिकारों को प्रश्रय दिया जाता है और काबिलियत को भी जगह दी जाती है और दूसरी तरफ बी.जे.पी. और कांग्रेस के लोग सिर्फ अपने हितों के लिए दलितों को दबाते हैं, माइनॉरिटीज को दबाते हैं, उनमें दंगा फसाद कराते हैं जबरदस्ती इश्यू किएट करते हैं तो मैं पूरी सरकार को, इस सदन को और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे समाज की और एक बहुत टेलेण्टेड और कम उम्र की हमारी बहन को ये पदभार दिया है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद, हां सुश्री अलका लाम्बा जी, नहीं अब जरनैल जी इसमें बहुत चर्चा हो गई थी।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन): चर्चा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज के समय में जब पूरे देश में दलितों की जो स्थिति है, कभी रोहित वेमूला का कांड होता है, कभी किसी बच्चियों के साथ रेप हो जाता है, कभी यू.पी. के अंदर उनको फांसी देकर मार

दिया जाता है इस तरह की घटनाएं आती हैं, उसमें एक संकेत, एक संदेश है कि हमारे इस सदन की एक बच्ची जो राखी बिड़ला इतनी छोटी उम्र में भी डिप्टी-स्पीकर के पद पर उसको पहुंचाया गया है। इस सदन को इस सारे सदन के लिए बहुत मान-सम्मान की बात है ताकी ये न रहे कि सिर्फ एक वर्ग से... इसलिए मैं इसमें अपना समर्थन जाहिर करना चाहता था धन्यवाद।

अल्पकालिक चर्चा

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद जरनैल जी, सुश्री अलका जी।

सुश्री अलका लाम्बा: अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूं। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग यहां पर उपस्थित हैं, बहुत उम्मीद लेकर आये हैं, मैं सदन का ध्यान उनकी तरफ भी दिलाना चाहूंगी क्योंकि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार देखा है कि जिनके लिए हम बाहर लड़ते हैं, वो लोग बहुत उम्मीद लेकर इस सदन तक भी पहुंचते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये सदन उन्हें न्याय देगा। मुझे याद है मीनाक्षी का केस हुआ था और उस लड़की को किस तरीके से उसके साथ अन्याय हुआ, इस सदन में उम्मीद लेकर आई और उस लड़की को न्याय मिला, उसके परिवार को कहूंगी क्योंकि मीनाक्षी तो नहीं रही। आज वहीं एक बहादुर आफीसर, मैं कहूंगी श्री एम.एम. खान का परिवार—उनकी दोनों बेटियां, उनकी धर्मपत्नी आज इस सदन में आई हैं। वो उम्मीद लेकर आई हैं क्योंकि हमारे एक विधायक साथी दिल्ली केन्टूनमेंट बोर्ड से जो आते हैं।

अध्यक्ष महोदय: वो आया हुआ है, उनका चर्चा में आया हुआ है। उनको मिलेगा समय।

सुश्री अलका लाम्बा: तो मैं बस यही कह रही हूँ कि इस हाउस से बहुत उम्मीदें हैं इसलिए हम जो भी विषय उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप डी.डी.सी.ए. पर आइये, आप डी.डी.सी.ए. पर आइये सीधा।

सुश्री अलका लाम्बा: मैं सीधा उसी विषय पर आ रही हूँ अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, इस देश में एक सरकार बनी दो साल हो गये हैं जिसमें नारा था “बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अबकी बार मोदी सरकार।” फिर दूसरा नारा दिया दो साल होते-होते “न खाउंगा न खाने दूंगा।” उम्मीदें हमारी भी जागी एक ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले हैं जो ये कहते हैं “न खाउंगा न खाने दूंगा” और एक नारा बार-बार जो दो साल तक हमारे कानों में गूँजता रहा कि “बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार अबकी बार मोदी सरकार।” जब वो मोदी सरकार बन जाती है तो वो इस सदन को किस तरीके से उन्हीं की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में किस तरह से कमजोर करती है, डी.डी.सी.ए. उसका सबसे बड़ा आज हमारे सामने उदाहरण है। Delhi & District Cricket Association के जो 14 साल तक 13 सालों तक मैं कहूँगी या 14 सालों तक अध्यक्ष रहे श्री अरूण जेटली साहब, आज केन्द्र में मंत्री हैं। आज सबसे बड़ी बात उन पर जो भी आरोप लगाये, अध्यक्ष जी, ये सदन जानता है, पूरी दिल्ली जानती है, पूरा देश जानता है कि वो आरोप हममें से किसी ने नहीं लगाये, न आम आदमी पार्टी ने लगाये। ये आरोप किसने लगाये और कब से लगा रहे हैं? और वो कब से यह मांग कर रहे हैं कि इनकी जांच होनी चाहिए। वो आरोप लगाने वाले कोई और नहीं,

इन्हीं की बी.जे.पी. के सांसद श्री कीर्ति आजाद जी हैं और मैं यह भी मानती हूँ कि जितनी क्रेडिबिलिटी मैं कहूँगी कीर्ति आजाद जी की है उतनी शायद अरुण जेटली जी की भी नहीं है इसलिए कीर्ति आजाद अगर कुछ कहते हैं। बी.जे.पी. के सांसद होके पूर्व क्रिकेटर होने के नाते और एक फ्रीडम फाईटर परिवार से आते हैं, जिनका सम्मान केवल बिहार ही नहीं, पूरा देश करता है। जब वो बात उठाते हैं, वे और विशन सिंह बेदी जी मुख्यमंत्री को आकर मिलते हैं और यह कहते हैं कि सरकार तो हमारी आ गई। मैं मिशन भाजपा का सांसद हूँ, कीर्ति आजाद जी कहते हैं पर मुझे दो सालों में कोई उम्मीद नहीं लगी कि हमारे प्रधानमंत्री, खुद नरेन्द्र मोदी जी अरुण जेटली जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे और वो उम्मीद लेकर विशन सिंह वेदी जी और कीर्ति आजाद जी दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर पर पहुंचते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरा उन्हें यकीन दिलाते हैं कि बिल्कुल आप सबूत तथ्य दीजिए, हम उसकी पूरी जांच करायेंगे। अरुण जेटली साहब देखिए, सीनियर वकील होने के नाते अदालतों में जिस तरह खेला जाता है शब्दों से, बहुत माहिर हैं। जांच जो थी, उसका स्वागत करना चाहिए था, अगर आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो आप डरते क्यों हैं ? आप आगे आइए और स्वागत करिए। एक दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, खुद ललकार के यहां से कहते हैं कि अगर आप हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन जी या, हमारे परिवहन मंत्री, गोपाल राय जी पर कोई आरोप हैं तो आप जांच बिठाएं, उससे पहले मुख्यमंत्री की आप दिलेरी देखिए, वो कहते हैं कि दोनों मंत्री अपनी फाइलें लेकर उससे पहले वो इनक्वारी कमिशन बिठाएं, आप जाकर फाइलें समेत पहुंच जाइए कि हम पूरी तरह से कोई भी जांच हो,

हम उसका स्वागत करते हैं और शामिल होते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है? अरुण जेटली साहब भागते हैं। पुलिस को कहते हैं कि इस पर एफ. आई. आर. नहीं होनी चाहिए, इस पर जांच नहीं होनी चाहिए और यह कौन कहता है जब तीन रिटायर्ड जज की कमेटी बैठायी गयी है। हमने नहीं बैठायी थी। यह पूर्व की सरकारों ने बैठायी थी, केन्द्र की सरकार ने और तीनों पूर्व जजों ने पाया कि हां, डी.डी.सी.ए.में बहुत बड़ा एक घोटाला है, जिसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद यह कहने के बाद सब चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती है।

दिल्ली सरकार ने, हमारे पूर्व अधिकारी रहे चेतन सांघी जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी (विजिलेंस), उनकी अध्यक्षता में तीन सदस्य जांच कमेटी बिठा दी। उस जांच कमेटी ने कहा कि हां, घोटाला तो हुआ है। एक स्टेडियम, जिसकी रेनोवेशन के लिए कुछ चौबीस-चौतीस करोड़ रुपये जो है, वो अलॉट किये गये थे, लेकिन वो जो है पैसा पहुंचते-पहुंचते 114 करोड़ तक पहुंच जाता है। जब कि इसका रेनोवेशन, अगर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का रेनोवेशन होना था तो एक टेंडर प्रोसेसिंग होती है, किसे ठेका दिया जायेगा, कौन कम्पनियां करेगी ? ऐसी कम्पनियों को दिया गया इसका ठेका, जिसके बारे में, मैं नहीं, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज बताती है। । यह इंडियन एक्सप्रेस बताती है कि अरुण जेटली साहब जब अध्यक्ष थे, उन्होंने फिरोज शाह कोटला का जो रेनोवेशन का काम है, वह दिया किसे ? अध्यक्ष जी, वह तीन कम्पनियों के नाम मैं बताती हूं, यह मैं नहीं इंडियन एक्सप्रेस कहता है। पूर्व के तीन जजों ने, जिन्होंने जांच की, पाया घोटाला हुआ ? यह उन्होंने बताया है, यह मेरे नहीं हैं। पहली कम्पनी Stream Marketing Pvt.

Ltd. दूसरी कम्पनी Ultimate It Solution Pvt. Ltd. Company और तीसरी कम्पनी। Dvent Trading Pvt. Ltd. Company. यह तीन कम्पनियां अध्यक्ष जी, जिन्हें अरुण जेटली साहब अपने अध्यक्ष होते हुए फिरोज शाह कोटला का रेनोवेशन का काम दिया। सबसे बड़ी बात, जब जांच होती है तो पता लगता है कि यह कम्पनियां हैं कौन ? यह तीनों कम्पनियों का पता जो है, वो एक ही पते पर पाई जाती हैं, कोई अलग-अलग पते पर नहीं हैं ये और इन तीनों कम्पनियों में जो डायरेक्टर है, वो तो बहुत ही माशाअल्लाह! आप सुनिएगा, उनके बारे में। उनका नाम है नरेश चन्द शर्मा। जब इनके पते पर पहुंचा गया कि नरेश चन्द्र शर्मा जी आप तीन बड़ी कम्पियों के डायरेक्टर हैं और आपको यह फिरोज शाह कोटला का जेटली साहब ने बहुत मोटा करोड़ों का टेंडर दिया हुआ है। उनका सुनिएगा उनका जबाब! वह कहते हैं कि भाई साहब, मुझे डी.डी.सी.ए. का फूल फार्म ही नहीं पता है। मैं कोई ऐसी कम्पनी में डायरेक्टर हूँ, मुझे ये भी नहीं पता है। और उससे पूछा गया कि आपका काम क्या है, वो कहते हैं कि भाई साहब मैं घर घर जाकर अगर्बत्ती बेचने का काम करता हूँ। ये इस चीजों के बावजूद भी अरुण जेटली साहब यह कहते हैं कि दिल्ली सरकार पर, मंत्रियों का आम आदमी पार्टी के नेताओं पर अवमानना का केस डालूंगा और जाकर कोर्ट में लड़ते हैं। लेकिन, यह क्यों नहीं कहते कि इसके ऊपर आप सफाई दीजिए कि यह जो है, ये सब क्या है ? उस पर कोई जबाब अरुण जेटली साहब कोई जवाब नहीं देते। चेतन सांघी जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठाई गयी, सरकार से हमें बताया कि हां, उसमें यह सब चीजें आयीं और घोटाला हुआ है और जांच होनी चाहिए। प्रस्ताव सदन के पास आया। हम सब

ने मिलकर एक इनक्वारी कमिशन बैठाने का जो प्रस्ताव पारित कर दिया, हमारे पूर्व रिटायर सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्म्यणम जी की अध्यक्षता में एक इनक्वारी कमिशन बैठ गया, उसको बैठे हुए भी दिसम्बर से आज लगभग छः महीने होने वाले हैं। यह सरकार की बनाई हुई कमेटी नहीं थी। यह इस सदन ने पूरा प्रस्ताव पारित करके डी.डी.सी.ए. के ऊपर इनक्वाइरी ऑफ कमिशन बैठाने का प्रस्ताव पारित किया था। अखबारों के माध्यम से पता लगता है। मैं चाहूंगी सरकार साफ करे कि सच्चाई क्या है ? अखबारों के माध्यम से पता लगता है कि एल.जी. साहब कहते हैं कि दिल्ली सरकार को या इस सदन को इस तरह की कोई इनक्वारी कमिशन बैठाने का हक ही नहीं है, इस विधानों के अनुसार से। इसलिए इसे null and void कर दिया जाता है। मैं चाहती हूँ कि सरकार स्थिति साफ करे कि वो जो कमेटी का गठन सर्वसम्मति से इस हाउस ने किया था, उस पर वो कमेटी आज है भी या नहीं है? है भी तो छः महीने से जांच पहुंची कहां हैं ? क्योंकि मुझे नहीं मालूम, अखबारों से फिर पता लगता है कि हमारे पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्म्यणम जी के ऊपर भी दबाव है ? किस तरीके का दबाव है, किस तरह की ब्लैकमेलिंग केन्द्र में बैठी सरकार कर रही है, अरुण जेटली साहब को बचाने के लिए, यह तो वही बतायेंगे क्योंकि हमारी जानकारी में पिछले छः महीनों में एक भी मीटिंग इनक्वाइरी कमिशन ने, जांच को लेकर एक भी मीटिंग नहीं की है और जहां तक मैं फिर कहूंगी कि मुझे कंफर्म नहीं है। सरकार कंफर्म करे। उन्होंने, शायद सुनने में आया है क्योंकि जब यह कमेटी बनी थी अध्यक्ष जी, सरकार ने उन्हें सूचित किया कि गोपाल

सुब्रह्मण्यम जी आपको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। उन्होंने इस बात को बहुत खुशी से स्वीकार किया और कहा कि यह मेरे लिए सम्मान की बात है और इस इनक्वारी कमीशन को लीड करने के लिए मैं सरकार से कोई तनखाह, कोई पैसा नहीं लूंगा। वे सिर्फ एक रूपया सिम्बोलिक लेंगे। यहां तक उन्होंने आगे बढ़कर इसका प्रस्ताव जो हमने पारित किया था, उसका स्वागत किया। लेकिन आज हकीकत यह है कि गोपाल सुब्रह्मण्यम जी पर मुझे यह महसूस होता है कि कोई दबाव है। पिछले छः महीनों से या तो यही बता दें कि यह कमेटी है भी या नहीं। एल.जी. के माध्यम से इसे null and void कर दिया गया है तो और सबसे बड़ी बात कीर्ति आजाद जी पर जो कार्रवाई कर सकते थे, उन्होंने की। उसका इनको यह परिणाम मिला कि उन्हें पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया यानि कि अब जो न खाऊंगा और न खाने दूंगा, उनकी पार्टी में बात करता है। न रहेंगे इस पार्टी में, न रहने देंगे, जो आवाज उठायेंगे भ्रष्टाचार की, वो इसमें दिखता है और मैं आपसे कहूंगी अध्यक्ष जी, जब दिल्ली सरकार ने यह बात उठायी, तुरंत क्या होता है? उम्मीद करते हैं कि बस अब सी.बी.आई. जायेगी, डी.डी.सी.ए. के दफ्तरों में सारी फाईलें जब्त कर लेगी। लेकिन वो जाती कहां है? वो जाती है दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री के दफ्तर में। हमारे बहुत सम्मानित, ईमानदार बार-बार कहूंगी ईमानदार और सम्मानित अधिकारी राजेन्द्र कुमार जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उनके दफ्तर पर छापा मारवाते हैं। छापा कहां मारवाना चाहिए था ? डी.डी.सी.ए. के दफ्तर में। अरूण जेटली जी के खिलाफ जो फाईलें थी, उनके लिए। लेकिन वो जाते हैं, मुख्यमंत्री के दफ्तर में। डी.डी.सी.ए. का घोटाले की जान है वो।

वहां पर उनको ब्लैकमेल करने के लिए। पर इनको भूल गये कि ये वो सरकार ही नहीं है, जो ब्लैकमेल हो जाती हो। यह वो सरकार नहीं है, जो दबाव में आ जाती हो। मुख्यमंत्री के कार्यालय में अगर कहीं छापे पड़ने चाहिए थे तो वो XXX मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के, जिसमें व्यापम के घोटाले में एक के बाद एक लगातार हत्याएं, जो की जा रही हैं, वहां डलना चाहिए था। XXX राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, उनके दफ्तर में पड़ना चाहिए था। यह छाप पड़ना चाहिए था, XXX विदेश मंत्री जी के दफ्तर पर कि किस तरीके से ललित मोदी जी को, वो विदेश में बैठे हुए हैं, जो फायदा पहुंचा रहे हैं, पर नहीं, इन सबके दफ्तरों पर छापे नहीं पड़ते, छापे पड़ते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी के दफ्तर पर पड़ते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं बिल्कूल कहूंगी यह सदन को आप बतायें कि यह जांच होगी या नहीं होगी या यह सिर्फ जुमले और नारे खोखले देश के प्रधानमंत्री देते रहेंगे।

मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहूंगी कि ठीक है कि इस सदन के पास ताकत नहीं है, दिल्ली की सरकार के पास ताकत नहीं है, पर प्रधानमंत्री जी, आपके पास ताकत है, आप जांच क्यों नहीं कराते हैं ? आप चुप्पी साधे क्यों बैठते हैं ? आप क्यों भ्रष्टाचार में अरुण जेटली साहब को अपना संरक्षण दिये हुए हैं कि वो एक के बाद एक इस तरह के घोटालों को दबाने का प्रयास करते हैं।

...(व्यवधान)

XXX चिह्नित शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

अध्यक्ष महोदय : आप विजेन्द्र जी, फिर वही बात कर रहे हैं। अलका जी कम शब्दों का इस्तेमाल करो।

सुश्री अल्का लाम्बा : उनको अपना खुलासे होने का डर है, अरूण जेटली साहब को। मैं इस सदन के पर....

अध्यक्ष महोदय : अल्का जी, एक सैकेण्ड। आप किसी का नाम न लें। मुख्यमंत्री राजस्थान बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बोल रहे हैं, नाम संबोधित न करें प्लीज। जो नाम लिये हैं, वो डिलिट कर दें। चलिए नाम न लें। चलिए आगे बढ़िए प्लीज।

सुश्री अल्का लाम्बा: अध्यक्ष जी, इनके घोटाले के, एक तो मैंने बताया किस तरह से तीन कम्पनियों को ये ठेके दिये गये हैं और तीनों कम्पनियों के जो डायरेक्टर थे, उसने मना कर दिया गया। किस तरीके से उसके नाम में, उसके अकाउंट, फर्जी अकाउंट खुलवाकर पैसे दिये गये। स्टेडियम में दस इल्लीगल कंस्ट्रक्टेड जो कारपोरेट बाक्स बनाये गये, जबकि डी.डी. सी.ए. को नगर निगम से या कम्पिटेंट अथोरिटी से परमिशन लेनी होती है, अगर फिरोज शाह कोटला में आप कुछ भी कंस्ट्रक्सन में डिमांड करते हैं, दस इल्लीगल कंस्ट्रक्सन कारपोरेट बाॅक्स बनाये गये और अध्यक्ष जी 36 करोड़ रूपया उस कारपोरेट बाॅक्स बनाने के बाद कारपोरेट कम्पियों को बेचकर 36 करोड़ रूपया लिया जाता है और उस 36 करोड़ का कहां हिसाब है? किससे इजाजत ली गई ? वो पैसा कहां गया? आपको लगता है कि इस हाउस को, इस सदन को या लोगों को जानने का बिल्कुल भी हक नहीं है ? आज चेतन सांघी जी कहां है ? आज पूछना चाहूंगी कि क्यों

केन्द्र सरकार ने यहां से जो है, बाहर भेज दिया ? आरोप बेशक आप जितने मर्जी लगायें। किसी अधिकारी ने कहा कि मुझे आप दिल्ली से मुक्त करके कहीं और भेज दीजिए। यह मुक्ति उन्होंने पहले क्यों नहीं चाही ? यह मुक्ति तभी उन्हें क्यों केन्द्र सरकार ने दी जब उन्हें डी.डी.सी.ए. की भ्रष्टाचार की जांच करने के कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन पर भी पूरी तरह से दबाव बनाया गया। यह सब जानते हैं कि चेतन सांघी जी के ऊपर भी कोई एफ.आई.आर. या केस नहीं था, लेकिन जब से उन्हें दिल्ली सरकार ने डी.डी.सी.ए. की जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाकर जांच शुरू की, उनके ऊपर भी पुराने केस जैसे हमारे ईमानदार अधिकारी राजेन्द्र कुमार जी के खिलाफ इक्ट्टे किये गये, वैसे चेतन सांघी जी को भी उनके ऊपर उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गयी। उन्हें डरा दिया गया और अंत में क्या हुआ? यहां से अपनी ट्रांसफर लेकर या उन्हें भगा दिया गया। यहां से भेज दिया गया।

मैं कहूंगी ये कब तक चलेगा? अभी सदन बिल्कुल जवाब सरकार से चाहता है। ये सदन चुना हुआ सदन है। लोगों ने चुना। ये मजाक बनकर रह गया है ये सदन। कोई भी इन्क्वायरी कमीशन बिठाता है, एल.जी. साहब एक सैकिण्ड नहीं लगाते, उसे null and void कर देते हैं अगर हम नहीं बिठा सकते एल. जी. साहब आप बिठा दीजिये। केन्द्र में बैठी हुई सरकार, मोदी सरकार क्यों नहीं बिठाती? आप जांच से डर क्यों रहे हैं? लेकिन इस तरीके का तमाशा मैं कहूंगी अध्यक्ष जी, बिल्कुल पूरी तरह से बंद होना चाहिये। ये हम नहीं, अखबार की इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार इस बात का तथ्य सबूत सामने लेकर आये हैं कि जिस शख्स को डायरेक्टर बता

रहे हैं, उसे पता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात जेटली साहब जब अध्यक्ष रहे, आप लोन नहीं दे सकते प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पर जेटली साहब ने प्राइवेट कंपनियों को लोन देने का भी काम किया। बहुत सी कंपनियां, तीन कंपनियों के नाम मैं बता देती हूँ Vidhan Infrastructure (P)Ltd; को अरुण जेटली साहब ने डी.डी.ए. को जो पैसा था, उससे लोन दे दिया — Shri Ram Tradecom(P)Ltd.;Apple Infrastructure (P) Ltd. इनको लगभग एक करोड़ पचास लाख—पचपन लाख इतने करोड़ रूपये के वो लोन दिये गये। जब कि ये कंपनी ये जो डी.डी.सी.ए. है, किसी भी कंपनी एक्ट के तहत इन्हें किसी को भी लोन देने का अधिकार नहीं है और जब ये बात उठी तो कहते हैं। xxx माफी चाहूंगी केन्द्र के हमारे वित्त मंत्री (...व्यवधान) हां, मैं नाम नहीं लेती। अमृतसर से मुंह की खाकर वापिस दिल्ली आने वाले हमारे एक केन्द्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं अच्छा हम नहीं दे सकते, आप बवाल कर रहे हैं। हम उनसे पैसा वापिस ले लेते हैं। वापिस लेने से आपका अपराध कम नहीं हो जाता। लेकिन जितने दिन उनके पास था, क्या उसका ब्याज लिया गया? वो ब्याज लिया गया तो किसकी जेब में गया ? और अगर नहीं दे सकते तो दिया क्यों ? इन कंपनियों को, इन कंपनियों के संबंध किससे हैं ? अध्यक्ष जी, मैं आपको कहूंगी ये सदन अगर आज डी. डी.सी.ए. पर जो इन्क्वायरी कमीशन बिठाया गया है, इस सदन से सरकार से मैं पूछना चाहूंगी क्या गोपाल सुब्रामण्यम जी ने इस्तीफा दे दिया है? क्या नहीं दिया तो बतायें? दिया है तो बतायें? कारण क्या हैं? किस तरीके का दबाव है उनके ऊपर और इस इन्क्वायरी को आगे क्या भविष्य है इसका? क्या हमारे वित्त मंत्री अमृतसर से जो चुनाव हार कर आज राज्यसभा की

xxx चिह्नित अंश माननीय सदस्या द्वारा वापस लिया गया।

सीट से देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं और किस तरीके का वो काम कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। मैं फिर कहूंगी ये उम्मीद पूरी है कि ये हाउस , ये सदन इस जांच को किसी भी तरह से रूकने ना दे। इस जांच को आगे बढ़ाये, दूध का दूध पानी का पानी करें और उम्मीद करते हैं देश के वित्त मंत्री आप की तरफ ये देश देख रहा है कि आप एक उदाहरण पेश करें और खास तौर से देश के प्रधानमंत्री जो ये नारा देते हैं "ना खाऊंगा ना खाने दूंगा।" जय हिंद।

अध्यक्ष महोदय : जगदीप सिंह जी।

श्री जगदीप सिंह : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। सर, मेरी बहन अलका ने काफी सारे तथ्य रख दिये, कुछ छोड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बातें रह गई हैं जो मैं बताना चाहूंगा कि डी.डी.सी.ए. जो पिछले साल बहुत ही चर्चा में रही, स्पोर्ट्स कमेटी जो बच्चों को एनकरेज करती है, तैयार करती है कि हमारे देश के बच्चे आज स्टेट लेवल पर खेलों में पूरी दुनिया में नाम करेगें लेकिन जड़ ही खोखली हो तो पेड़ कैसा होगा? ये आप खुद समझ सकते हैं। जब ये घोटाला सामने आया 2011-12 की एजी.एम. की मीटिंग थी, डी. डी.सी.ए. की। डी.डी.सी.ए. 2011-12 की एजी.एम. की मीटिंग चल रही थी जिसमें उनके प्रेसीडेंट जो थेकृ. हमारे फाइनेंस मिनिस्टर xxx*

...(व्यवधान)

श्री जगदीप सिंह: माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं वहां प्रजैन्ट थे और भाजपा की ही सरकार के ही सांसद कीर्ति आजाद वहां चिल्ला चिल्ला

* चिह्नित शब्द माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया।

के पूछ रहे थे, "वहां पर ये इतना घोटाला चल रहा है, फाइनेंशियल मैनुअल क्यों नहीं लाया जा रहा है टेबल पर डी.डी.सी.ए. का? जो कंपनी एक्ट के एकार्डिंगली वहां पर फाइनेंशियल मैनुअल आना चाहिए। टेबल पर उसको लाया क्यों नहीं जा रहा?" वहां से स्टैज से उनको डांटा जा रहा था लेकिन वो बार बार माईक पकड़ के चिल्ला के कह रहे थे कि फाइनेंशियल मैनुअल लाया जाये जिसमें डी.डी.सी.ए. का पूरा हिसाब है। उनके बहुत देर चिल्लाने के बावजूद भी फाइनेंशियल मैनुअल वहां पर प्रजैन्ट नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा सबूत है कि डी.डी.सी.ए. के अंदर जो घोर भ्रष्टाचार चल रहा था, उसको छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। वो अलग बात है कि एस.एफ.आई.ओ. जो कि ये Sports Fraud And Investigation Organisation ये बनाई भी उस प्रेसीडेंट के थ्रू गई थी। वो कहते हैं ना "चोरों की बारात और दूल्हा भी चोरों का" तो ये कहीं ना कहीं इसको दर्शाता है कि "थाना भी अपना और थानेदार भी अपने तो फिर काहे का डर?" ये चीज दिखाई गई। उसके बाद कीर्ति आजाद ने थोड़ी सी हिम्मत और दिखाई। पूरी फाईलों की फोटो कापी किस तरीके से लेकर जो 27 कंपनियों ने जो स्टेडियम में काम किया था जिन्होंने लैपटॉप सप्लाई किये थे, जिन्होंने लैपटॉप का किराया 17 सत्रह हजार रुपये लिया था और प्रिंटर का किराया तीन तीन हजार रुपये लिया था! उन सारे बिलों की जब जांच की गई तो मेरे दोस्तो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो 27 कंपनियों के सारों के दफतर जो हैं, वो फर्जी पाये गये। वहां पर एक भी दफतर कोई नहीं मिला। वो सनस्टार आप जा के देख सकते हैं। वाई – की – पीडिया की साईट पर सनस्टार नेशनल एक इंडीपेंडेंट पेपर है, जिसने जा के जांच की थी और एक भी

आफिस दफतर नहीं मिला, कहीं पर भैसे बंधी हुई मिली, कहीं पर गांव मिला और कहीं पर एक आंटी आ गई थी, उसने बहुत बुरी तरह उनको झाड़ा। इस तरीके से पूरा ये घोटाला टी.वी. पर भी चला पूरा। इसके लिये इनके कीर्ति आजाद ने भी कम्पलेंट की, बिशन सिंह बेदी जो स्पोर्ट्स के रहे हैं और मेम्बर भी हैं डी.डी.सी.ए. के उन्होंने भी कम्पलेंट की लेकिन इसमें मेरे दोस्तो, कुछ भी नहीं किया गया। हमारी सरकार ने पहली बारी इस पर पहल दिखाई जिस पर कमीशन बनाया गया। उस कमीशन की अध्यक्षता हमारे एक आला अफसर को दी गई चेतन साघी जी को लेकिन उसको भी हमारे एल.जी. साहब कह रहे हैं null and void है। क्यों कह रहे हैं? आप अच्छी तरह समझते हैं कि वो इस बात को क्यों कह रहे हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज बात करें तो 114 करोड़ रुपया बी.सी. सी.आई. देती है कि एक अच्छा स्टेडियम बनाया जाये, एक अच्छे तरीके से खेलने का बनाया जाये। वहां पर ना पिच अच्छे से बनाई जाती है, ना कुछ बनाया जाता है। 114 करोड़ रुपये में से सिर्फ 57 करोड़ रुपये की पेमेंट की जाती है। वो 57 करोड़ रुपये बाकी के कहां जाते हैं, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है? ई.पी.आई.एल. जो सरकारी कंपनी थी, उसके पास सिर्फ 57 करोड़ रुपये का हिसाब किताब मिला है। बाकी 57 करोड़ रुपया कहां गया, उसका जवाब हमारे जो बैठे हुए हैं अपोजीशन, तो मैं बोलूंगा की वो आन्सर उसका जरूर दें यहां पर और बहुत सारी चीजें हैं जो दस बाक्सेज हैं, उन्होंने अपने दोस्तों को दे दिये और उनको किराये पर चढा दिया। कितने ही मैच खेलने के लिये अपने दोस्तों के लिये वो ठेका दे दिया। सारी चीजें, सारी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने दे दिया। पांच

कंपनियों को पैमेंट दी जाती है जहां पर गेम्स खिलाने के लिये वो पांचों कंपनी के ई-मेल एड्रेस सेम निकलते हैं। वो पांचों कंपनियों का जब डायरेक्टर चैक किया जाता है तो हैरानगी की बात निकलती है कि एक ही डायरेक्टर होता है वो चारों पांचों कंपनियों का। एक ही एड्रेस होता है और वहां पर जाकर जब एड्रेस चेक करते हैं तो वहां कोई कंपनी ही नहीं होती। पूरा फर्जीवाड़ा है! फिर भी एल.जी. साहब कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं। भैया, बिल्कुल साफ हैं ये लोग। ये आप समझ सकते हैं। वे भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं, वो भ्रष्टाचार मुक्त बी.जे.पी. बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि हम तो दूध से धुले हुए हैं। बाकी सब इनको काले नजर आते हैं। सी.बी.आ.ई. की रेड मरवाकर डी.डी.सी.ए. की फाइल को गायब कर उन्होंने पूरी पूरी ये जो डिक्टेटर-शिप दिखाई है, उसकी भी घोर भ्रत्सना करते हैं हम यहां पर और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक विधायकों की कमेटी बनाई जाए यहां पर जिसमें कुछ ईमानदार विधायक जो हमारे हैं उनको डालकर अगर कुछ नहीं आना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन ये ईमानदार विधायक जो हैं पूरी जांच देकर इस कमेटी को आगे भेजे ताकि इसका दूध का दूध हो जाए और पानी का पानी हो जाए, धन्यवाद जी।

अध्यक्ष महोदय: सरिता सिंह जी।

श्रीमती सरिता सिंह: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, कि आपने जिस बेस पर हमारी पार्टी बनी थी, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली उसी से रिलेटिड एक विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्टेडियम, बोल दूं नितिन भाई, स्टेडियम

चोर का पिटारा कहां से खोलूं? उनके भ्रष्टाचार का पिटारा कहां से खोलूं ? ये समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि डी.डी.सी. ए. है क्या? definition theoretical definition जो प्रैक्टिकल में कुछ और है, DDCA was registered under section 25 of Companies Act 1956, the objective of the Association as per its memorandum and article is to encourage and promote the game of cricket in Delhi and you organize the game in Delhi. सुनकर हम सबको बहुत अच्छा लगा होगा ना कि डी.डी.सी.ए. का कितना अच्छा काम है, हमारे दिल्ली में क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारे दिल्ली में गुलाब भाई को मैं कोट करना चाहूंगी, बहुत जोर से इन्होंने आवाज उठाई थी कि यूथ को, युवाओं को जो हमारी सरकार कर रही है कि कितना ज्यादा हम extra curricular activitie स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा सकें तो डी.डी.सी.ए. नामक संस्था इसीलिए दिल्ली में बनाई गई थी ताकि वो क्रिकेट को बढ़ावा दे पर वहां तो कुछ और हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं डी.डी.सी.ए. को यानि 'Delhi District Cricket Association' जिसका नाम रखा गया था, उसका मैं नाम चेंज करके ये रखना चाहूंगी 'दिल्ली डकैत एंड चोर एसोसिएशन' जहां पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां उन, हम सब, जब हम छोटे थे, आज भी जब हम पार्कों से गुजरते हैं, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, इतनी गर्मी में भी दिल्ली के बच्चे पार्कों में क्रिकेट खेलते पाए जाते हैं। हमने उनकी इमोशन्स, डी.डी.सी.ए. मैं बिल्कुल डारेक्टली बोलूंगी, अरूण जेटली साहब जिन्होंने उसकी अध्यक्षता कई सालों तक की, क्या किया उन्होंने, उन बच्चों की इमोशंस की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन बच्चों

की जो फीलिंग्स हैं, क्रिकेट को लेकर, हमारे देश में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो शायद अगर आज हो रहा होता तो हम सेशन के बाहर सब लोग आज यहां पर प्रोजेक्टर बनाकर इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे होते, क्रिकेट मैच। हमारे देश में धर्म माना जाता है क्रिकेट को और डी.डी.सी.ए. ने इस धर्म के साथ धांधली की है, इस धर्म के साथ धंधा किया है! माफ कीजिएगा! यही शब्द है अरुण जेटली साहब के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर और उन्हें डिपार्टमेंट भी फाइनेंस का मिला है जो डी.डी.सी.ए. में उन्होंने किया। जितनी भी गड़बड़ियां डी.डी.सी.ए. में हुईं जो भी फाइनेन्शियल घोटाले डी.डी.सी.ए. में हुए, वो सब फाइनेंस मिनिस्ट्री अब मैनेज कर रही है। ये काम उनको मिला है। बार-बार ये सवाल उठाया जाता था कि अभी जैसे अलका जी ने बोला कि ये दिल्ली सरकार का एरिया नहीं है। its a private company and so we can not interfere and its mean we could not interfere then for god's sake speaker sir, let me know कि क्यों मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार को लिखा कि डी.डी.सी.ए. में हो रहे घोटालों की जांच करे? क्या मोदी सरकार को ये नहीं पता था कि दिल्ली सरकार और दिल्ली विधान सभा डी.डी.सी.ए. में इंटरफेयर नहीं कर सकती? पर उनको भी ये पता था कि घोटाले हो रहे हैं और उसकी जांच होनी चाहिए। पर उनको नहीं पता था कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार को लेकर कितना सिरीयस हैं! भ्रष्टाचार के खिलाफ तो वो कुछ भी करेंगे तो तुरंत एक इन्क्वायरी कमेटी बिठाई गई, बार-बार नाम आ रहा है, चेतन सांघी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई गई तो फिर अरुण जेटली जी को लगा कि ये तो पासा उल्टा पड़ गया, अब तो ये

इंक्वायरी करेंगे, अब तो ये मेरे आफिस में आएंगे तो उन्होंने *as a Finance Minister with the help of the hon'ble prime minister Narendra Modi misused his office* और छापा पड़ना चाहिए था डी.डी.सी.ए. के दफ्तर पर, छापा पड़ता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दफ्तर में और अधिकारियों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, राजेंद्र जी यहां बैठे हैं, उनसे यही सवाल पूछे जाते हैं कि डी.डी.सी.ए. की फाइल कहां रखी है, ये बता दो, अरुण जेटली की फाइल कहां रखी है, ये बता दो? हम तुम्हें छोड़ देंगे। पर ये साहब भूल गए कि ये सरकार किस नीयत से बनी थी! अगर किसी भ्रष्टाचार के पीछे पड़ गए तो उसे खत्म करके ही मानेंगे, ऐसे तो नहीं।

दो-तीन चीजें अलका जी ने बताईं, एक चीज मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगी कि जिस कंपनी के बारे में उन्होंने ये बोला कि डी.डी.सी.ए. ने लोन दिया, पहली बात तो डी.डी.सी.ए. के पास ये पॉवर ही नहीं है कि वो लोन दे और लोन जब दिया तो दिया उस पर जब इंक्वायरी की गई तो उसके एक अधिकारी ने बोला कि हमने लोन इसीलिए दे दिया क्योंकि इंट्रेस्ट आ जाएगा और वहीं जब दूसरे अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बोला, "नहीं कोई लोन नहीं दिया गया था। पुराने पेमेंट को दिया गया था।" यानि अधिकारियों को भी नहीं पता कि वो कैसे गए कहां? उनमें खुद की क्लेरिटी नहीं है कि वो कैसे गए कहां? *substantial payment were made to nine companies which in our investigation turned out to have the same registered office, same e-mail ID as well as common directors,*

duplicate bills were issued and the reason for payment are falsified by ledger entry iwjh rjg ls financial misappropriation हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है। पूरे दिन रात दिल्ली के बच्चे मेहनत करते हैं कि वो क्रिकेट खेलें मेरा खुद का देवर, अभी मेरी शादी हुई है, दिन-रात मेहनत करता है कि वो क्रिकेट टीम में पहुंचे लेकिन वो कैसे पहुंचेगा? क्योंकि वहां पर तो एज प्रूफ फर्जी बनाए जाते हैं। जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास सोर्स है, डी. डी.सी.ए. में उनका तो एज प्रूफ फ्री में बनता है और वो क्रिकेट खेलते हैं और उन में बार-बार क्यों कहना चाह रही हूं? क्योंकि ये सरकार दिल्ली के यूथ के लिए बहुत सीरियस है, हम बार-बार एजुकेशन को बढ़ाने की बात करते हैं, हम बार-बार ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स को सुधारेंगे और इसी दिल्ली के ज्योग्राफिकल बाउंडरी के अंदर क्रिकेट के साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है! लोगों के इमोशनस के साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है! ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर एक दिन और चर्चा हुई थी। एक कमेटी बनाई गई थी पर उस कमेटी का क्या हुआ? एल.जी. साहब ने बोल दिया null & void। हमारे ये विधायक बैठे हैं संजीव झा, जरनैल भाई बाहर बैठे हैं जब ये राशन माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो एल.जी. साहब इनके खिलाफ एफ.आई.आर. करवा देते हैं और अरुण जेटली जी का घोटाला सामने है, खुद मीडिया बता रही है, खुद उनकी पार्टी के एम.पी. कीर्ति आजाद जी जोर-जोर से बोल रहे हैं और ...(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधान: अध्यक्ष जी, नाम लिए जा रहे हैं बार-बार, आपके कहने के बावजूद भी

...(व्यवधान)

श्रीमती सरिता सिंह: भ्रष्टाचारियों का नाम क्यों नहीं लेंगे? अरुण जेटली जी के खिलाफ एफ.आई.आर. नहीं करा पा रहे एल.जी. साहब। ये क्या दबाव है एल.जी. साहब के ऊपर?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, जेटली का तो ले रहें हैं ना। ये, जिसके विरुद्ध सारा है, मुख्यमंत्री का छोड़कर।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डी.डी.सी.ए. के चेयमैन का नाम ले रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता: चेयरमैन कहो, मंत्री कहो, जो कहना है कहो

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है...(व्यवधान).

श्री विजेन्द्र गुप्ता: नाम ना लो...(व्यवधान)

श्रीमती सरिता सिंह: सर, नाम लेने में इतनी तकलीफ है पर डी. डी.सी.ए. में जो घोटाला चल रहा है, उसमें वो हमारा साथ दें, उसमें कोई इंट्रेस्ट नहीं है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्रीमती सरिता सिंह: अध्यक्ष महोदय, ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सदन कब तक ऐसे ही चलता रहेगा कि हमने कोई फैसला लिया, दिल्ली सरकार ये फैसला नहीं लेती, दिल्ली विधान सभा यानि पवित्र मंदिर, लोकतांत्रिक मंदिर एक फैसला लेता है कमेटी बनाकर भेजी जाती है और उस कमेटी का आज की क्या स्थिति है? वो कुछ नहीं पता। एल. जी. साहब उसे null & void कर देते हैं तो एल.जी. साहब ऐसा तो नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाह रही हूँ कि यहां पर चुने हुए लोग बैठे हैं, यहां पर वो बैठे हैं जो दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करके ही मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए और डी.डी.सी.ए. falls under the geography of Delhi उसका आफिस भी दिल्ली की ही किसी विधान सभा क्षेत्र में पड़ता होगा तो वो हमारे purview से बाहर नहीं हो सकता तो इसीलिए डी.डी.सी.ए. में जो malpractices चल रहीं हैं जो money misappropriation चल रहा है, जो घोटाले चल रहे हैं वो सबको पता है, मीडिया के माध्यम से, सदन के माध्यम से और बार-बार यही गुजारिश है कि उसे हल्के में ना लें। हमारे बच्चों के भविष्य को क्रिकेटर्स की जिदंगी को हल्के में ना ले, बहुत भारी पड़ेगा, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद। अजय दत्त जी।

अध्यक्ष महोदय: श्री अजय दत्त।

श्री अजय दत्त: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इतने गम्भीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। इस देश की एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि जो लोग करप्शन में लिप्त हैं, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो जनता

के इंटरैस्ट को, उनको हार्म कर रहे हैं, उन लोगों को इस देश की सैंटर की सरकार बचा रही है और जो लोग, गरीब हैं, दलित हैं, माइनोंरिटी में हैं, उनसे ये पूछा जाता है कि आप ये क्यों खा रहे हो जी? आप ये क्यों बोल रहे हो? आप ये क्यों पहन रहे हो जी? और उन्हें अगर उन सरकार को कुछ ओर नहीं मिलता तो कम्युनिटी के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को मारते हैं, दबाते हैं। ये एक बहुत बड़ा गम्भीर विषय है जिसमें देश की जनता, दिल्ली की जनता, उसके बच्चे जो सचिन तेंदुलकर बनने का सपना देखते हैं, राहुल द्रविड़ बनने का सपना देखते हैं और चाहते हैं कि हम इस देश को बढ़ाएं। डी.डी.सी.ए. एक ऐसी बॉडी है जिसमें काफी सालों से घोटाला चल रहा है और इस घोटाले की जांच के आदेश दिल्ली गवर्नमेन्ट ने नहीं दिये, इसमें मैं आपको यहां पर ये बताना चाहूंगा इस सदन को, इस घोटाले की जांच के आदेश 26 अगस्त, 2015 को यूनियन मिनिस्टरी ने खुद ही दिये हैं और जब इस जांच के आदेश दिये थे, मुझे ये लगता है कि उस समय उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि इस जांच में खुद ही फंस जाएंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने इस केस को बहुत ही सीरिसली लिया और इस जांच को कराने के लिए सी.बी.आई. के भी आदेश हुए और सीबीआई भी इस जांच को दिल्ली सरकार की मुहिम से पहले ले रही थी लेकिन उस समय तक वो सिर्फ नाम के वास्ते काम कर रहे थे, इस जांच में एक एजेंसी है, सी.आई.सी. उसने आर.टी.आई. के माध्यम से ये पता किया कि स्टेडियम को हर साल कितने पैसे आते हैं रेंट के तौर पर। उसमें पता चला 24 लाख 68 हजार रुपये कुल इस स्टेडियम के रेंट के तौर पर दिये जाते हैं जब कि अगर आज आप इस स्टेडियम का रेंट तय करें तो कम

से कम 15 से 16 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इस स्टेडियम के लिए आने चाहिए। इस स्टेडियम में जब कुछ काम कराए गए, मैं आपको एक बहुत ही सीरियस विषय बताना चाहूंगा कि करप्शन के ऐसे मामले तक हुए हैं कि एक कम्पनी कॉलिस बिल्ड कास्ट करके है। उसको एक काम दिया गया 1 करोड़ 99 लाख रूपये में और वही काम एक स्काई डेट इंडिया प्रा.लि. करके एक कम्पनी है, वो काम पहले ही पूरा कर चुकी थी। तो ये काम के जो पैसे एक कम्पनी ने किया दूसरी कम्पनी को भी उस काम का पैसा दिया गया तो ये साफ-साफ घोटाले देखे जा रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट या भा.ज. पा. की गवर्नमेंट के जो अधिकारी बार-बार छाती ठोकते हैं कि ना तो हम खाएंगे और ना हम खाने देंगे, अरे साहब, आप तो स्टेडियम तक के, जो बच्चों के भविष्य को निर्धारित करता है, उसके पैसे खा गए और एक बड़ा घोटाला इसमें चल रहा था। इसमें फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर जो बच्चे कैपेबल बच्चे हैं, उनको पीछे हटाया गया और फर्जी एज प्रूफ सर्टिफिकेट के आधार पर जो बच्चे एज एक्सीड कर गए थे, उनको एडमिशन दिया गया। उनको खिलाया गया, क्रिकेट की अलग-अलग संस्थाओं में क्लब बनाए गए, तीन क्लब बने हुए थे। उन तीनों क्लबों में एक ही एड्रेस था, वे तीनों के तीनों क्लब फर्जी निकले। तो दिल्ली के बच्चों के साथ जो बच्चा सपना देखता है कि मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ तो मैं खेल में अपनी महारत दिखाऊंगा, वो बच्चा मेहनत करता है और चाहता है कि मैं दिल्ली का और देश का नेतृत्व करूँ और इस देश में बहुत बड़ी उपलब्धियाँ पाई हैं और अधिक अच्छे बच्चे उसमें आ सकते थे लेकिन उनका भविष्य चौपट कर दिया गया!

अध्यक्ष महोदय एक बड़ा खुलासा मैं आपके सामने करना चाहूंगा जब ये कॉरपेट बॉक्सेज को जगह दी गई की भई कॉरपेट बॉक्सेज यहां लगाएंगे और उससे एकस्ट्रा इनकम होगी। उन बॉक्सेज की एक सीट की फीस 5 हजार रुपये तय की गई थी और जब भी मैच होते थे तो उस टिकट के वो सिर्फ 100 रुपये की पर्ची काट के दिखाते थे या उसे फ्री दिखा देते थे।

अध्यक्ष महोदय: कन्कलूड करें प्लीज।

श्री अजय दत्त: तो करीबन उसमें 2 करोड़ रुपये के आसपास हरेक मैच में उन्होंने कमाया होगा जबकि दिखाया गया करीबन—करीबन 5 हजार या 10 हजार रुपये। इतने बड़े-बड़े घोटाले करने के बाद में, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्या बी.जे.पी. की सरकार को जुमला बाजी करना पसंद है? उनको ये कहना है कि हम इस देश को बदल रहे हैं, हॉ जी, आप बदल रहे हैं, आप करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, हॉ जी, आप बदल रहे हैं। आप अराजकता फैला रहे हैं, हॉ जी, आप बदल रहे हैं। आप माइनोंरिटी को दबा रहे हैं। जी हॉ, आप बदल रहे हैं। कोई भी सरकार या स्टेट गवर्नमेन्ट या यू.टी. गवर्नमेन्ट अगर करप्शन को रोके तो उनके हाथ काटे जाते हैं, हमारे सी.एम. जो ईमानदारी से गवर्नमेन्ट चला रहे हैं, उनके ऑफिस पर रेड करके उन्हें प्रताड़ित किया जाता है व उनके ऑफिसर्स को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। इन फोर्सिस को आप रोकें। ये खेल सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही नहीं, हॉकी के बारे में भी मैं आपके सामने गुहार लगाऊंगा। हॉकी को आज तक इतना क्यों नहीं बढ़ाया गया?

क्योंकि इसमें ज्यादा पैसे नहीं आते जी। सिर्फ क्रिकेट को बढ़ाया गया, हॉकी को आज तक कोई ज्यादा सम्मान नहीं दिया गया, न ज्यादा टैक्नीकस दी गई। तो मैं आज आपसे नम्रतापूर्वक ये अपील करता हूँ कि आप इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बैठाएं और इसकी सख्त से सख्त जांच हो, दिल्ली के सभी बच्चों को न्याय मिले जो खेल के प्रति अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं और जो भी लोग इसमें लिप्त रहे हैं, बी.जे.पी. के नेता जो आज देश के फाईनेंस मिनिस्टर कहलाते हैं, उनकी जवाबदेही हो, उनसे जवाब लिया जाये, इन सब चीजों पर और अगर उन्होंने करप्शन किया है तो उनको इसकी सजा मिले। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसमें एक जांच कमेटी गठित करके इसको सिरीयसली लिया जाए। धन्यवाद सर।

अध्यक्ष महोदय: श्री विजेन्द्र गुप्ता जी। श्री राजेन्द्र गौतम जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम: धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद। आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। ये बेहद दुख की बात है कि डी.डी.सी.ए. जैसी संस्थाएं दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक तरफ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का निर्माण इसलिए किया गया था कि दिल्ली के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बच्चे क्रिकेट में अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको अवसर प्रदान हो और दिल्ली व देश का नाम रोशन करें लेकिन ये डी.डी.सी.ए. चंद कॉरपोरेट घरानों की कटपुतली बनकर रह गया। इसका वोट का सिस्टम जो इतना जटिल है कि जानबूझ कर इस तरह की cricketAcademies एक ही एड्रेस पर और कुछ लोगों ने मिलकर बना ली। यहां तक कि जो

ऑफिस बेयरर्स हैं, उन्होंने बना ली ताकि इस डी.डी.सी.ए. पर कब्जा करके रखा जा सके और कितने ही प्रकार के, नाना प्रकार के घोटले, नाना प्रकार के फ्रॉड embezzlement of funds वो इस डी.डी.सी.ए. के संरक्षण में यहां पर किए गए। एक संस्था बनी जिस संस्था ने NCT Cricket Association जिसमें कुछ देश के जाने माने क्रिकेटर भी सदस्य थे, उन्होंने जब इस तरह की irregularities और embezzlement fund को नोटिस किया तो उन्होंने एक एफ.आई.आर. दर्ज कराई the FIR No. was 538/2014 जिसमें कई प्रकार की चीजें थी जिसको जांच के दायरे में लिया गया। इसमें tax evasion frequent violation of corporate laws and norms of corporate governance and commission of serious offences under the Indian Penal Code including section 406, 420, 465, 468 इसके दर्ज होने के बाद जब इसमें जांच शुरू हुई तो कई प्रकार के irregularities सामने आई, जिसमें मुख्य रूप में criminal breach of trust and cheating by DDCA and its office bearers in making payments regarding the construction of Feroz Shah Kotla Stadium. Initially जो टेंडर दिया गया ये 2002 से 2007 के बीच फिरोज शाह कोटला मैदान को reconstruct करने का, तो वो ठेका केवल 24 करोड़ का था। लेकिन without following the retendering process ये अपनी reach से beyond जाकर इसके 124 करोड़ में तैयार किया गया कितना बड़ा घोटला हुआ कि जो Government के रूल्स रेगुलेशन्स है जो tendering process के नॉर्म्स हैं उसको टोटल violate करते हुए अपनी मर्जी से इनके office bearers ने इस 24 करोड़ के स्टेडियम को बनाने के बजाए उस पर 114 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। इनकी जवाबदेही

बनती है और मैं समझता हूँ हम लोग जब लॉ पढते थे तो हमने law of torts में पढ़ा था vicarious liability of state. Vicarious liability of state का मतलब है जिस प्रकार एक गाड़ी का मालिक अपनी गाड़ी को चलाने के लिए अगर ड्राइवर को दे देता है और वो गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट पर होने के बाद केवल ड्राइवर जिम्मेदार नहीं होता बल्कि उसके साथ-साथ जो गाड़ी का मालिक होता है वह भी जिम्मेदार होता है इस डी.डी.सी.ए. के चेयरमैन 1999 से 2014 तक माननीय अरुण जेटली जी रहे। how can he escape from his responsibility and liability वो अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं ? इतना बड़ा घोटला, इतने बड़े-बड़े embezzlement of funds हुए और उनके अध्यक्षता से रहते हुए एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि उन्होंने इसमें डायरेक्ट खुद कुछ नहीं किया तो क्या वो अपनी इस जिम्मेदारी से बच सकते हैं? चूंकि being president of DDCA अगर उसमें इतने बड़े-बड़े घोटले हो रहे हैं, वो यह कह सकते हैं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है या कोई specific allegation नहीं है, specific घटनाक्रम ये सारा का सारा इस एफ.आई.आर. के अंदर सारा निकल कर आया जो जजों की कमेटी बैठी, उस में कमेटी ने जो हेल्ड किया, वो भी मैं सदन के नोटिस में लाना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, Another irregularity related to stadium construction is the issue of the lack of lease of Feroz Shah Kotla Stadium it was claimed by the DDCA to the investigation team from the SFIO that lease renewal has been put to hold because of the insistence

of Ministry of Urban Development on a completion certificate for the stadium the DDCA is operative the Feroz Shah Kotla Stadium under a license from the Ministry of Urban Development paying an annual licence fee of Approx. 24.64 lakhs. The terms of this license allow the DDCA to utilize the stadium for a yearly license fee of Rs.24.64 lakhs is heavy subsidy for promoting the game of cricket. The Central Information Commission while deciding whether the DDCA comes within the purview of the RTI Act noted based on those submissions of the Ministry for Urban Development the annual lease grant for the stadium was out come rupees 16 crore जो 16 करोड़ होना चाहिए था, वह केवल 24.64 लाख में इसको लीज पर दिया गया लेकिन उन्होंने कितनी चालाकी की! उन्होंने इसके अंदर 10 कार्पोरेट बाक्सेज बना दिये और 10 बाक्सेज को 10 साल के लिए लीज पर सब-लीज कर दिया। illegal sub-lease DDCA has illegal constructed 10 corporate boxes ये कार्पोरेट बाक्सेज भी illegal बनाए गए। which was not permitted under the law in the stadium and have sub-lease these boxes for ten years to cooperate collective approx. Amount of Rs.36 crore. To see how many kind of forgery in age verification or in construction or taking on rent these lap tops or printers such kind of illegal activities was being done under the leadership of Hon'ble Arun Jaitely ji how can he escape from the liability? मैं समझता हूँ कि माननीय जेटली जी को जो शुरू से एक भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद irregularities को उठा रहे थे, तो जिम्मेदार

अध्यक्ष होने के नाते उन को चाहिए था उन पर संज्ञान लें, उसकी जांच कराएं और यहां तक एक चीज देखने में आई है कि बीच में इसमें एक कमेटी बनाई इसकी जांच के लिए जो कमेटी खुद डी.डी.सी.ए. ने बनाई, उस डी.डी.सी.ए. की जांच कमेटी ने भी the executive committee of the DDCA itself set up a fact finding committee to look into allegations of large scale financial irregularities which did so only for the year 2013-14 and records till 9/12/2014 and for this limited period, the committee found that there is evidence of huge financial irregularities. The Committee goes on to note that on enquiry it has been revealed that many serious and illegitimate payments have been made to certain companies 2013-14 till 9/12/2014 not only this, it is apparent fact that association is over staffed still a lot of money has been spent on hiring superfluous workers. जो लोग वहां काम ही नहीं कर रहे थे, ऐसे ही फर्जी बनाकर भी उनके नाम पर भी पैसा वसूला गया और न केवल इतना बल्कि ओवर टाईम भी वसूला गया। इतनी बड़ी-बड़ी irregularities जब उनकी खुद की बनाई कमेटी ने उनके सामने रख दी, फिर आखिर वो कैसे escape कर सकते हैं अपनी liability के लिए, इनती सारी irregularities उनकी आंखों के नीचे लगातार चलती रही और वो मूक दर्शक बनते रहे जबकि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद लगातार उस आवाज को उठा रहे थे कि यहां irregularities हैं, यहां पर financial embezzlement funds हैं। उसके बाद उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया।

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करिए अब राजेन्द्र जी। कन्क्लूड करिए।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि after seeing these serious allegations and seriousness nature of this case a special investigating team should be appointed from the respective MLAs और ये जांच होनी चाहिए। ये जांच सच निकाल कर लाए ताकि जो उन्होंने इस जांच दबाने के लिए आम आदमी की आवाज को दबाने के लिए जो एक फर्जी केस उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर सिविल का defamation का डाल दिया और क्रिमिनल डाल दिया पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर। इस तरह के केसेज डालकर क्या वो आम आदमी पार्टी की अच्छाई और सच्चाई के लिए जो लड़ाई जा रही है, उस आवाज को दबा सकते हैं? मैं समझता हूँ कि हम दबाने वाले ओर डरने वाले नहीं हैं। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं हो जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि एक स्पेशल टीम बनाई जाए जो इस matter को investigate करे और सच जनता के सामने लाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

अध्यक्ष महोदय: श्री विजेन्द्र गुप्ता।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, आज जो यहां चर्चा हो रही है, पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। मैं, शुरू करता हूँ, तीसरी अन-सक्सेस फुल अटेम्पट है। रूलिंग पार्टी का पहला अटेम्पट हुआ— एक कमेटी बनाई गई, चेतन सांघी और पूनम श्रीवास्तव और राहुल मेहरा उसके सदस्य थे और चेतन सांघी,

अध्यक्ष थे। देखिए मजे की बात! पहले स्क्रिप्ट लिखी गई फिर कमेटी बनाई गई और चेतन सांघी को... 248 पेज की एक रिपोर्ट पहले ही बना ली, अपने आप ही ई-मेल की गई आशीष खेतान द्वारा की ये रिपोर्ट तो हमने बना दी है। कमेटी तो एक दिखावा है, इस पे साइन कर दो। मेरे रिकॉर्ड में लिया जाए, जो भी मैं बोल रहा हूँ। कमेटी से पहले रिपोर्ट कहीं ओर तैयार हो रही है। ई-मेल से सांघी की मेल पर 248 पेज की रिपोर्ट भेजी जा रही है। उसमें राहुल मेहरा जी ने कहा कि वित्त मंत्री जी का नाम इसमें लिखो, चेतन सांघी ने इंकार किया और बाद में फिर जो कुछ हुआ, वो आपके सामने है।

अध्यक्ष महोदय, फिर दूसरा अटेम्प्ट, अनसक्सस अटेम्प्ट— कमिशन आफ इंक्वायरी के नाम पर गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। क्योंकि ये अधिकार में था ही नहीं, ये वो भी जानते थे, सरकार भी जानती थी। लेकिन फिर भी रिपोर्ट पहले से बनाई हुई थी और वो जनाब भी निकल गए और यहां पर कुछ बातें में स्पष्ट कर दूं। तीन चीजें इस पूरे मामले से जुड़ती हैं। पहला है इशू-लेण्ड, लेण्ड इस सदन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दूसरा, वे एक कम्पनी हैं, डी.डी.सी.ए., कम्पनी लॉ इस सदन का विषय नहीं है और तीसरा है, स्पोर्ट्स, एक सेन्ट्रल सब्जेक्ट है ये तीनों। अभी यहां पर गौतम जी कह रहे थे कि वहां इन-लीगल कन्सट्रक्शन हुई, ये हुआ, वो हुआ। डी.डी.सी.ए. के पास कम्पलीशन सर्टिफिकेट है, सीसीए, अगर वहां पर अन-ऑथोराइजकन्सट्रक्शन है या होती या थी तो कम्पलीशन सर्टिफिकेट कैसे इशू हो गया? इसका मतलब यह है कि कम्पलीशन सर्टिफिकेट कोर्ट की, कोर्ट के आदेश पर कोर्ट के रिकॉर्ड में यह कहा गया और कम्पलीशन सर्टिफिकेट दिया गया तो जो सरकार में बैठे लोग जो यहां बात कर रहे हैं। यहां पर कहा गया, एक सैकेण्ड, एक सैकेण्ड

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बैठिए आप बैठ जाइए प्लीज। आप बैठ जाइए। हमें सदन को चलाना है न ठीक से।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: उसके बाद आपने कहा कि वहां मैच नहीं होने देंगे। वहां वर्ल्ड कप का मैच हुआ, वहां आ.ई.पी.एल. के मैच हुए, वहां साउथ अफ्रीका के साथ मैच हुआ अभी लगातार मैच हो रहे हैं। आप यहां पर अपना डिस्टर्ब करने की कोशिश करते रहिए। आप ने कहा बॉक्सज जो हैं, वो बेच दिए गए। हां, न अलॉट कर दिए गए, बेच दिए गए उसमें करप्शन कर लिया। क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां पर जितनी चर्चा होती है, उसके पीछे एक पूर्वाग्रह होता है, अनैतिकता होती है। इसलिए सच को जानने की कभी कोशिश नहीं होती। इतनी बढ़िया स्कीम कि बॉक्सेज पर जो भी एक्सपेन्डीचर वहां स्टेडियम में हुए, वो रिकवर किए गए और सिर्फ उन कम्पनियों को दस साल के लिए टिकट ऐडवान्स में दी गई उन बॉक्सेज की, जो दस साल पूरे हो गए हैं और अब वो बॉक्सेज कम्पनियों के पास नहीं है, डी.डी.सी.ए. के पास ही हैं, स्टेडियम का ही पार्ट है। क्योंकि उसकी जो कन्सट्रक्शन के लिए जो करोड़ों रुपये की जो कॉस्ट आई थी, वो कम्पनियों को एक तरह का, एक ऑनर किया गया था कि आप इनको दस साल के लिए, जब भी मैच होगा, इनको आप इस्तेमाल करेंगे। ये टिकटें एक तरह से उनको दी गईं। दस साल पूरे हो गए। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो गया। अब वो बॉक्सेज भी जनता के लिए समर्पित हैं। जबकि उसके स्टेडियम के बनने की कॉस्ट वहां पर रिकवर कर ली गई। हमारा कहना

है कि ये जो-जो बातें यहां की जा रही हैं, मनगढ़त हैं और कोर्ट में सारा फैसला आ जाएगा। कुछ और भी लोग कोर्ट गए हैं, वो भी फैसला आ जाएगा। जो गली-गलोच आप कर रहे हो, जिस तरह की भाषा आप बोलते हो, जिस तरह से आप लोगों को बेइज्जत करने की कोशिश करते हो, जनता देख रही है कि आप लोगों का व्यवहार क्या है? आप प्रधानमंत्री जी से लेकर इस देश के हर सम्मानित व्यक्ति को, आप पत्रकारों, आप इंरजेन्सी लगा रहे हो। आप मौके पर जाते नहीं हो और पत्रकारों को सस्पेंड कराते हो। ये जो मानसिकता है न ये अराजकतावादी, ये ज्यादा दिन चलेगी नहीं। इसलिए 25 प्रतिशन वोट शेयर आपका दिल्ली में कम हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में इतना कहूंगा कि आज भी इस हाऊस में जो कमेटी बनाने की बात की जा रही है, थर्ड अन-सक्ससेफुल अटेम्प्ट सिद्ध होगा आपका। क्योंकि इस हाऊस को उन विषयों पर कमेटी बनाने का हक नहीं है, जो विषय इस सरकार के तत्वधान में नहीं आते। इसलिए मैंने अपना वक्तव्य संक्षिप्त रखा है और मैं, इतना कहूंगा, इस पूरी बात पर कि ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि सरकार को सद-बुद्धि दे। ये सकारात्मक काम करने के लिए समय लगाए। इस सदन का समय सिर्फ बदले की भावना से काम करने के लिए व्यर्थ न करें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: प्लीज नितिन जी, मुझे साढ़े तीन बजे चाय का ब्रेक करना है। सोमनाथ भारती जी, नहीं, नहीं दो मिनट रूक जाइए प्लीज, नहीं नितिन जी। अब नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बात को मानिए, सोमनाथ भारती जी। भाई नितिन जी, नहीं, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को समझ लीजिए। सोमनाथ जी जल्दी बोलिए।

श्री नितिन त्यागी: सर, एक तो मैं यह विजेन्द्र जी की बात को थोड़ा का क्लेरिफाई करना चाहूंगा। सीसी मिलने के बाद में वहां पे इल्लीगल कन्सट्रक्शन किया गया। जैसी कि बी.जे.पी. की परंपरा रही है। इल्लीगल कन्सट्रक्शन में एम.सी.डी. में भी जाने जाते हैं, वैसे वहां पे भी इल्लीगल कन्सट्रक्शन रहा और जिस तरीके की जांच यहां पर कराई गई और जो भी भ्रष्टाचार यहां पर हुआ, बिना नक्शे के जब बॉक्सेज बने और बिना नक्शे के, बिना किसी प्रोसेस के, कोई प्रोसेस नहीं बता पाए बिजेन्द्र जी, कि प्रोसेस नहीं कोई भी लागू किया गया। उन बॉक्सेज को अलॉट करने के लिए... बिजेन्द्र जी बैठ जाइए। उसके अलावा मैं, चीजों को रिपीट नहीं कर रहा। सिर्फ कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि जब इलेक्शन भी वहां पर हुए, उसमें बहुत सारा फ़ॉड पाया गया। वहां पर जिस तरीके से पैसा बढ़ा, 24 करोड़ रुपये से उठ के 114 करोड़ तक पहुंचा, उसके बारे में बहुत ज्यादा घपला पाया गया। कम्प्यूटर बीस-बीस हजार में दिए गए, उसमें भी घपला पाया गया। जिस तरीके की कमेटी, देखिए सर, आपकी सरकार, आपकी केन्द्र की सरकार की तो आदत है। आप आई.एस.आई. को बुलाते हो पठान कोर्ट की जांच के लिए। आई.एस.आई. को बुला लो इसकी जांच के लिए। आप किसी को भी बुला सकते हो जांच के लिए। इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड है आप लोगों का!

अध्यक्ष महोदय: नितिन जी, आप अपनी बात रखिए प्लीज।

श्री नितिन त्यागी: सर, आप कहते हैं कि हम लोग पूर्वाग्रह से.... इस तरीके की बातें करते हैं। हाँ, पूर्वाग्रह से करते हैं, पर पूर्वाग्रह भ्रष्टाचार

को रोकने और उजागर करने के लिए होता है हमारा। इतना सब हुआ सर। सिर्फ एक सवाल है कि इतना सब हुआ, अरुण जेटली जी की अध्यक्षता के रहते हुए तो या हमारे माननीय जो वित्त मंत्री हैं, उनके रहते हुए, इतना भ्रष्टाचार हुआ तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि वो XXX5 हैं या भ्रष्ट हैं या दोनों है कि उनके रहते ये सब हुआ? XXX

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: XXX शब्द कार्यवाही से निकाल दीजिए।

श्री नितिन त्यागी : XXX

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नितिन जी, अब बैठिए प्लीज। वो बोल तो दिया मैंने निकाल दिया भाई। सोमनाथ भारती जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जगदीश जी, मैंने वो शब्द निकाल दिया है बैठिए, बैठिए। सोमनाथ भारती जी। अमानतुल्लाह जी, हम विषय की गंभीरता को खत्म कर रहे हैं। ये विषय इतना गंभीर है उसकी गंभीरता को भी खत्म कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष महोदय, इतने संवेदनशील मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बड़े ध्यान से हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि माननीय विजेन्द्र गुप्ता जी किस तरफ... ये उनकी

⁵XXX चिह्नित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

तरफ हैं जो खजाने को लूटकर के अपने दोस्तों में, परिवारों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं और बांट रहे हैं या उनकी तरफ हैं, जिनकी कि सारी की सारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है ? जब जैसा आज मैंने पहले कहा कि भा-ज-पा- कांग्रेस और अन्य पार्टियां देश को बांटती है – धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। आम आदमी पार्टी बांटती है लेकिन वो दो कैटेगरीज में— एक शोषक और एक शोषित। शोषित के साथ ये पार्टी खड़ी है। शोषकों की पार्टी भाजपा! शोषकों की पार्टी कांग्रेस! इन दोनों ने मिलकर के जो बेड़ा गर्क किया है देश का, उसका एक नायाब नमूना है डी.डी.सी.ए. का। ये चाहते हैं कि ऐसे स्टेप पर चर्चा न हो, इनकी दोस्ती यारी है। हम सबने बड़े अरमानों के साथ ये सोचा था कि माननीय प्रधानमंत्री जब आयेंगे तो कई नेता कांग्रेस के जेल जायेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जितने भी इन्वेस्टीगेशन्स, जितनी भी जांच प्रक्रिया शुरू हुई थी और जितने भी मुद्दे सी.बी.आई. इन्वेस्टिगेट कर रही थी, भा.ज.पा. नेताओं के खिलाफ, वो सारे के सारे मुद्दे एक तरह से बन्द कर दिए गए और सम्मानपूर्वक उन सबको छोड़ दिया गया जो जेल जा चुके हैं। सी.बी.आई. ने भा.ज.पा. के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल भेजा था और वो जेल काट चुके हैं और उस मामले को सी.बी.आई. ने बन्द कर दिया! इतना बड़ा झूठ, अभी माननीय विजेन्द्र गुप्ता जी बोल रहे थे कि आशीष खेतान ने एक पहले से रिपोर्ट बना दी! ये हमारी पार्टी है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये भा.ज.पा. की सरकार नहीं है, जहां कि इस तरह की कांस्प्रेसी होती है और हुई होती तो आपके पास सी.बी.आई., आपके पास सी.आई.डी., आपके पास सी-वी-सी. और हमारी इकलौती ए.सी.बी. थी, उस पर भी आपने कब्जा

जमा लिया। तो कर क्या रहे हो? क्यों नहीं अरेस्ट कर लेते? क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन कर लेते? आप चाहते नहीं हैं कि भ्रष्टाचार के उपर इन्वेस्टिगेशन हो। आप चाहते हो कि भ्रष्टाचार पर चर्चाएं हों और जनता सोचे कि भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं। शुक्र है परमात्मा का, शुक्र है ऊपर वाले का, शुक्र है अल्लाह का। रमजान का महीना चल रहा है कि आम आदमी पार्टी देश में आ गई। अब इनकी सारी की सारी कांस्प्रेसी, ये जो दिल्ली में है, पंजाब में आ रही है, गोवा में आ रही है। इंतजार करो हिन्दुस्तान के हर हिस्से में आ रही है। चिंता न करो। अब भारत की राजधानी में अब तीन पर आ गए। ये झूठ बोलने में पी.एच.डी. हासिल कर रखी है। हमारे साथी विजेन्द्र गुप्ता जी इस सदन के साथी हैं। मुझे लगता है कि इनको अपने मन में टटोलना चाहिए कि किसके लिए खड़े है आप? किसने इनको खड़ा कराया है? क्या उन लोगों ने खड़ा कराया है जिनको डी.डी. सी.ए. स्केम से फायदा पहुंचा है? ये गाते किसी और की और खाते किसी और की। खाते हैं जनता की और गाते है उन स्कैमेस्टर की, जिन्होंने इनको पता नहीं क्या दे रखा है। उसमें भी जांच होनी चाहिए। काश! हमारे पास भी कोई ए.सी.बी. होती! एक एजेंसी हमारे पास होती तो सारे के सारे भ्रष्ट जेल में होते! यही तो आपको डर है। इस वक्त आपने ए.सी.बी. पर कब्जा जमाया, इसलिए जमाया कि इनके हाथ से डंडा छीन लो। डंडा ले लिया और इस डंडे से मारेंगे आप लोग। कल कह रहे थे, अभी पिछली बार आप सदन में कह रहे थे कि 400 करोड़ रुपये का स्केम हो गया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि एक बार तो देके देखो ए.सी.बी., एक महीने के लिए दे के देखो, फिर बताते हैं कि कौन-सा स्केम

और कौन-सा स्कैमेस्टर बाहर रहता है ? वो आपकी ना मंशा है, ना आप करेंगे। जब चेतन सांघी जी की कमेटी बनी, अच्छा, ये शुरू कैसे हुआ? ये दिल्ली सरकार को दिया। किसने? 27 जुलाई, 2015 को एक चिट्ठी लिखकर बाकायदा आपकी सरकार ने हमारी सरकार को लिखा कि इसकी जांच करो। हमने अपने आप शुरू नहीं किया था। आपके आदेशानुसार हमने कमेटी फॉर्म की। चेतन सांघी साहब उसके हेड बने और वो रिपोर्ट सबमिट की गई 17 नवम्बर 2015 को। उसके चंद 22 दिन बाद ,जब ये फैसला लिया गया कि कमिशन ऑफ इंक्वायरी बननी चाहिए तो क्या किया आपने ? चेतन सांघी साहब के उपर आपने एक सी.बी.आई. केस दर्ज करा दिया। सारे ब्यूरोक्रेट्स में आपने एक डर का माहौल पैदा करने का प्रयास किया। बाईस दिन बाद ऐसे मुद्दे पर जो शीला दीक्षित के जमाने में, कोई कुछ दिखाकर के कि तब स्कैम हो गया था, तब गलती हो गई थी करके आपने उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया और 9 दिसम्बर 2015 को आपने उनके उपर एक एफ.आई.आर. दर्ज कर दी।

अध्यक्ष महोदय, अभी ये कह रहे थे कि तीसरा unsuccessful Attempt है भई, अगर आपके जो गहरे रूट्स हैं भ्रष्ट लोगों के साथ, हम तो करते रहेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों। हम तो उस मिट्टी के बने हैं कि हम अटेम्प्ट्स करना बन्द नहीं करेंगे। चाहे आप पूरा जोर लगा करके उसको unsuccessful करने का प्रयास करें। हम तो जोर लगाते रहेंगे। आज नहीं तो कल, इस देश के अन्दर डी.डी.सी.ए. स्कैमेस्टर्स जेल जाएंगे। ये हम आपको वादा करते हैं। वेट कर लो 2019

में कर लेंगे। लेकिन जेल भेजकर रहेंगे। ये कब तक बच सकते हैं ? अभी मालूम पड़ा है कि एम.सी.डी. में जो लोग, जिन सबको, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है उस दिन कि अगर हमारे पास एन्टीकरण ब्रांच होती तो 95 परसेंट आपके काउंसलर्स जेल में होते। अब मालूम पड़ा है कि सारे रिकार्ड्स खत्म किए जा रहे हैं, जितने सुबूत हैं, सब खत्म किए जा रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी आने वाली है और जिस दिन आयेगी, उस दिन वो काम करके दिखाएगी जिसका आपने सपना भी नहीं सोचा था। ये कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस के स्कैमेस्टर्स कंफर्ट जोन में हैं क्योंकि भा.ज.पा. पॉवर में है। भाजपा के स्कैमेस्टर्स कंफर्ट जोन में हैं क्योंकि कांग्रेस पावर में है। ये आप दोनों का जो पति-पत्नी का रिश्ता है न, उसको कई बार माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा और पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से आप दोनों ने इस पूरे देश को खोखला कर दिया, खजाने खाली कर दिए। हम तो अटेम्प्ट्स करते रहेंगे और हम तो प्रयास करते रहेंगे और पूरे देश को बताते रहेंगे कि किस तरह से आपने देश को खोखला किया।

अध्यक्ष महोदय, कंपलीशन सर्टिफिकेट पर झूठ बोला गया। अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर ये प्रिविलेज का मुद्दा बनता है, ये कंपलीशन सर्टिफिकेट उनके पास नहीं था और जो ढींग हांक रहे थे कि एक इन्टरनेशनल क्रिकेट मैच कराया गया। डी.डी.सी.ए. को ट्रस्ट नहीं किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। जस्टिस मुदगल की अध्यक्षता में कमेटी फॉर्म की और उनकी अध्यक्षता में वो क्रिकेट मैच कराया गया। उनके बड़े कमेंट्स बड़े इन्ट्रेस्टिंग कमेंट्स हैं अध्यक्ष महोदय। उन्होंने बाकायदा कहा कि किस तरह से डी.डी.सी.ए. के

अन्दर स्कैम्स पर गलतियों के उपर गलतियां हो रही थी और करप्शन के उपर करप्शन हो रहा था। भाषा की बात कर रहे थे कि लेंग्वेज कैसी यूज की गई। माननीय मुख्यमंत्री ने उस दिन कहा था और दिल से बात निकलती है। मैं पार्को में जाता हूं। लोग कहते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री बोलते हैं, बिल्कुल हम जैसे बोलते हैं अगर हम भी ऐसे बोलते तो वो कनेक्ट है ना। आपका कनेक्ट किसी अंबानी – अदानी के पास है, हमारा कनेक्ट, हमारा अदानी जनता है तो हम उसकी भाषा बोलते हैं। यह बाकायदा कहा, उस दिन कहा था कि आप अपने कर्म सुधार लो, हम अपने शब्द सुधार लेंगे और पूरे देश ने कहा कि अच्छा जवाब दिया!

अध्यक्ष महोदय, जब कमीशन ऑफ इंकवायरी बनने की नौबत आई तो उन्होंने फिर एक प्रेशर बनाने का प्रयास किया। हमारे एक बड़े सक्षम अधिकारी सीनियर ऑफिसर हैं, उनके ऊपर सी.बी.आई. का इन्वेस्टिगेशन करने का प्रयास किया और उस इन्वेस्टिगेशन के जरिये माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर जाकर के उन्होंने वो फाइलें हासिल करने का प्रयास किया जो कि डी.डी.सी.ए. की फाइल्स थीं और पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन द्वारा नहीं पूछा गया कौन-कौन सी फाइलें हैं? क्या चल रहा है? स्कैम की इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? अगर आपको इतनी चिंता है और यह बड़ी बात नहीं है कि जिस तरह से आपने सी.बी.आई. को मिस-यूज किया, हम सब ने देखा है कि जब-जब कोई भी बात आम आदमी पार्टी उठाने का प्रयास करती है तो आप सी.बी.आई. को मिस-यूज करते हो, आप सी.वी.सी. को मिस-यूज करते हो, आप ई.डी. को मिस-यूज करते हो, आप हमारे ए.सी.

बी. को मिस-यूज करते हो लेकिन हमारे मुख्यमंत्री और हम सब उस मिट्टी बने हैं कि आप कुछ भी करते रहें, हम सच बोलना बंद नहीं करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, अब कन्क्लूड कीजिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि हमारे साथी राजेन्द्र गौतम जी ने, अलका लाम्बा जी ने, सब ने स्कैम की डिटेल्स रखीं और किस तरह से ये बार-बार, बार-बार यह कहते रहे कि गलतियाँ जो हुई हैं, वो सिर्फ गलतियाँ हैं, वो क्यूरेबल हैं। यह क्यूरेबल डिस्सीज कह सकते हैं। यह डिस्सीज क्यूरेबल नहीं है, यह डिस्सीज पनिशेबल है। इसमें तो बाकायदा मुकदमे दर्ज होने चाहिए और जो माननीय मुख्यमंत्री ने उस वक्त एक तीन सदस्यीय समिति बनाई थी, माननीय गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में, उसकी जाँच पूरी होनी चाहिए और उस जाँच में दूध का दूध, पानी का पानी आये। माननीय अरुण जेटली जी में अगर थोड़ी सी भी शर्म है, देखिये, मैंने पहले भी कहा था, अरुण शौरी जी ने बाकायदा अपने एक लेख में कहा है कि माननीय अरुण जेटली जी is a puppet leader mask, leader supported by few journalists और यह बात साबित हुई अमृतसर में, जब इन्होंने चुनाव लड़ा, तो चुनाव बड़ी बुरी तरह हारे। उस वक्त हारे, जब पूरे देश में मोदी जी ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया!

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, आप कन्क्लूड कीजिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, जो डी.डी.सी.ए. का स्कैम है, साथ-साथ में मुझे याद है कि हॉकी के अंदर भी उनके हाथ नजर आ

रहे हैं। हॉकी स्कैम के अंदर भी उनके हाथ नजर आ रहे हैं। हमारी मुसीबत यह है, हमारी हेल्पलेसनेस यह है कि हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। अगर होती, तो फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ तो नहीं बैठे होते, कहीं ओर बैठे होते। हॉकी स्कैम के अंदर भी बाकायदा साफ-साफ उनके हाथ दिख रहे हैं। अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाये तो उनका रोल, उनका करप्शन और किस तरह से उन्होंने करप्ट लोगों को बचाने का प्रयास किया। किस तरह से उन्होंने जनता के पैसे को लुटाया, ऐशो-आराम के लिए पैसे लुटाये गये, मुझे लगता है कि इस स्कैम के जरिये बहुत बड़े-बड़े लोगों का नाम आयेगा। जेटली साहब तो अध्यक्षता कर रहे हैं बड़े करप्ट लोगों की और यह हमने नहीं कहा, उनकी सरकार ने कहा। उनके एक मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट ने यह बात उठाई। इसके बावजूद इसमें मिट्टी डालने का प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने डराने का प्रयास किया। जो क्रिमिनल और सिविल डिफेमेशन केस डाल कर इन्होंने डराने का प्रयास किया, लेकिन यह तो अरविंद केजरीवाल साहब हैं, यह तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आप केस करो, आप जेल में डालो, अगर जेल में डालोगे तो हम और फौलाद बन कर निकलेंगे वहाँ से।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट और लूँगा।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, अब कन्क्लूड कीजिए प्लीज। विषय पूरा हो गया।

श्री सोमनाथ भारती : क्योंकि यह स्कैम एक सिम्बॉलिक है। उनके पास तो स्कैम्स का जखीरा है। जहाँ हाथ डालो वहीं स्कैम निकलता है।

यह सिम्बॉलिक स्कैम है। मैं तो आपके जरिये सरकार से प्रार्थना करूँगा कि डी.डी.सी.ए. स्कैम की जो कमेटी बनी है जाँच करने के लिए, उस पर जितना तीव्र गति से काम हो सके, क्योंकि इनका समय निकल जायेगा। ये बड़े तेज हैं, इनके पास पाँच साल का वक्त है, इनका समय निकल जायेगा। ये जो ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहे हैं, वित्त मंत्री बने हुए हैं देश के, ये वो जारी रखना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये, सदन के जरिये आपसे और सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने हमारे ईमानदार ऑफिसरों की बेइज्जती की, जिस तरह से इन्होंने हमारे ईमानदार ऑफिसरों को डराने का प्रयास किया, यह एक ही तरीके से बंद हो सकता है। अगर डी.डी.सी.ए. स्कैम की तह तक जाकर देश के सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह बात लाई जाये कि पदों का दुरुपयोग किस तरह हो रहा है और सच का सच और झूठ का झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी, इस स्कैम की डिटेल्स बाहर आये और देश को अवगत कराया जाये कि जिसको आपने ट्रस्ट किया है, वो देश का क्या हाल कर रहा है? मैं चाहता हूँ कि विधायकों की एक कमेटी बने और वो कमेटी इस मामले को... चूंकि हमें कोई भरोसा नहीं है, यह तो करेंगे नहीं और इनके हाथ बड़े लम्बे हैं, ये बहुत मैनेजेबल लोग हैं, यह हमें तंग करने में मैनेजेबल हैं, अपने आपको बचाने में मैनेजेबल हैं, ये हर तरह से मैनेजेबल हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है जो यहाँ पर विधायक चुन कर के आये हैं, चूंकि हमारे पास कोई पोलिटिकल इंटर्नशिप नहीं है, इसलिए हम लोग सेफ हैं। हमारे विधायकों के पास कोई पोलिटिकल इंटर्नशिप नहीं है। हम सब पहली बार चुनाव लड़कर पहुँच गये,

जनता ने पहुँचा दिया और जिस आशा के साथ पहुँचाया है, वो आशा यह है कि स्कैम को सिम्बॉलिक लेते हुए इसकी जांच पूरी गहराई से की जानी चाहिए जिससे कि माननीय अरुण जेटली जी का, जो कुछ भी उन्होंने गलत किया है, जो क्राइम किया है, जो करप्शन किया है, उसकी उनको सज़ा मिलनी चाहिए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी चर्चा का उत्तर देंगे।

पर्यटन मंत्री (श्री कपिल मिश्रा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन में आज जिस विषय पर चर्चा की जा रही है, वो अत्यंत गम्भीर विषय है और इसके साथ-साथ पूरे देश की भी निगाहें हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जितने भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सभी यह देख रहे हैं कि एक डी.डी.सी.ए. का मामला भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला निकल कर आया है, जो शायद एक केस स्टडी है अपने आप में कि किस प्रकार से ताकतों का दुरुपयोग किया गया। किस प्रकार से, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, भाजपा के लोग हों, सब बिल्कुल मिलकर, सरकार किसी की चल रही है दिल्ली में, चेयरमैनशिप में कोई और बैठे हैं और किनके कार्यकाल में यह हो रहा है, वो एक बड़ा और क्रिकेट के साथ जिसको इस देश में बिल्कुल धर्म की तरह देखा जाता है। कुछ सवाल जरूर यहाँ पर उठाये गये कि यह दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आदरणीय सोमनाथ भाई ने यह बात बताई और यह बात मैं पुनः सदन में कहना चाहता हूँ कि अगर यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं होता तो वर्तमान की केन्द्र सरकार,

मोदी जी की सरकार के द्वारा पत्र लिखकर दिल्ली सरकार को डी.डी.सी. ए. के भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए नहीं कहा जाता। यह पत्र केन्द्र सरकार की तरफ से आया था। यह जरूर हो सकता है कि शुरू-शुरू में मोदी जी ने या किसी ने सोचा हो कि भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगा दें क्योंकि जुलाई में ही आ गया था यह पत्र तो, उसके बाद शायद कुछ बदल गई हो स्थिति और बड़ा अजीब सा मामला है। बॉक्सेज को कांट्रेक्ट पर देकर करप्शन करने का। आउट ऑफ बॉक्स आइडिया! मुझे लगता है कि यह पहली बार इस देश में देखा गया है। इस प्रकार से खेलों का इस्तेमाल, स्टेडियम का इस्तेमाल, कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब मिलेगा, कोर्ट में क्या प्रस्तुत किया जायेगा, डायरेक्टर कौन होंगे, कंपनियाँ कैसे फर्जी बनाई जायेंगी और पूरे देश ने देखा, टी.बी. के माध्यम से देखा है, अखबारों के माध्यम से देखा है और सत्ताधारी दल के खुद अपने सांसदों ने इस बात को जोर-शोर से उठाया है, सब के सामने रखा है। मैं तो यह मानता हूँ कि बहुत गम्भीर मुद्दा है। दिल्ली की विधान सभा के पास यह शक्ति है कि एक कमेटी के रूप में विधान सभा इसकी जाँच करे। विजेन्द्र गुप्ता जी बहुत अहंकार के साथ, घमंड के साथ यह कह रहे हैं कि आप बार-बार कोशिश करते रहो, लेकिन हम इसकी जाँच नहीं होने देंगे। आप बार-बार कोशिश करते रहो, हम सच को सामने नहीं आने देंगे। आप बार-बार कोशिश करते रहो लेकिन अरुण जेटली तक आपके हाथ नहीं पहुँच सकते, उनके घोटाले की पोल नहीं खोल पाओगे। तो मुझे लगता है कि एक कोशिश और करके देख लें। दिल्ली की विधान सभा एक कमेटी बना ले और इसकी जांच करने की, मुझे लगता है कि सभी शक्तियाँ इस विधान सभा के अंदर

सम्मिलित हैं। सरकार की तरफ से मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रकार की कोई चीज सम्भव होती है, तो वो जरूर की जाये, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्य श्री सोमदत्त जी से एक प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त हुआ है। सदस्यों द्वारा सदन में व्यक्त की गई भावनाओं के दृष्टिगत मैंने इस नोटिस को स्वीकार किया है। माननीय श्री सोमदत्त जी, अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेंगे।

श्री सोमदत्त : Respected Sir, with your due permission, I seek the leave of the House to move the following motion.

“This House agrees that a special Inquiry Committee be constituted to probe alleged irregularities and corruption in bodies that are administering the games of cricket and hockey in NCT of Delhi. That the Committee shall consist of the following members:-

Sh. Mandan Lal, Sh. Somnath Bharti, Sh. Rajender Pal Gautam, Shri Sanjiv Jha, Sh. Saurabh Bhardwaj, Sh. Vijender Garg, Ms. Alka Lamba, Sh. Amantullah Khan and Sh. Jagdish Pradhan.”

अध्यक्ष महोदय : जगदीश जी, एक में तो, इसमें क्या दिक्कत है। दिक्कत आयेगी। चलिये। जगदीश जी अस्वीकार कर रहे हैं। दूसरा नाम?

श्री सोमदत्त : इनके स्थान पर राजेश गुप्ता जी का नाम।

श्री सोमनाथ भारती : I think he should be there. We should request him that House requests you to kindly be there in this Committee.

अध्यक्ष महोदय: चलिये ठीक है। भाई दो मिनट जरा प्लीज, हां।

श्री सोमदत्त: तो फिर इनकी जगह पर श्री राजेश गुप्ता जी का नाम प्रपोज करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: चलिये ठीक है।

श्री सोमदत्त: That the Hon'ble Speaker shall appoint one of the members of the Committee as its Chairperson.

That the terms of the reference of the committee shall be:

(1) To look into working management and Administration including alleged financial irregularities of the bodies that are interested with administring and managing the affairs of Cricket and Hockey in NCT of Delhi;

(2) To examine whether the current practices have been conducive to the games of cricket and hockey;

(3) To recommend measures to make these Administrative bodies as institutions compatible with international standards;

(4) To identify any Acts of ommissions and commissions by these Administrative bodies and their office bearers during the period between Jan. 1st 1992 and May 31st 2016 and to fix responsibility;

(5) To examine whether such acts of ommissions need to be pursued and if so in what manner; and

(6) To recommend measures to turn these administrative bodies into effective and transparent institutions so that they could promote the glorious games of cricket and hockey by identifying and nurturing true talents.

That the Committee is free to decide its own procedure to fulfill the mandate given to it by the House.

That the Committee is free to enlarge the scope of the investigation, if needed, subject to approval of the Hon'ble Speaker;

that the Committee shall exercise all powers and immunities available to the existing Committees of Legislative Assembly and that the Committee shall submit its report to Hon'ble Speaker before the commencement of the 6th Session of the 6th Legislative Assembly.

अध्यक्ष महोदय: हो गया? यह प्रस्ताव अब सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहे;

जो इसके विरोध में हैं वे न कहे;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

अध्यक्ष महोदय: सदस्यों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई और प्रस्ताव, वैसे उन्होंने सदन में रख दिया है। अब श्री सोमदत्त जी सदन से अनुरोध करेंगे कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाए।

श्री सोमदत्त: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री सोमदत्त जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहे;

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ

अध्यक्ष महोदय: अब बीस मिनट के लिए चाय ब्रेक करेंगे और इसमें एक सूचना मैं दे रहा हूँ; हमारे माननीय मंत्री संदीप जी के आंगन में एक पुत्र ने जन्म लिया है और उन्होंने एक छोटी सी चाय पार्टी रखी है, आप सभी माननीय सदस्य दायीं ओर के मेम्बर्स लांज में आमंत्रित हैं, धन्यवाद।

**(सदन की कार्यवाही बीस मिनट के लिए चायकाल
हेतु स्थगित की गई)**

सदन अपराह्न 4:20 पर पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

अल्पकालिक चर्चा

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, अभी दो विषय मेरे पास चर्चा के लिए बाकी हैं – एक सी.एन.जी. फिटनेस के लिए और दूसरा विषय है, जो खान साहब की हत्या हुई थी, कर्नल जी का आया हुआ है मेरे पास। मैं पहले सदन से अनुमति चाह रहा हूँ कि सुरेन्द्र सिंह जी का जो विषय है, एम.एम.खान जी की जो हत्या हुई थी, उस विषय को पहले ले लें। सदन अपनी अनुमति मुझे इसके लिए दे दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हां, वो मैं ले रहा हूँ। हां बिल्कुल, मैं डिफनेटली ले रहा हूँ। उसको भी रोक नहीं रहा। एक्चुअल उनके परिवार के लोग कुछ बैठे हैं, काफी देर से। यह गंभीर विषय है। उसकी मैं सदन से अनुमति चाह रहा हूँ। ठीक ? सुरेन्द्र जी।

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष साहब, आपने मुझे अति गहन विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज भाजपा बड़े-बड़े दावा कर रही है और दो साल का जो शासन किया, उसकी उपलब्धियां गिना रही है। जबकि वोट मांगते समय जनता को विश्वास दिलाया था कि हम देश का कालाधन वापस लायेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। जबकि जिस विधान सभा क्षेत्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का निवास है, ठीक उसकी नाक के नीचे बी.जे.पी. के विधायक और एन.डी.एम.सी. के वाइस चेयरमैन करण सिंह तंवर एन.डी.एम. सी. के क्षेत्र में उगाही कर रहे हैं। जो ईमानदार अधिकारी हैं, उनको डराकर,

धमकाकर अपनी बात मनवा लेते हैं और जो अधिकारी उनकी बात न मानें तो उनकी हत्या तक करवा दी जाती है। अभी हाल ही में एक घटना हुई है!

माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस जिसका नंबर आर.एफ.ए. 78/2014 दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि कनॉट होटल का मालिक रमेश कक्कड़ चालाक, धूर्त और भ्रष्ट व्यक्ति हैं, जिस पर तीन धोखा-धड़ी के मुकदमें दर्ज हैं। इनमें से दो पंजाब में और एक दिल्ली में मुकदमा चल रहा है। वो बार-बार याचिका दायर कर 1995 से आज तक एन.डी.एम.सी. को टैक्स के रूप में कोई भी पैसा नहीं दे रहा है। जो होटल उन्हें यूथ हॉस्टल के नाम से दिया गया था, उसका उन्होंने होटल बना लिया और जिससे सरकारी खजाने को लगभग 140 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और यहां तक कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि रमेश कक्कड़ ने इस केस उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि एन.डी.एम.सी. के लॉ अधिकारी श्री एम. एम.खान को एस्टेट अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है। इस मामले की पूरी रिपोर्ट छः महीने के अंदर दायर कर इस केस को निपटा दिया जाये। पूरा एन.डी.एम.सी. जानता है कि एम.एम.खान एक सच्चे अधिकारी थे, जिसकी वफादारी के चर्चे आज भी लोग करते हैं। धूर्त रमेश कक्कड़, कनॉट होटल का जो मालिक था, उसने सोचा कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है! उन्हीं की सोच का एक व्यक्ति, जो एन.डी.एम.सी. का उपाध्यक्ष है, उन्होंने मिलकर एम.एम. खान पर दबाव डालने की कोशिश की। उनको बार-बार धमकाया गया और उन्हें कहा गया कि आप जो कनॉट होटल का मालिक

है— रमेश कक्कड़, उनकी बात मानें, नहीं तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। ईमानदार अधिकारी एम.एम. खान काफी परेशान थे और एम.एम.खान ने अपनी ईमानदारी से कार्य करते हुए... उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से करण सिंह तंवर के बारे में... दबाव डालने की बात बतायी और उन्होंने कहा कि कनॉट होटल का जो मसला जैसे रमेश कक्कड़ चाह रहे हैं, वैसा वॉयस चेयरमैन करवाना चाह रहा है। उन्होंने मुझे जो वॉयस चेयरमैन है, उन्होंने पच्चीस छब्बीस तारीख अप्रैल की रात को भी फोन करके धमकाया है। अट्ठाईस तारीख को जब मैं इस केस की हियरिंग कर रहा था, उस समय जो एन. डी.एम.सी. के अंदर इंटरनल फोन लगे हुए हैं, उस फोन पर मुझे लगभग पांच बजे के आस-पास उसने धमकी दी है। मैं रमेश कक्कड़ की बात सुनना ही नहीं चाहता हूँ क्योंकि कोर्ट ने उसके अंदर काफी... किसी प्रकार की और कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो बार-बार कोर्ट की प्रक्रिया को डिले कर रहा है और मुझे भी एप्लीकेशन डाल के डिले करने की कोशिश कर रहा है, जिससे ये जो मैं हियरिंग कर रहा हूँ, इसमें भी दो महीने ढाई महीने का समय ज्यादा लग चुका है और जो एम.एम. खान साहब हैं, वो अपनी कई सारे ऐसे फंक्शन, कई सारी ऐसी परिवार के अंदर मौत होने के बाद भी वो अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ लगे रहे और हर रोज जब भी ज्यादा से ज्यादा उन्होंने हियरिंग इसमें की।

हाई कोर्ट ने भी इस केस के अंदर अट्ठारह साल के अंदर एक 170 हियरिंग की। 170 हियरिंग के बाद यह जजमेंट दिया था। उसके बाद करण सिंह तंवर ने उन्हे अपने आफिस में बुलाकर भी एक बार धमकाया। एम. एम.खान साहब को मैंने उस दिन, जब मुझे बताया तो मैंने उनको आश्वासन

दिया कि जब काउंसिल की मीटिंग होगी, तो मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा और आप अपने उच्च अधिकारियों को भी इस विषय में बतायें।

क्योंकि करण सिंह तंवर का इसी तरह का ब्लैकमेलिंग का धंधा है, उसके बाद करण सिंह तंवर ने 06 मई को एल.जी. महोदय को पत्र लिखा जिसमें एक ईमानदार अधिकारी एम. एम. खान को भ्रष्ट बताया गया और उसकी सी.बी.आई. जांच करवाने की बात कही। उसको उस पोस्ट से, स्टेट आफिसर से हटाने की चर्चा करते हुए और उसमें कहा गया कि ये जो है एम. एम. खान साहब एन.डी.एम.सी. के हितों की रक्षा कर रहे हैं, जब कि एन.डी.एम.सी. के उपाध्यक्ष ने भी पद ग्रहण करने से पहले शपथ ग्रहण की थी कि मैं एन.डी.एम.सी. के हितों की रक्षा करूंगा। वही पत्र 10 तारीख को रमेश कक्कड़ ने एल.जी. साहब को लिखा और उपाध्यक्ष साहब का उसमें पूरा हवाला देते हुए सेम पत्र उन्होंने भी लिखा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और बी.जे.पी. के महानुभाव महेश गिरि जी बीच मैदान में उतर कर आ गये और 11 तारीख को उन्होंने भी एल.जी. साहब को एक पत्र लिखा कि रमेश कक्कड़ जो है इसकी इन्होंने मुझे शिकायत दी है और जो एम. एम. खान साहब हैं, इनकी इस पोस्ट से बदली कर ली जाये और इस बीच रमेश कक्कड़ के माध्यम से एम.एम.खान साहब को चार करोड़ रुपये की रिश्वत देने के लिये भी इन्होंने दबाव बनाया। क्योंकि इस केस की जो फाईनल हियरिंग थी, वो 17 तारीख को एम.एम. खान साहब ने इस मुकदमे का फाईनल फैसला सुनाना था जिसके अंदर 140 करोड़ रुपये की रिकवरी और आगे होटल के भविष्य के बारे में एम.एम. खान साहब ने ये केस को डिसाईड करना था, परंतु उस देशभक्त ने किसी प्रकार की कोई

रिश्त नही ली और उन्होंने कहा कि मैं जो सच्चाई है, उस सच्चाई को सामने ले के आउंगा और मैं किसी प्रकार का कोई दबाव या किसी के प्रभाव से काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन अफसोस, उससे पहले इन धूर्त लोगों ने 16 मई की शाम को एम एम खान साहब की हत्या करवा दी! यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे देश का मीडिया कह रहा है, ये पूरे अखबार कह रहे हैं। इस मीडिया में पूरा लिखा हुआ है कि किन किन लोगों के हाथ है; करण सिंह तंवर की क्या भूमिका है, वो सारी चीजें ...इस मीडिया के माध्यम से हमें पता चला जब कि कनाट होटल 16 फरवरी को सील्ड हालत में था, उसमें से इन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाईल की और 16 फरवरी 2015 को कुछ समय के लिये कनाट होटल को खोला गया परंतु कनाट होटल को डि-सील तो किया उसको दोबारा उसी टाइम सील करना था। इन भ्रष्टाचारियों ने, इन देश के गद्दारों ने उस होटल को दोबारा से सील नहीं होने दिया और वो होटल दोबारा से चालू रहा। लेकिन इस केस के अंदर रमेश कक्कड़ की तो गिरफ्तारी कर ली गई लेकिन दूसरा षडयंत्रकारी करण सिंह तंवर एन.डी.एम.सी. के उपाध्यक्ष पद पर आज भी विराजमान है और खुले आम घूम रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ? क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, पक्के सबूत हैं मेरे पास। इसलिये मैं ये बात कह रहा हूँ आप लोगों के सामने। इससे संदेह होता है कि एन.डी.एम.सी. उपाध्यक्ष रमेश कक्कड़ के साथ बराबर का हिस्सेदार है क्योंकि दोनों ने एल.जी. को पत्र लिखा और दोनों पत्र की जो भाषा है, वो एक है और इसमें एन.डी.एम.सी. के वाइस चैयरमैन ने यहां लिखा हुआ है कि ये जो अधिकारी है, एन.डी.एम.सी. का फेवर कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : ये पत्र सदन पटल पर रख दीजिये जो एल.जी. को लिखे थे, तीनों जिनका आपने जिक्र किया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह : ठीक है सर। दोनों पत्रों की एक जैसी भाषा है। इसी तरह रूपये के लालच में आकर अपने आप को जन सेवक कहने वाला भ्रष्ट राजनैतिक, धूर्त, बेईमान आदमी के तलवे चाटकर एक ईमानदार अधिकारी के खिलाफ पत्र के माध्यम से लिखा है कि जो एम.एम. खान है, वो बेईमान है। उसकी बदली कर दी जाये और ये आदमी वहां भी नहीं रूका। ये टीवी चैनल के माध्यम से उसमें जा के भी एक ईमानदार अफसर को भ्रष्ट बताने लग गया। मीडिया के माध्यम से इन्होंने कई बार उसको बोला। जो आदमी राजनीति में आने से पहले स्कूटर पर चलता था।

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र सिंह : स्कूटर में पेट्रोल भरवाने के लिये भी उधार पर पैसे लेता था!

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, राजनीति में आने के बाद हजारों करोड़ रूपये कहां से आ गये ? ये जनता जान चुकी है। अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति अपनी तीन बेटियों को लोन लेकर पढा रहा हो, उसकी ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता परंतु बी.जे.पी. का भ्रष्ट, जालिम नेता बार बार मीडिया में एम.एम. खान जैसे ईमानदार अधिकारी को भ्रष्ट बताता रहा !

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल व पार्टी के उच्च नेताओं के साथ जब खान साहब के घर पहुंचा तो उनकी बहादुर बेटियों ने बताया कि मेरे पिताजी काफी दिन से परेशान थे और कह रहे थे कि आज ईमानदारी से काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है किंतु उनकी बेटियों ने समझाया कि हमारे लिये देश सर्वोपरि है और आप ईमानदारी पर अड़े रहिये। मैं इस देश का सैनिक हूं। मैं कई बार मौत के मुंह में से आया हुआ हूं। मैं राजनीति की बात नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं इस दर्द को समझता हूं कि देश के गददारों के साथ लड़ना इतना आसान कार्य नहीं है जिसमें कि एन.डी.एम.सी. के पद पर बैठे हुए जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह के धिनौने काम में शामिल हो सकते हैं! अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब का, उप मुख्य मंत्री साहब का पूरी दिल्ली सरकार का तहेदिल से धन्यवाद करता हूं कि एक ईमानदार शहीद अधिकारी के परिवार को जो एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का जो फैसला लिया। ये राशि एम.एम.खान साहब की शहादत को देखते हुए इसके सामने कुछ भी नहीं है। जो कार्य उन्होंने किया है, संपूर्ण देश उनकी इस शहादत के लिए ऋणी रहेगा लेकिन इसके साथ मैं माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी की भी निंदा करता हूं कि जिन्होंने अपने गुर्गे को बचाने के लिए आनन-फानन में पच्चीस लाख रुपए की घोषणा मीडिया के माध्यम से की, उस पीड़ित परिवार को आज तक किसी भी प्रकार का गृह मंत्रालय की तरफ से कोई भी ऐसा संपर्क नहीं हुआ। एम.एम.खान के इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता गृहमंत्री से मिलने के लिए कई बार टाइम मांग चुके हैं और आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे जी के नेतृत्व में 50

विधायकों के साथ पुलिस उपायुक्त से मिलने के लिए जब जाने लगे तो अंतिम क्षण में होम मिनिस्ट्री के इशारे पर उपायुक्त साहब ने मीटिंग को कैंसिल कर दिया और आज तक दोबारा टाइम नहीं दिया। इसके साथ ही कुछ लोगों ने मुझे बताया कि पुलिस ने उस होटल की 20 दिन के जो सी.सी.टी.वी. ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सुरेन्द्र जी, अब कन्क्लूड करिए प्लीज। कई विषय है आज आखरी दिन है।

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का टाइम दीजिए। गहन विषय है सर। 20 दिन के सी.सी.टी.वी. कैमरे के जो फुटेज हैं, वो आउट कर दिए गए हैं। इसमें पुलिस की कार्य शैली के ऊपर पूरा संदेह है और मैं साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वैसे तो दिल्ली में वह डस्टबिन के नाम से जानी जाती है परंतु देश के अंदर हिंदुस्तान में कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का किसी को अगर कांटा भी चुभता है तो राजकुमार वहां पहुंच जाते हैं, पूरी कांग्रेस वहां पहुंच जाती है, और दिल्ली के अंदर एक ऐसे देशभक्त आदमी ने, ईमानदार आदमी ने जिसका कत्ल कर दिया गया, उसके परिवार को एक बार भी सांत्वना देना तो दूर की बात है, उनसे फोन पर बात तक नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही, मैं एक छोटी सी बात और यहां जोड़ना चाहता हूं। नई दिल्ली के क्षेत्र में अजय माकन जी वहां पर लगातार सांसद रहे हैं और लगातार करण सिंह तंवर वहां पर विधायक रहे हैं और वो दोनों पहले, दोनों एन.डी.एम.सी. के मैम्बर भी रहे हैं। इन दोनों की सांठगांठ की

वजह से कांग्रेस भी इस केस के अंदर, इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि इस देशभक्त और ईमानदार अधिकारी को न्याय दिलाने के लिए एन.डी.एम.सी. के उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर को भी जांच के दायरे में लाया जाए और रमेश कक्कड़ के साथ में इसके क्या संबंध हैं, इसकी बारीकी से जांच की जाए। इनके कॉल डिटेल्स चैक करवाए जाएं, इनके खातों की जांच करवाई जाए और इस घिनौने अपराध को देखते हुए एन.डी.एम.सी. के उपाध्यक्ष पद से इसको बी.जे.पी. को बर्खास्त करना चाहिए और पुलिस जांच में शामिल कर इसको गिरफ्तार करवाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि ये सदन इस इंसाफ की लड़ाई में पार्टी आम आदमी पार्टी ईमानदारी के नाम पर ईमानदारी के लिए हम लोग आगे बढ़े थे, मैं जब उनके घर पर गया तो खान साहब की बेटी ने मुझे एक बात और बोली थी कि मेरे पिताजी ने प्रूव कर दिया कि वो ईमानदार आदमी हैं और ये हम नहीं कह रहे, पूरे देश का मीडिया कह रहा है। उस ईमानदार आदमी के लिए हर आदमी को लड़ना होगा और इसको इंसाफ दिलाना होगा। यही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जय हिंद जय भारत।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। श्री अमानतुल्लाह जी, बहुत शॉर्ट में रखिएगा अमानतुल्लाह जी, समय की आज सीमाएं हैं थोड़ा।

श्री अमानतुल्लाह खान: अध्यक्ष जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मुझे शहीद मोहम्मद मोइन अहमद खान साहब का जो कत्ल हुआ 16 तारीख को, उस मुद्दे पर बोलने की मुझे इजाजत दी। ये मेरी विधान सभा का मसला है। 16 तारीख को तकरीबन 7.00 बजे जो जौहरी फॉर्म के अंदर रहते हैं, जौहरी फॉर्म वहां एक पॉश कालोनी है लेकिन उस पॉश कालोनी में उनका एक छोटा सा घर है तकरीबन 70-80 गज का एक मकान होगा जो कहीं से नहीं लगता कि उस पॉश इलाके में वो होगा और उनकी तीन बेटियां हैं। दो बेटी उनकी यहां मौजूद हैं, एक बड़ी बेटी इखरा है उनके एक दोस्त हैं जो साकिब साहब है। मेरे भी वो दोस्त हैं और उनकी बेटियों की खाला भी यहां मौजूद है। तो मैं उनसे अक्सर जब उस इलाके में मैं जाता था तो साकिब साहब मेरे दोस्त है, उन्हीं के यहां मेरी उनसे मुलाकात होती थी। तो अक्सर उनसे सरकार के तालुक् से बात होती थी तो वो अपनी सारी बातें हमसे रखते थे। लेकिन 16 तारीख को वो जब आफिस से अपने घर वापस आ रहे थे तो उस वक्त में दो अज्ञात लोगों ने उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया। तकरीबन मैं वक्फ बोर्ड से वापस जा रहा था, तकरीबन 7.30 बजे साकिब साहब का मेरे पास फोन आया कि भई मेरे एक दोस्त है एम.एम.खान साहब आप जानते हैं, उनको किसी ने गोली मार दी और वो इस वक्त होली फ़ैमिली में है। तो मैं होली फ़ैमिली में गया। मैंने तभी सी.एम. साहब से संपर्क किया और मैंने सी.एम. साहब को बताया कि एक ईमानदार अफसर को गोली मारी

गई है लेकिन अभी हालात नहीं मालूम क्या हैं। तो मैं होली फैमिली पहुंचा। सी.एम. साहब ने मुझसे कहा कि जाओ, आप मुझे अपडेट दो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और जो भी मदद आपको चाहिए, उसमें हम पूरी तरह से साथ हैं। तो मैं वहां गया, जाने के बाद वहां पता लगा कि थोड़ी देर बाद उनकी डेथ हो गई, डाक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब वो नहीं रहे। तो मैं उनके घर पर गया।

उनकी तीन बेटियां हैं, एक बेटी इखरा है जो सबसे बड़ी है जो हमदर्द यूनिवर्सिटी से मेडिकल कर रही है जिसका फाइनल इयर है, दो बेटियां हैं माटाडे से एक दसवीं कर रही है और एक बारहवीं कर रही है। बारहवीं वाली भी मौजूद है और इखरा जो बड़ी लड़की है, वो भी यहीं मौजूद है तो मैंने उनसे उनके बारे में पूछा तो वहां के लोगों ने, साकिब साहब ने बताया कि जब इखरा का मेडिकल कालेज में, जब हमदर्द के अंदर एडमिशन हो गया तो उस वक्त जब उसकी फीस देने की बात आई तो एम.एम. खान साहब ने कहा कि मेरे बस की नहीं है कि मैं उसकी फीस पे कर पाऊं तो कहा कि एक उनके अंकल है जो बाहर किसी और कंट्री में रहते हैं, जद्दा वगैरह में तो उन्होंने कहा कि पहले साल की फीस मैं पे कर दूंगा, जब आप पर होगा, तब दे देना तो उन्होंने पहले साल की फीस उन्होंने पे की। दूसरे साल की भी उन्होंने पे की। तीसरे साल की साकिब साहब जो उनके दोस्त हैं, उन्होंने पे की और जो चौथा साल था यानि की फाइनल ईयर का, इस बारी उन्होंने खुद लोन लेकर के फीस पे की कि दो साल बाद उनका जो है रिटायरमेंट होना था और वहां से कुछ पैसा आता तो वो उसमें वहां दे पाते।

तो मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि एक ऐसा आदमी जो अपनी तीन बच्चियों को सरकार से लोन लेकर के, एक छोटे से मकान में अपनी जिदंगी बसर कर रहा है, उस आदमी को तीन करोड़ रूपया फैसला बदलने के लिए दिया गया, उसने मना कर दिया। उस आदमी का किस तरह से कत्ल हुआ, तो आज ये सवाल बनता है कि क्या इस मुल्क के अंदर, क्या इस दिल्ली के अंदर जिसमें आज ये प्रधानमंत्री भी यहां रहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति यहां रहते हैं, सीएम यहां रहते हैं, सारे लोग यहां रहते हैं और उस जगह में एक ऐसे आदमी का ईमानदारी के नाम पर कत्ल कर दिया जाए तो क्या मुमकिन है, हम सब लोग, हम सब के घरवाले भी आज डरने लगे! ओखला में ये एक ऐसा वाकया था जो अब से पहले कभी नहीं हुआ। ईमानदारी के लिए दिल्ली के अंदर किसी एक अफसर का कत्ल कर दिया जाना पहले कभी नहीं हुआ। जो दुश्मनी में मर्डर होते हैं, सुपारी लेकर मर्डर होते हैं लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि एक ईमानदार आदमी को, ईमानदारी की वजह से उसको अपनी जान देनी पड़ी। आज शहीद का दर्जा उनको दिया जाना चाहिए। मेरा सबसे पहले कहना ये है कि विधान सभा में एक ऐसे आदमी को जो ईमानदारी की लड़ाई लड़ा हो और वो आदमी उसकी वजह से कत्ल हो गया हो, उसने बेईमानी का दामन ना थामा हो, लाख हालात थे घर पर, मजबूरियां थी घर पर, बच्चों की फीस पे नहीं कर पा रहे थे, उसके बावजूद भी उस आदमी ने अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा, और उसकी वजह से उसको जान देनी पड़ी तो उसको शाहदत का दर्जा हमारी विधान सभा से जरूर मिलना चाहिए।

दूसरा ये कि जब ये वाकया हुआ तो उसमें एक बात आई कि करण सिंह तंवर जो वाईस चेयरमैन हैं उनका एन्वाल्वमेंट भी इसके अंदर आया। उस आदमी की एक जिम्मेदारी थी कि वो पोस्ट पर बैठे थे। वो इनकी बात भी सुनते, उसकी बात भी सुनते और करण सिंह तंवर की जिम्मेदारी थी कि वो एन.डी.एम.सी. को सपोर्ट करने की बात करते। लेकिन उन्होंने एल.जी. को चिट्ठी लिखी 6 तारीख को और उसमें कहा कि एम.एम.खान जो है ये एन.डी.एम.सी. को फेवर कर रहे हैं, ये होटल मालिक की बात नहीं सुन रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी है उस आदमी कि एन.डी.एम.सी. को फेवर करना, जिम्मेदारी है उस आदमी की एन.डी.एम.सी. को फायदा पहुंचाना। करण सिंह तंवर वाईस चेयरमैन हैं। वो भी ओहदे पर वहां मौजूद है, वो कह रहे हैं कि एन.डी.एम.सी. को ये फेवर कर रहे हैं, उस होटल मालिक को फेवर नहीं कर रहे हैं। लिहाजा इस आदमी को यहां से हटाया जाए और ये बेईमान आदमी है। उन्होंने ऐसा कहकर के चिट्ठी लिखी। हम एल. जी. साहब से मिले, एल.जी. साहब के पास हम गए। हमने कहा कि करण सिंह तंवर का पूरा-पूरा इसके अंदर एन्वाल्वमेंट है, इससे इससे बातचीत होनी चाहिए, अभी तक करण सिंह तंवर से किसी एक पुलिस वाले ने पूछा तक नहीं। मैंने जब अपने डी.सी.पी. से पूछा, मैंने एस.एच.ओ. से पूछा, ए. सी. से पूछा, ए.सी.बी. से पूछा कि आपने अभी तक करण सिंह तंवर को पूछा या बुलाया ? उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से मना कर दिया गया है। हमें ऊपर से आदेश है कि करण सिंह तंवर से हम ना पूछें। जब ऊपर से आदेश होगा हम करण सिंह तंवर से पूछ लेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि आदेश कहां से आया ? जैसा कि जाना जा रहा है कि होम मिनिस्टर

राजनाथ सिंह जी का डायरेक्ट ताल्लुकात है करण सिंह तंवर से। तो हम पूरी तरह से इस बात पर यकीन रखते हैं कि करण सिंह तंवर से एक दिन भी दिल्ली पुलिस पूछेगी नहीं क्योंकि उसका ताल्लुक होम मिनिस्टर से है। तो अगर किसी आदमी का होम मिनिस्टर से तालुलक होगा तो वो खुले आम कुछ भी कर सकता है! खुले आम किसी को भी मरवा सकता है! उससे कम से कम पूछा तो जाए है! हम तो ये नहीं कह रहे कि उनका एन्वाल्मेंट है या नहीं है, लेकिन कम से कम आप बुलाओ तो सही! उन्होंने चिट्ठी क्यों लिखी? कि करण सिंह तंवर ने क्यों कहा कि कक्कड़ का फेवर करना चाहिए? एन.डी.एम.सी. का फेवर नहीं करना चाहिए? ये बात तो जरूर उनसे पूछनी चाहिए। आज हालात ये बन गए हैं कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे घरवाले मुझसे डरते हैं कि आप जो है वफ़्फ बोर्ड में हो, जगह-जगह दुश्मनियां हैं, आप घर से जाओगे तो हो सकता है कि आप पर भी कोई अटैक कर दे। तो ऐसे माहौल में कहां ईमानदार आदमी सफर कर सकता है और हमें ये निश्चित करना होगा, हमें ये विधायकों के लिए भी, ईमानदार अफसरों के लिए भी, हमें ये साबित करना होगा, हमें ये निश्चित करना होगा कि ईमानदारी से जो काम करेगा उसको आजादी से काम करने की इजाजत होगी। आजादी से काम करने का माहौल होगा। आज तो हालात बन गए कि कोई भी आदमी किसी का मर्डर कर सकता है! 2 लाख के लिए ऐसे टुच्चे, ऐसे टुच्चे उठाई गिरों ने उस आदमी का मर्डर कर दिया जो आदमी ईमानदारी के लिए जिसने 4 करोड़ रुपये को टुकरा दिया, कोई भी किसी को मार के जा सकता है। यहां आप जंगल राज की बात करते

हैं? बिहार जा करके, यहां जंगल राज की बात करते हैं। बंगाल जा कर के, ये तो दिल्ली है। यहां पर तो आप भी रहते हो, यहाँ उस विधान सभा में, जिस विधान सभा में इनका कत्ल हुआ, जिस विधान सभा के लोगों ने इनका कत्ल किया। वहां तो प्रधानमंत्री का खुद का घर है। तो जब दिल्ली में ये हाल है, तो बाहर क्या होगा ? आज आप बात करते हैं दूसरी जगह जा करके! दिल्ली में तो खुद जंगलराज है! आज तक क्यों नहीं पूछा गया करण सिंह तंवर से? हम एल.जी. साहब से मिले, जरा-जरा सी चीजों में अगर हमारे विधायक कुछ कर देते हैं तो जरा सी देर में सम्मन भेजकर पुलिस उठाकर ले जाती है।

तो क्यों जब उनके घर वाले इल्जाम लगा रहे हैं, उनकी बेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि करण सिंह तंवर का दबाव था, साकिब साहब ने मुझसे कहा कि उनसे अक्सर आकर वे कहते थे कि मेरी जान को खतरा है, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, मुझ पर लोग दबाव बना रहे हैं। हो सकता है कि इस बात के लिए ये लोग मुझे जान से मार दें! दो दिन पहले उन्होंने ये कहा था। साकिब साहब ने मुझसे ये कहा कि गलती हो गई, हमसे एक भूल हो गई कि हम पुलिस को एक कम्प्लेंट नहीं कर पाए। हमें नहीं मालूम था कि 17 तारीख को फैसला होना है और 16 तारीख को इनका मर्डर हो जाएगा! जो माहौल आज बना हुआ है, क्यों नहीं पूछा जा रहा करण सिंह तंवर से? किसी से भी क्यों नहीं पूछा जा रहा ? अगर कोई आदमी ईमानदार है, उसका कत्ल हुआ है, आज उसके बच्चे हैं उनकी तीन बेटियाँ हैं उनकी परवरिश है, कैसे वो आगे महफूज रहेंगे? कैसे लोग महफूज रहेंगे? कैसे लोग ईमानदारी से काम करेंगे? इन्हीं बातों के साथ

अपनी बात को खत्म करता हूं और तहे दिल से मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस मसले को कन्सीडर किया और एक करोड़ रुपया और फ्री एजुकेशन उनके बच्चों को, सरकारी मकान और उनकी बीवी को सरकारी नौकरी का जो वायदा किया है और जो उस वायदे को पूरा किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: हॉ विजेन्द्र जी, आपने इसी विषय पर बोलना है क्या? अब ओर नहीं देखिए।

सुश्री अलका लाम्बा: अध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार की जानकारी में लाना चाहती हूं कि शहीद एम.एम. खान की तरह ही ये पत्र, मैं कॉपी दे दूंगी आपको जो एल.जी. को लिखा गया है सर और ये लैटर बी. रेड्डी शंकर बाबू जो दिल्ली कन्ट्रान्मेंट के सी.ई.ओ. है; उन्होंने एल.जी. को लिखा है कि उनकी भी जान को खतरा है और उन्होंने इस पत्र में लिखा है – 28 अप्रैल, 2016 को करण सिंह तंवर, जो बी.जे.पी. के पूर्व विधायक रहे हैं, एन.डी.एम.सी. के वॉयस प्रेजिडेंट हैं, ये उनके घर में जबरन घुसे हैं और इसलिए इनके घर में जबरन घुसे हैं ताकि वहां की जमीनों पर कब्जा किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: ये पत्र भी आप सदन के पटल पर दे दीजिए।

सुश्री अलका लाम्बा: सर, ये एक बहुत गम्भीर आरोप है, एन.डी.एम.सी. के वॉयस चेयरमेन के ऑफिस का दुरुपयोग किया जा रहा है उस ऑफिस में बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 अप्रैल, 2016 को की जाती है, करण

सिंह तंवर जी द्वारा और दूसरी 12मई को एन.डी.एम.सी. के वॉयस चेयरमेन के दफ्तर से बैठकर, कन्ट्रॉल के अधिकारी ब्रिगेडियर जयसिंह जो है, उनसे पहले पूर्व महिला सी.ई.ओ. के बारे में अभद्र भाषा, अभद्र व्यवहार की कॉपियाँ शिकायत के तौर पर पहले से उपलब्ध हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि एल.जी. साहब को बी. शंकर रेड्डी बाबू ने जो पत्र लिखा है, कृपया करके एल.जी. साहब से पूछिये कि इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है या नहीं? या आज भी करण सिंह तंवर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी ? शायद, सभी लोग एक बार फिर साक्षी हो जाएं।

अध्यक्ष महोदय: अलका जी, अब हो गया। ये सदन पटल पर दे दीजिए आप। हॉ विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, यहां पर स्वर्गीय श्री एम एम खान जी के एक दुखद हादसे पर चर्चा हो रही है और जिस तरह से बताया गया कि वो एक ईमानदार ऑफिसर थे, अपने फर्ज को अंजाम दे रहे थे, मैं उनको कोटी-कोटी प्रणाम करता हूँ उनकी शहादत को, उनकी मौत को। कहीं पर किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ा दुःख हुआ यहां चर्चा को सुनकर, क्योंकि जब कमांडो सुरेन्द्र सिंह बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि खान साहब की मौत पर तकलीफ कम है और अपने क्षेत्र के प्रतिद्वंद्वी के बारे में वो ज्यादा बोल रहे थे। राजनैतिक लग रहा था... एक मिनट, एक मिनट बैठिये मैं अपनी बारी में बोल रहा हूँ, अब, आप मेरे बाद बोलिए। अगर आप बात नहीं कहने देंगे अध्यक्ष जी, आपकी

इजाजत से खड़ा हुआ हूं और मैं अपनी बात कह रहा हूं। हर पहलू आना चाहिए ना चर्चा में, कि एक ही पहलू आएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: राजेश जी, बैठिए प्लीज। सोमनाथ जी, अलका जी, मैं बात कर रहा हूं। आप बैठिए दो मिनट प्लीज। एक बार बैठिए। सुरेन्द्र जी, प्लीज बैठिए। सोमनाथ जी, ऐसे नहीं चलेगा। दो मिनट मुझे मौका देंगे। देखिए, विजेन्द्र जी, एक बार प्रार्थना कर रहा हूं इस विषय को उलझाइये नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: विजेन्द्र जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात एक बार सुन लीजिए। आपने जिस ढंग से, थोड़ा सा ट्विस्ट करने का प्रयास किया, सुरेन्द्र जी जो बात कह रहे थे, उन तथ्यों के आधार पर कह रहे थे, विजेन्द्र जी, जो मैं कहना चाह रहा हूं आप पसंद नहीं कर रहे, उन्होंने तथ्यों को लेकर कहा कि करण सिंह तंवर ने एल.जी. को लैटर लिखा, करण सिंह तंवर ने जो लिखा, रमेश ककड़ ने लैटर लिखा। महेश गिरी ने लैटर लिखा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: एक अच्छे ऑफिसर की हत्या हुई है, उसको एक ही एंगल से यहां सब बात कर रहे हैं, मैं उसके दूसरे एंगल को आपके सामने रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं विजेन्द्र जी आपसे एक बात कह दूं आपसे, एक सैकंड, कोई बोलेगा नहीं। अगर तंवर जी ने लैटर नहीं लिखा होता तो उनका नाम ही नहीं आता। बीच में कोई टोकेगा नहीं प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: दूसरा, यहां कहा गया कि भारत के गृह मंत्री श्री राजनाथ जी ने घोषणा की थी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी घोषणा उन्होंने की है, वो अक्षरशः पालन हो, ये मेरा भी और आप सब की भी, हमारी सब की जिम्मेदारी है और हम उसको करेंगे। दूसरा हमारा पहला ध्येय ये होना चाहिए कि गुत्थी सुलझे, कातिल बचके ना निकले, कातिलों को फॉसी के फंदे तक पहुंचाया जाए, लेकिन यहां चर्चा में ऐसा लग रहा है, कातिलों में कोई इंट्रेस्ट नहीं है, गुत्थी सुलझे, इसमें भी कोई इंट्रेस्ट नहीं है। कहीं आप जो मेन कातिल हैं, उनको बचाने के लिए ध्यान डायवर्ट करने के लिए यहां राजनैतिक रूप से...

अध्यक्ष महोदय: विजेन्द्र जी, आप विषय को ट्विस्ट कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: चलिए बैठिए अब आप, आप विषय को ट्विस्ट कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: जो भी जांच है वो मुस्तैदी से होनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कातिल पकड़े जाएंगे, ये गुत्थी सुलझेगी। जिन्होंने भी ये घिनोना अपराध किया है, वो फॉसी के फंदे पर पहुंचे, तब जाके हमारा मिशन सफल होगा, लेकिन क्या आप लोग उस दिन माँफी मांगेंगे? बताइये? मांगेंगे माफी? इसके साथ इस चर्चा को बंद करेंगे तो अच्छा लगेगा, आप जो कर रहे हैं, पाप का घड़ा भर रहे हैं आपका। जिस दिन ये गुत्थी सुलझेगी, आपसे और आपके नेताओं से माफी मंगवाऊंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: विजेन्द्र जी, बैठिए आप दो मिनट। अब बैठ जाइये दो मिनट। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बैठ जाएं, सोमनाथ जी, अब नहीं। प्लीज अब नहीं। देखिए आप समझदार व्यक्ति हैं, माननीय सदस्य श्री सोमनाथ जी बैठ जाइये। सुरेन्द्र जी, आपने रख ली अपनी बात। सोमनाथ जी बैठ जाइये। माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे। श्री अरविन्द केजरीवाल जी।

मुख्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बहुत ही गम्भीर विषय है। आज देश में जब ऐसा माहौल है जब ईमानदार अफसर ढूँढे नहीं मिलते, ऐसे माहौल के अंदर अगर एक आफिसर अपनी ईमानदारी को कायम रखते हुए अगर अपनी जान दांव पर लगा देता है और वह भी उस ऑफिसर को पता था कि उसकी जान खतरे में है। उसके महीना भर पहले से उसको धमकियां लग गई थी। महीना भर पहले उसको पैसे ऑफर किये गए तो उसको एक इन्डिकेशन तो था कि उसकी जान खतरे में है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक कुछ हो जाए। लेकिन ये एक ऑफिसर था जिसको पिछले एक महीने से पता चल रहा था लगातार उसके ऊपर दबाव आ रहे थे, उसको धमकियां भरी फोन कॉल्स आ रही थी। उसके बावजूद वह आफिसर डटा रहा। उसने आपने सीनियर्स को भी जाकर तबादले की भी रिक्वेस्ट नहीं कि कि मेरे ऊपर धमकियां आ रही हैं मुझे ट्रांसफर कर दो यहां से। वो डटा रहा। उसके हौंसले को ये पूरा सदन सलाम करता है।

जैसा कि अभी कई माननीय सदस्यों ने बताया कि उसके घर की फाईनेन्शियल हालत बहुत खराब है। एक ऑफिसर जिसके रिटायर्मेंट में दो-तीन साल बचे हों, और वो अपने बच्चों की स्कूल और कॉलेज की फीस भी नहीं दे पा रहा हो, इससे बड़ा ईमानदारी का सबूत क्या मिलेगा? और मैं तो यह कहूंगा कि इस किस्म की कहानियां हम लोग फिल्मों में देखा करते थे ईमानदारी की कहानियां, जो शहीद एम.एम. खान की सुनने को मिल रही है। लेकिन दुःख इस बात का है कि जो जांच चल रही है, उस जांच के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हैं। अगर वो जांच ठीक से नहीं की गई तो ईमानदार ऑफिसर्स का सिस्टम के ऊपर से पूरी तरह भरोसा खत्म हो जाएगा। आज दिल्ली के अंदर एक ईमानदार पार्टी सत्ता में है। यह हमारा दुर्भाग्य है, दिल्ली का दुर्भाग्य है कि पुलिस और कानून व्यवस्था चुनी हुई दिल्ली की सरकार के तहत नहीं आती। अगर यह व्यवस्था दिल्ली पुलिस और लॉ एंड आर्डर की व्यवस्था आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार के तहत होती तो जो अभी माननीय विपक्ष के लीडर ने कहा कि कातिलों को फांसी मिलनी चाहिए, चाहे वो कातिल किसी भी पार्टी के होते, हम आपको यकीन दिला रहे हैं, उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाकर छोड़ते। उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाकर छोड़ते हम लोग। लेकिन आज इनकी उसके साथ राजनीति की जा रही है। ये तो एक बेसिक जांच कोई भी क्राईम होता है, उस क्राईम की एक बेसिक जांच की कहीं भी कोई सुराग मिलता हो, किसी भी हत्या के अंदर उससे बुलाकर पूछते हैं कि आपका क्या रिश्ता था? आप कहां थे उस दिन? क्या कर रहे थे उस दिन? हम आरोप नहीं लगा रहे। हम ये नहीं कह रहे कि कौन दोषी है, दोषी तो जांच के

बाद... जांच तो करो। जांच तो करो। उनके कॉल रिकार्ड तो निकलवाओ। कैमरे की फुटेज सारी गायब कर दी। उनको बुलाकर पूछने की पुलिस कमिश्नर को हिम्मत नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति माननीय होम मिनिस्टर जी का खास आदमी है। यूनियन होम मिनिस्टर का खास आदमी है, जिनके ऊपर अभी चर्चा की जा रही है। उन्होंने किया कि नहीं किया, पता नहीं हमें। उनका क्या रोल था, पता नहीं हमें। लेकिन कुछ चीजें सामने आई हैं। उन्होंने लैटर्स लिखे उनके फेवर में। बहुत स्ट्रॉंग लैटर्स लिखे। उनका पुराना कन्डक्ट एक क्वेशचन मार्क है। जो अल्का लाम्बा जी ने अभी प्रस्तुत किया। उसके बेसिज पर एक क्वेशचन मार्क उठता है कि जांच आज निष्पक्ष नहीं हो रही है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पहली चीज। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि बहुत कुछ तो हम नहीं कर पाएंगे लेकिन ये सदन जितना कुछ कर सकता है, एक मैसेज ये जाना चाहिए सारे ऑफिसर्स को कि ये सदन जो कुछ कर सकता है, हम वो सब करने के लिए तैयार हैं। तो इस मामले को एकजामिनेशन के लिए अप्रोप्रिएट कमेटी को रैफर किया जाए जो कि जितना भी इसको एकजामिन कर सकती है, वो एकजामिन कर सके। चाहे वो पैटिशन कमेटी हो, चाहे जो भी हो, आप ज्यादा जानते हैं। इन मामलों को एकजामिनेशन के लिए उस कमेटी को रैफर किया जाए, एक मेरा ये सुझाव है। दूसरा, उनके परिवार की माली हालत खराब हैं और अब वो परिवार खान साहब का परिवार नहीं है, वो परिवार हमारा सबका परिवार है। वो परिवार यहां बैठा है और इस पूरे सदन के माध्यम से मैं उस परिवार को आश्वासन देना चाहता हूं कि आपका कोई भी दुःख तकलीफ कुछ भी हो, आप हमें अपने परिवार का हिस्सा मानें और

अपना मानकर अपना दुःख सुख हमारे साथ शेयर करें, हम हमेशा आपके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। दिल्ली सरकार ने एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि, मैं उसको केवल सम्मान राशि बोलूंगा, क्योंकि इसका तो कोई मुआवजा नहीं हो सकता। इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती जितनी बड़ी शहादत उनको तीन करोड़ या चार करोड़ रुपये तो होटल वाला ही ऑफर कर रहा था, ऐसा सुनने में आया है। तो एक करोड़ रुपये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक छोटी सी सम्मान राशि दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई है। जिसका चैक तैयार है और अगले कुछ दिनों में परिवार को डिलीवर कर दिया जाएगा। अभी-अभी उप-मुख्य मंत्री जी खान साहब को शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए फाईल साईन करके आए हैं, अभी। उनके परिवार को दिल्ली सरकार के तरफ से भी शहीद का दर्जा दिया जाएगा लेकिन मेरा कहना है कि इस सदन की तरफ से भी एक रेजूलेशन पास करके माननीय खान साहब को शहीद का दर्जा दिया जाए ताकि सदन के इतिहास में लिखा जा सके कि खान साहब के ऊपर यहां चर्चा हुई थी और खान साहब को इस सदन ने शहीद का दर्जा दिया था और बिना कोई राजनीति किए, मैं विजेन्द्र गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि 25 लाख रुपये जो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किये हैं, वो अभी तक उस परिवार को मिले नहीं हैं। अगर वो...

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपने मेरा नाम लिया है। दोनों एक साथ मिल जाने चाहिए।

मुख्य मंत्री : हमारा तो चैक बन गया, अब अपना चैक ले आओ कल।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं थोड़े ला आऊंगा? आपके साथ चलता हूँ।

मुख्य मंत्री : नहीं, मेरे साथ चल कर क्या करोगे ?

...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : इसी को इन्टोलेरेंस कहते हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : बिल्कुल। मैं हर तरह से तैयार हूँ।

मुख्य मंत्री : इसी को इन्टोलेरेंस कहते हैं। आपमें सुनने की क्षमता नहीं है। सुन लीजिए दो मिनट। जब आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। सुन लीजिए दो मिनट। थोड़ी सी मान मर्यादा रखिए। सदन की भी रखिए। बैठ जाइए आप। बैठ जाइए आप।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, उन्होंने यही आग्रह किया है कि हम एक करोड़ का चैक दे रहे हैं। आप कब तक दे रहे हैं ?

मुख्य मंत्री : अच्छा एक काम करते हैं। कल शाम को पांच बजे? कल शाम को पांच बजे सचिवालय के अंदर एक करोड़ रुपये का चैक हम इनको देंगे। आप 25 लाख रुपये का होम मिनिस्ट्री से ले आइएगा। स्पीकर महोदय, अगर दो मिनट को साईलेंस मौन ये सदन रखे।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार जो आपने प्रस्ताव रखा है, मैं उस प्रस्ताव की सहमति ले लूँ। सदन उनको शहीद का दर्जा दे। फिर उसके बाद दो मिनट का मौन रख लेते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह जो प्रस्ताव

रखा है कि यह सदन सर्वसम्मिति से खान साहब को एक शहीद का दर्जा दे। ये प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में है वो हां कहें;

जो इसके विरोध में है वो ना कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता।

माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव सर्वसम्मिति से पारित हुआ।

अमानातुल्लाह खान : अध्यक्ष महोदय, एक मैसेज आया है के ये जो महेश गिरी जी ने चिट्ठी नहीं लिखी थी एल.जी. साहब को बल्कि उसको जो रमेश कक्कड़ है, उसको खुद एल.जी. साहब के पास लेकर गए थे सिफारिश के लिए, खुद महेश गिरी जी, एल.जी. साहब लेकर गए थे कि एम.एम. खान इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। अभी आया है हमारे पास ये।

अध्यक्ष महोदय: अब इस शहादत के लिए, खान साहब की आत्मा की शांति के लिए हम दो मिनट का मौन रखेंगे।

(सदन द्वारा मिनट के लिए मौन धारण)

ध्यानाकर्षण की सूचना (नियम-54)

अध्यक्ष महोदय: अब विजेन्द्र गुप्ता जी, जो मुझे सुबह उनका नोटिस प्राप्त हुआ था नियम 54 के अन्तर्गत, सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना विषय रखें।

श्री सौरभ भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे एक निवेदन किया था कि आप एक बार रिकन्सीडर करें कि जो प्रिविलेज मोशन है, हम विजेन्द्र गुप्ता जी के खिलाफ उसको रिकन्सीडर करें। इन्होंने बहुत बड़ा अपमान सदन का किया है।

अध्यक्ष महोदय: देखिए, भई ऐसा नहीं।

...(व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाज: कम से कम प्रिविलेज कमेटी को वो मामला दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: बैठिए प्लीज बैठिए। जगदीप जी।

श्री सौरभ भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, कम से कम प्रिविलेज कमेटी में वो मामला जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सोमनाथ जी, मैं स्वयं कह चुका हूँ।

श्री सोमनाथ भारती : अपनी करनी पे शर्मिदा भी नहीं हैं ये।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारती : अपनी करनी पे शर्मिदा भी नहीं हैं ये। इनको माफी मांगनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं स्वयं अपना निर्णय ले चुका हूँ। आप बैठ जाएं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ। आप बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बैठिए, भारद्वाज जी, झा साहब बैठ जाइए। प्लीज बैठिए, सरिता जी बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनके सामने बोला कि गलत कार्य हुआ है ये। मैंने खुद बोला है। सब कुछ बोल दिया। अब प्रवीण जी बैठिए। सौरभ जी बैठिए।

...(व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ कृपया आप बैठे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ भाई अजय जी, प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बैठिए। विजेन्द्र जी भी तो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं न कि मैं कब कह रहा हूँ कि बाहर जाएं आप ? मैंने तो परसों भी नहीं कहा कि बाहर चले जाओ जब बैंच पर चढ़ गए थे। मैंने रोका अपने आप को।

श्री विजेन्द्र गुप्ता जी: ये तो लोकतंत्र की खुली हत्या हो रही है! यहां पर।

अध्यक्ष महोदय: जो मर्जी आए वो कह लें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे ये लग रहा था कि ओम प्रकाश जी के जाने के बाद ये सदन शांतिपूर्वक चलेगा। मुझे यह लगा। लेकिन वो भूमिका आपने निभानी शुरू कर दी। ओम प्रकाश जी ने माईक तोड़ा। आप तो सारी सीमाएं लांघ कर मैज पर खड़े हो गए! मैंने सब कुछ सहन किया और मैं बाहर नहीं निकालूंगा जो मर्जी आए, करें आप। आप जो मर्जी करें, मैं बाहर नहीं निकालूंगा। माननीय सदस्य बैठ जाएं।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: विजेन्द्र जी, मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ, अध्यक्ष होने के नाते भी, बड़ा होने के नाते भी। सदन की गरिमा बढ़ाने में हम कहीं न कहीं बाधा पहुंचा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो आप बीच में बोलते हैं। सारा माहौल खराब होता है। कोई भी मंत्री बोलता है, आप बीच में बोलते हैं, आप बोलते हैं तो उसे...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: तो मेरी बात सुन लीजिए। नहीं बोलेंगे वो, आप कन्ट्रोल तो कीजिए एक बार। अब किसी का भी, किन को? हां, अब मैं रोकूंगा। लेकिन आप भी अपने आप को रोकिए न जी थोड़ा। मैं रोकूंगा निश्चित रूप से। हां, सौरभ जी कहिए, क्या कह रहे हैं?

श्री सौरभ भारद्वाज : अध्यक्ष जी, विजेन्द्र गुप्ता जी कह रहे थे कि वो अकेले हैं यहां पे और यहां पे हमारे 67 लोग हैं। मगर में फिर भी जितना में जानता हूं अपने विधायकों को... मैं यह कह सकता हूं कि जो हाल इन्होंने पार्षद का किया अकेला देख के। हमारे लोग कितना भी गिर जाएं, हम उतना नहीं गिरेंगे, जितना ये भा.ज.पा. वाले उस दिन गिरे और जिस एग्रेसन से बार बार हम पर चढ़ के आते हैं, जिस तरह से बदत्तमीजियां इस हाऊस के अन्दर करते हैं। इनको भी कहीं न कहीं मन में ये विश्वास है कि ये आम आदमी वाले पार्टी वाले जो लोग हैं, चाहे वे कुछ भी हैं, ये हमें दिन रात गाली देते हैं। मगर खुद इनको दिल में ये मालूम है कि हम लोग इतना नीचे नहीं गिर सकते कि इनके ऊपर हाथ छोड़ दें या इनके साथ गाली-गलोच करें। अगर इस सदन में आज तक गाली दी भी गई है मैं जब पहली बार इस सदन में आया था, यहां पे इनके 32 लोग बैठा करते थे और मैं शुरू में तो उनके चहरे ही देखता रहता था। इतना एग्रेसन उनके अन्दर और इस तरह से वो हमें घूरते थे हम नए-नए बच्चे आए थे, 28 ही थे हम। तो हमें उनकी शक्लें देख कर भी कभी-कभी डर लगता था कि पता नहीं क्या कर देंगे हमारे साथ। खैर! दिल्ली की जनता ने उनको जो भी सबक सिखाया, मेरा यह मानना था कि प्रधानमंत्री जी जब पहली बार संसद में गए, पता नहीं, उन्होंने देश के लिए किया या मीडिया के लिए किया! उन्होंने अपना सर संसद की सीढ़ियों पर टिकाया। उन्होंने जनता को यह मैसेज दिया कि ये मन्दिर है और यह बहुत बड़ी जगह है जहां पे हम आए हैं। जो दो करोड़ लोग हमें यहां पर चुनकर भेजते हैं, जो

मोटा-मोटा काम हमारा है, वो ये है कि यहां पर हम कानून बनाते हैं। कानूनों को बनने से पहले जिसे बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं, उन विधेयकों को हम यहां पर रखते हैं। मतलब यहां पर अगर मंदिर के अन्दर पवित्र ग्रंथ होते हैं या गुरुद्वारे के अन्दर गुरु ग्रंथ साहिब होती है या कुरान साहिब होती है तो हमारे लिए जो पवित्र चीज है, वो यहां पर हम लोग रखते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं और ये पूरी की पूरी विधान सभा उस चर्चा के, उन विधेयकों के आस-पास ही घूमती है। वो ही हमारी कोर कंपीटेंसी है यहां की। ये महाशय एक छोटी सी बात पर जूते लेकर उसके उपर चढ़ गए और चढ़कर उनको ऐसा नहीं लगा कि मैंने गलत कर दिया, ये उस पर चढ़कर अलग-अलग हरकतें करते रहे।

अध्यक्ष महोदय: प्लीज कन्क्लूड करिए।

श्री सौरभ भारद्वाज: माननीय अध्यक्ष जी, मैं कन्क्लूड ये कर रहा हूं कि अगर आप इनको आज नहीं रोकेंगे तो कल आपके डेस्क पर खड़े होकर नाचेंगे। ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं और देखिए ओ.पी. शर्मा जी जब तक थे, तब तक ये थोड़े शांत रहते थे। अब उनकी कमी ये पूरी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जगदीश जी ही इनके बीच में एक शालीन आदमी हैं। उनको, मुझे लगता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना चाहिए। ये इस लायक नहीं हैं। जो उन्होंने काम किया है कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन रहें और ये जो मुद्दा है, आप कृपया करके प्रिविलेज कमेटी में भेजिए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: चलिए धन्यवाद। हां जी, विजेन्द्र जी, अब कोई बोलेगा नहीं प्लीज। हां विजेन्द्र जी, अब आप बात पूरी करिए अपनी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, इस सदन में बहुत उम्मीदों से आया था।

अध्यक्ष महोदय: अब सीधा विषय पर आ जाइए विजेन्द्र जी फिर आगे पीछे करेंगे जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है नियम 54 का। भई सरिता जी आप बैठ जाइए प्लीज। बैठ जाइए। बैठ जाइए सोमनाथ जी बैठ जाइए प्लीज। हो गया प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: दिल्ली जल बोर्ड के...

अध्यक्ष महोदय: ये मीडिया ने बहुत कुछ दे दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी ने, क्योंकि हम सब जानते हैं कि टैंकरों से जो पानी की सप्लाई होती है उसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। आज भी हो रहा है और अनाथराइज्ड बस्तियों में रहने वाले, गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों को पानी का टैंकर पहुंचता नहीं है लेकिन पेमेंट हो जाती है। यानि कि लोग प्यासे मर रहे हैं लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं झगड़ा कर रहे हैं लंबी-लंबी लाइनों में लग रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: ये कब के घोटाले की चर्चा कर रहे हैं? आप समय पर बोलिए ना।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: क्योंकि फाइल दबाई गई है तो...

अध्यक्ष महोदय: ये कब के घोटाला हैं? ये कौन से साल का है? किसके समय का है ? हां, ये तिथि बोलिए ना। फिर गुमराह कर रहे सदन को, दो मिनट।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: पिछले तीन साल से ये बेईमानी भ्रष्टाचार घोटाला चल रहा है दिल्ली के अन्दर और ये गंभीर मामला है पीने का पानी, मई जून की गर्मी में बिलखते बच्चों को नहीं मिल रहा है। मां बाप परिवार वाले लाइन में, धूप में खड़े हैं लेकिन पता लगता है कि टैंकर एक आया और पेमेंट दस की हो रही है। जब कपिल मिश्रा जी मंत्री बने तो उन्होंने बहुत उत्साह के साथ... इन्होंने बहुत जब्बे के साथ कि हम इस भ्रष्टाचार को रोकेंगे क्योंकि हमने कहा था कि जीरो टॉलरेंस है करप्शन के अगेंस्ट। इन्होंने आते ही ओथ लेने के कुछ दिन बाद ही 19 जून को एक फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की और उससे रिपोर्ट मांगी टाइम बाउण्ड कि ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है या हुआ है, इस पर रिपोर्ट देंगे। वो रिपोर्ट आ गई और उस रिपोर्ट से मंत्री जी उत्साहित हुए कि हमने भ्रष्टाचार के बड़े मामले को पकड़ लिया है, हम उस पर काबू पा लेंगे और उन्होंने 28 अगस्त 2015 को एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को जैसा कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमेशा कि जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेके और उसी उत्साह में उनके कार्यकर्ता, मैं तो कार्यकर्ता ही कहूंगा कपिल को, कपिल बहुत उम्र भी छोटे हैं, उत्साही है, उनको बहुत अच्छा मौका भी दिया है उन्होंने। तो उन्होंने जैसा उनको बताया गया जैसा जीरो टॉलरेंस की बात हुई, उसी भावावेश में इसमें लिखा कि “people have voted us to power after a massive anti-corruption movement after your inspiring leadership made them believe that corruption can be eradicated. उसके बाद आगे लिखते हैं, “this report is self-explanatory and exposes how the then DJB Chairman, Chief Minister, Smt. Shiela Dixit Ji and other Board members have

consistently bypassed laws and rules to cause a loss of almost rupees four hundred crores to Delhi Jal Board.” यानि कि रिपोर्ट में मंत्री जी के अनुसार 400 करोड़ रूपये का इसको घोटाला बताया गया और 28 अगस्त के बाद अब तक और कितना ऐड हो गया होगा ये तो रिपोर्ट के आने के बाद ही पता लगेगा। “Respected CM, Sir, I am forwarding this report to you with request that an FIR should immediately be lodged by Delhi Government based on this report against all those invoved in this scam. This is a big expose.” फिर मंत्री जी लिखते है “This is a big expose CM Sahab and I am afraid that immediately after this expose, there will be an attempt to destabilize our government in Delhi and also removing me from this Chair. I went to Raj Ghat this morning and I am signing on this report with no fear whatsoever in the mind.” और आगे दो तीन अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ना, चलिए कुछ तो अच्छा लगा मेरा। बाकी तो आपको बुराई नजर आ रही है मेरे अन्दर “Since the day I have joined Aam Aadmi Party, I have seen many of our workers losing their jobs, livelihood and even lives in this fight against corruption. I am drawing my inspiration from all of them. I would like to thank you for your support and guidance in this fight against corruption. So, this is the fight against corruption.” 28 अगस्त को रिपोर्ट के साथ ही एक चिट्ठी जाती है।

अभी जब पिछले फ़ाईडे को लास्ट डे जब मैंने जब ये मुद्दा उठाने की कोशिश की, उससे पहले मैंने ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस स्कीम का

मुद्दा उठाने की कोशिश की, आपने दोनों दिन मुझे इजाजत नहीं दी। मैं बहुत आहत महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से मेरे द्वारा उठाए गए इस मुद्दे को समर्थन देंगे और इस पर बहुत पॉजिटिव नोट के साथ जो भी होगा, बहुत पॉजिटिव नोट के साथ आयेंगे और एक मैसेजिंग इससे बहुत अच्छी होगी और मुझे मालूम है मुख्यमंत्री जी अगर कहीं कोई एक्सक्यूज का इशू भी आता है तो उसमें देरी नहीं लगाते, एक्सक्यूज करते हैं। किया आपने कई बार किया। व्यापारियों के एक-दो मामलों में किया है पीछे आपने। अभी मैं उस बात को उठाना नहीं चाहता। एक बच्चा नौशाद जिसके पिताजी... नौ साल का बच्चा उसमें गिरकर मर गया था, आपने उस पर भी बहुत अपनी वेदना मुझसे व्यक्त की थी। तो मैं उस मुद्दे को उठाना नहीं चाहता क्योंकि मैंने तब भी कहा था कि इसमें हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत भावनात्मक होता है। तो मुझे ऐसी ही उम्मीद थी कि इस पर बहुत अच्छे वातावरण में यहां पर क्योंकि अब हमने मुद्दा उठाया है तो उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ... दस महीने तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की? क्या वजह रही\क्यों नहीं किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्यों जल बोर्ड का ये सिलसिला जारी रहा? इस पर जरूर बताएं? लेकिन उसके बजाय मुझे यहां पर बेइज्जत किया गया। मुख्यमंत्री जी ने मेरे परिवार के बारे में अपशब्द कहे। मैंने उनके आदेशानुसार आज पूरे दस्तावेज सदन पटल पर रख दिए हैं। अब आप फांसी चढ़वाइये मेरी श्रीमती को, जेल भेजिये। 74 साल की जो बुजुर्ग महिला है, आप जायेंगे, उसे देखेंगे तो सर्टिफिकेट 54 परसेंट

का है, लेकिन 74 परसेंट हैंडिकैप है। मैंने फोटो भी दिये हैं। वो बेड से उठ नहीं सकती। वो आंसुओं से रो रही है, एक भ्रष्टाचारी कहलाऊँ! मैं तो कहता हूँ आप उनको भी जेल भेजो, जब वो जाएगी तो वो भी जायेंगी। दोनों ही जेल जायेंगे। आपकी आत्मा को उस समय क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम। लेकिन आपने सदन के समक्ष मेरे परिवार को भरपूर बेइज्जत किया और भी सदस्य कर रहे हैं। मुझे मालूम है हम विपरीत परिस्थितियों में यहाँ बैठे हैं। तो हम समाज के काम के लिए निकले हुए हैं। हम समाज में समय देने के लिए निकले हुए हैं। सार्वजनिक जीवन में हैं तो तिरस्कार भी होगा। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें तिरस्कृत कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आज जो कॉलिंग अटेंशन लगाया, हो सकता था कि मैं आज न लगाता क्योंकि मुझे रवैया उस दिन समझ में आ गया था, इस पर कोई प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री जी देना नहीं चाहते हैं और उसको कहीं न कहीं छुपा रहे हैं। क्या वजह है? हो सकता है, वो आज बताये। क्या वो उद्वेलित हो गये हैं कि नहीं, मैं एफ.आई.आर. कराऊँगा। जैसा कि मंत्री जी ने उनसे आग्रह किया था। आपने कहा था, “आप दस्तावेज दे दो।” मैंने दस्तावेज दे दिये, आपको पूरी इजाजत है हमारी कोई भी जाँच करवा लीजिए, जो भी आपने एफ.आई.आर. करवानी है, करवा दीजिये और जो भी घोषणाएँ करनी हैं, भविष्य के लिए, वो भी आप कर दीजिए। लेकिन जो वायदा आपने किया था, वो वायदा अब आप पूरा करिये और इस बड़े भ्रष्टाचार के मामले का, जिस पर कोई लीपापोती नहीं होनी चाहिए क्योंकि लीपापोती होगी तो मैं समझ जाऊँगा। फिर मैं गुस्ताखी करूँगा यहाँ। गुस्ताखी करूँगा तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूँ, क्योंकि मैं गुस्ताखी करता जाता हूँ, आपको बुरा लगता जाता है। तो अब...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : वही कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आप साफ पाक एकदम कहने की कोशिश करते हैं कई बार, आयें इस पर। अगर आपसे गलती हुई है दस महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की तो माफी मांग लीजिये। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब कर दीजिये कार्रवाई।

अध्यक्ष महोदय : श्री कपिल मिश्रा जी।

श्री महेन्द्र गोयल : दिल्ली सरकार को ए.सी.बी. दे दो, एक महीने में पूरा निर्णय करके दे देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महेन्द्र जी, बैठ जाइये प्लीज। कपिल मिश्रा जी।

पर्यटन मंत्री (श्री कपिल मिश्रा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जो मुद्दा विजेन्द्र गुप्ता जी ने उठाया है, उसकी शुरुआत में मैं एक बात बता देना चाहता हूँ पूरे सदन को कि टैंकर घोटाले की जो जांच हमारी सरकार ने कराई, जिसके तथ्य स्पष्ट किये और रिपोर्ट लाये, आज सुबह सदन में आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से और दिल्ली के उपराज्यपाल जो अनयूजवल् परिस्थितियों में ए.सी.बी. के मालिक बन कर बैठे हैं, उनके माध्यम से सी.बी.आई. और ए.सी.बी. में शीला दीक्षित के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए हम भेज चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, अब सुन लो। अब आपको बैठ कर सुन लेना चाहिए। आप बोल रहे थे। कोई नहीं बोला, मैंने रोका पूरा। फिर आप खड़े हो गये।

पर्यटन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें रखना चाहता हूँ, जो विजेन्द्र गुप्ता जी ने रखी। एक-एक करके चार-पांच बात रख देना चाहता हूँ। अपनी बात की शुरुआत में विजेन्द्र गुप्ता जी ने कहा कि जल बोर्ड टैंकर का घोटाला आज भी हो रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूँ, विपक्ष के नेता होने के नाते पिछले एक साल में एक भी शिकायत, एक भी पत्र या एक भी फोन विजेन्द्र गुप्ता जी ने टैंकर के लिए मेरे को या किसी मंत्री को, किसी जल बोर्ड के अधिकारी को नहीं किया है। तो क्या यह जो आप कह रहे हैं घोटाला हो रहा है, इसको आप दबा कर बैठे हुए हैं? नेता विपक्ष होने के नाते एक भी शिकायत विजेन्द्र गुप्ता जी, जगदीश प्रधान जी या ओ. पी. शर्मा जी की तरफ से दिल्ली जल बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई है टैंकर के मामले में। पूरे एक साल में ऑन रिकार्ड सदन के अंदर यह बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो विजेन्द्र गुप्ता जी बोल रहे थे फाइल दबाई, फाइल दबाई, फाइल दबाई, कौन सी फाइल? जांच की फाइल? किसने की जांच? हमने की जांच, किसकी जांच हुई? शीला दीक्षित की जांच हुई और परेशान कौन है? भाजपा परेशान है। यह परेशानी किस बात की है? आपने खुद यह तथ्य रखे कि 15 जून को दिल्ली में जल मंत्री के नाते शपथ ली और मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार चार दिन के अंदर 19 जून को टैंकर के घोटाले की हम लोगों ने जांच शुरू कर दी। 28 अगस्त के जिस पत्र की चर्चा विजेन्द्र गुप्ता जी करते हैं, जिसमें

मैंने स्पष्ट तौर पर लिखा था कि इसके होते ही तुरंत हमारी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाएगी। पूरा सदन गवाह है और पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से एंटी करप्शन ब्यूरो के ऊपर कब्जा कर लिया गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो पाये और आज भी हम कोर्ट में उस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है, वो किसके अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए। अनयूजवल् परिस्थितियां इस शहर के अंदर, इस राज्य के अंदर क्रिएट की गई कि भ्रष्टाचार के विरोध में कोई भी अगर कार्रवाई होती है तो उसकी सारी ताकत इस सरकार से छीन ली जाये। हमने भी इंतजार करने की कोशिश की कि हम कोर्ट के माध्यम से या किसी और माध्यम से ए.सी.बी. को लेंगे लेकिन जब आप लोगों की यह नौटंकी शुरू हुई, आपने यह बोला कि मैंने मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा, जाँच कराई और उनसे बोला कि एफ.आई.आर. होनी चाहिए। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक साल में दिल्ली सरकार का मंत्री होने के नाते मैं यह जांच करके, रिपोर्ट करके दे सकता हूँ। 2 साल में आपके किसी केन्द्रीय मंत्री की क्यों हिम्मत नहीं हुई कि ऐसा एक पत्र मोदी जी को लिख कर दे सकता हो? ऐसा एक पत्र किसी भी भ्रष्टाचार या घोटाले की जांच को करके, रिपोर्ट बनाकर मोदी जी को एक भी केन्द्रीय मंत्री देता कि मैंने पुरानी सरकारों के घोटाले की जांच कराई है, आप एफ.आई.आर. दर्ज कराओ। यह साहस, यह हिम्मत, यह ताकत अगर हमें कहीं से मिलती है तो अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से मिलती है। फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट प्रधानमंत्री महोदय को भेजी जा चुकी है, दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को भेजी जा चुकी है। दोनों से स्पष्ट तौर पर

कहा गया है कि सी.बी.आई. और एंटी करप्शन ब्यूरो दोनों में शीला दीक्षित जी के खिलाफ यह मामला दर्ज किया जाये। जांच हमने करवा ली है। यह रिपोर्ट है, प्राइमरी जांच दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से कंप्लीट है। 400 करोड़ रुपये का लगभग मोटा-मोटा यह घोटाला शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में किया गया है, जिसकी रिपोर्ट यहाँ पर है और मैं यह कहता हूँ बिल्कुल, आप इसका क्रेडिट लेना चाहें कि आपके कारण हो गया, आपने हल्ला मचाया, उछल-कूद किया। एक मिनट बात पूरी कर लेता हूँ। आपने किया, इसके कारण यह हुआ! मैं कहता हूँ आप पूरा क्रेडिट ले लीजिये। पूरे शहर में आप पोस्टर छपवा लीजिये कि भा.ज.पा. के कारण हुआ है। होर्डिंग लगवा लीजिए, प्रचार-प्रसार कर लीजिए, बाहर जाकर बयान दे दीजिए कि आपके कारण हमने किया है। बधाई देता हूँ मैं आपको, लेकिन मैं यह बात कहता हूँ जो आपने कही कि लीपापोती नहीं होनी चाहिए अब इस मामले में। आपने यही बात कह कर अपनी बात खत्म की थी। मैं आपसे कहता हूँ अब लीपापोती नहीं होनी चाहिए। हमें डर है कि इस जांच का भी ए.सी. बी. और सी.बी.आई. वही करेगी जो हमने शीला दीक्षित के खिलाफ तीन एफ. आई.आर. दर्ज कराई है, उनका हो रहा है। आपने बहुत हल्ला मचाया कि इस रिपोर्ट का क्या हो रहा है ? काश, आपने एक दिन बोला होता कि ऑलरेडी जो तीन एफ.आई.आर. शीला दीक्षित के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज है, उस पर अब तक क्या किया गया है। कभी आप ए.सी.बी. में जाकर मिल कर आये, कभी आपने उपराज्यपाल से बोला, कभी आपने केन्द्र सरकार से बोला कि ए.सी.बी. में मुकदमा दर्ज है। शीला दीक्षित के खिलाफ दर्ज है, भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज है और तीन मुकदमे दर्ज हैं, अब यह

चौथा दर्ज होगा। अगर उपराज्यपाल ने दर्ज कर दिया तो! ये तीन मुकदमे दर्ज हैं तब ए.सी.बी. हमारे अंडर में होती थी। हमने एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी। आज तक भाजपा के किसी एक भी प्रतिनिधि की तरफ से शीला दीक्षित के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के तीन मुकदमे ए.सी.बी. में उनके बारे में एक लफज नहीं बोला गया है, बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठे हैं, सब के सब। हमें यह डर है कि आप इसका भी यही हथ्र करेंगे। हमें यह डर है कि ए.सी.बी. में मुकेश अम्बानी जी के खिलाफ जो शिकायत दर्ज है, उसका जो हथ्र आपने किया है, इसका भी आप यही हथ्र करेंगे और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ आपसे गुप्ता जी, व्यक्तिगत तौर पर आपने आज अपनी धर्मपत्नी के रिकार्ड इस सदन में रख दिये हैं, पूरे रखे हैं या नहीं रखे, वो भी देख लेंगे। यह रिपोर्ट मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको देने के लिए लेकर आया हूँ आप मुझसे ले जाना आज यहाँ से। आप इस रिपोर्ट को ले जाओ पर्सनली और दो महीने का समय देता हूँ आपको। जाँच करके दे रहा हूँ, सबूत इकट्ठे करके दे रहा हूँ, रिकमंडेशन बना कर कितने करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, किसने किया है, मेरी बात सुन लीजिए जरा ध्यान से, बेचैन मत होइये, अभी तो शुरूआत है। किसने घोटाला किया है, कौन-कौन नेता शामिल थे, कौन-कौन अधिकारी शामिल थे, कितने करोड़ का घोटाला है, किस टेंडर में गड़बड़ी थी, कहाँ पर कौन सी मीटिंग में गलत हुआ? ये पूरे के पूरे डाक्युमेंट आपको व्यक्तिगत तौर पर दूँगा। आपके प्रधानमंत्री महोदय को दिया है, आपके उपराज्यपाल महोदय को दिया है। दो महीने का समय दे रहा हूँ शीला दीक्षित जेल के अंदर नहीं गई तो उसके बाद पूरी दिल्ली के सामने और पूरे देश के सामने यह साबित हो

जाएगा कि अगर भ्रष्टाचारियों को कोई बचा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। अब या तो दो महीने के अंदर शीला दीक्षित को सलाखों के पीछे भेज देना वरना हमें एसीबी दे देना। इसी रिपोर्ट के आधार पर 24 घंटे में गिरफ्तार करके दिखा देंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट सामने है, सारे तथ्य सामने हैं और व्यक्तिगत तौर पर, आप प्लीज गुप्ता जी को को ये दे भी दीजिये कोई आकर, मैं ये चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट आप पढ़ें और आप देखें की भ्रष्टाचार की जांच कैसे कराई जाती है और अंत में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस सदन के अंदर इस रिपोर्ट पर भी जब चाहें, तब चर्चा करा लें और एक बार चर्चा उस पेंशन घोटाले की भी जरा खुलकर हो जाए, जिसके बारे में विजेन्द्र गुप्ता जी के परिवार के ऊपर भी बात आ रही है, बहुत-बहुत शुक्रिया जयहिन्द।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी।

मुख्यमंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सारी बातें कपिल जी ने बोल दी हैं। एक्चुअली दो दिन पहले जब शोले फिल्म की तरह माननीय नेता विपक्ष, हीरो बनकर चढ़े वहां पर, तो पूरी दिल्ली सरकार हिल गई थी उस समय। एक बार तो हम लोग वाकई डर गए थे बुरी तरह से, जैसे वो धर्मन्द्र ऊपर से हमें, पूरी दिल्ली सरकार को ये डर लगा कि नेता विपक्ष एक विलुप्त होती हुई जाति है, मुश्किल से मिलता है कोई ढूंढने से जिसको नेता विपक्ष बनाया जा सके। अगर ये कूद गये और इनको कुछ हो गया तो हम नेता विपक्ष कहां से लाएंगे endangered species हैं। कोई बचा नहीं, तीन थे एक का निष्कासन हो गया, एक ये हैं। तो पूरी दिल्ली

सरकार हिल गई और तुरंत हमने बाहर जाकर मैंने मनीष को कहा कि जो कह रहे हैं, उनकी बात को मान लो। बचाओ किसी तरह से उनको, ये कूद न जाएं! तो आज जो कपिल मिश्रा जी ने एक्शन लिया है और दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि सी.बी.आई. को भी भेज दिया, ए.सी.बी. को भी भेज दिया। सारा क्रेडिट आपको जाता है इसका और ये जितने ऊपर अखबार वाले बैठे हैं प्लीज कल छापियेगा कि सारा विजेन्द्र गुप्ता जी के अथक प्रयास से और उनकी मेहनत से और उन्होंने जान की बाजी लगाकर अपनी, अपनी जान दांव पर लगाकर उन्होंने ये सी.बी.आई. की और इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। हम सब लोग उनका शुक्रिया दिल्ली सरकार आपका शुक्रिया अदा करती है...

...(व्यवधान)

मुख्यमंत्री: मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि विजेन्द्र जी अपनी बात के पक्के हैं। आज विजेन्द्र जी की तरफ से मैं सारे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर दो महीने के अंदर शीला दीक्षित जी जेल नहीं गईं तो ये अपनी मूंछ कटवा लेंगे...

...(व्यवधान)

मुख्यमंत्री: मेरी बस रिक्वेस्ट है दोबारा मत चढ़ जाना, दोबारा मत चढ़ जाना और मैं आप सबको आज आश्वस्त करना चाहता हूं कि दो महीने के अंदर शीला दीक्षित जी जेल नहीं गईं तो ये भी इस्तीफा दे देंगे और मोदी जी का इस्तीफा मांगने के लिए भूख-हड़ताल पर बैठ जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: मुझे श्री नरेश यादव जी द्वारा एक पिटिशन कमेटी के लिए नोटिस प्राप्त हुआ है। दैनिक जागरण में एक गलत न्यूज छपी है, उसकी रिपोर्टिंग गलत हुई है। मैं नरेश यादव जी को इसकी अनुमति दे रहा हूँ, वो अपनी बात रखें, नरेश यादव जी।

याचिका की सूचना

श्री नरेश यादव: धन्यवाद अध्यक्ष जी, कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, दैनिक जागरण में एक खबर छपी थी कल "12 जून को महिपालपुर में पानी के लिए भिड़ गई महिलाएं" जो एक झूठी खबर थी और इस झूठी खबर से दिल्ली सरकार की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई और उस एरिया में पानी के लिए दहशत फैलाने की कोशिश की गई। मेरा विधानसभा क्षेत्र महिपालपुर के बिल्कुल साथ में है, जब इस खबर की फैक्ट्स के लिए आदरणीय मंत्री जी और कपिल मिश्रा जी ने अपने उच्च अधिकारियों के साथ में मौके पर जाकर जांच की तो फैक्ट पता चला। इन्होंने जब उस पत्रकार से भी बातचीत की तो उस पत्रकार ने भी ये माना की ये पुरानी कोई वीडियो थी व्हाटसैप पर उसके आधार पर उसने ये खबर छापी है और उसने किसी भी तरह की कोई जानकारी इस न्यूज के बारे में लेने की कोशिश नहीं की। वो उस स्थान पर भी नहीं गये, न ही उन्होंने इन महिलाओं से कोई बात की। सिर्फ एक न्यूज बना दी झूठी। जिससे की दिल्ली सरकार की छवि पर काफी इसका फर्क पड़ा लोगों में। वहां के एरिया में लोगों ने चर्चा की कि इस तरह का पानी का माहौल बना हुआ है जबकि ये सच्चाई नहीं है।

मैं आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे को पिटिशन कमेटी को दिया जाए जिससे की इसके फैक्ट्स सामने आएँ और इस तरह की जो झूठी खबरें... जो पत्रकार इस तरह की झूठी खबरें छापते हैं, अपने पर्सनल मोटिव्स की वजह से या हो सकता है कि दूसरी अपोजिशन पार्टी की वजह से इस तरह की खबरें छपी जा रही हैं तो इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि पत्रकारिता के ऊपर लोगों का जो विश्वास है, वो बना रहे और इस तरह की पत्रकारिता भविष्य में न हो। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये मामला पिटिशन कमेटी में दिया जाए और इसके लिए मेरे पास एक शिकायत भी आई है जिसकी कापी मैंने आपको भिजवाई है। तो इसकी पूरी जांच की जाए और पिटिशन कमेटी इसके फैक्ट्स के बारे में पूरी जांच करे, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: माननीय कपिल मिश्रा जी, माननीय मंत्री।

सुश्री अलका लाम्बा: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि इसी पर इस अफवाह को फैलाने का काम किसी और ने नहीं, नेता विपक्ष, विजेन्द्र गुप्ता जी ने किया है। इस खबर को उन्होंने ट्वीट किया है और उसे ट्वीट करते हुए उन्होंने दिल्ली सरकार को घेरा भी है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ। सोशल मीडिया में इस भ्रम को फैलाने का काम नेता विपक्ष ने किया है, इन्होंने ट्वीट किया है। मेरे पास आपका ट्वीट सेफ है। अभी विजेन्द्र गुप्ता जी का ट्विटर हैडल जांच कर लिया जाए कि विजेन्द्र गुप्ता जी ने इस झूठी अफवाह को फैलाने का काम किया या नहीं किया है?

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता: जो लोग बोलते हैं उनके खिलाफ उनको... पहले राजकिशोर को निकलवाया इन्होंने। अब उसको निकलवा रहे हैं...(व्यवधान) के अंदर जो हाहाकार हो रहा है जिस तरह से आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मीडिया के साथ, उसका मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ और सदन से वॉक आउट करता हूँ।

(नेता प्रतिपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता जी द्वारा सदन से बहिर्गमन)

...(व्यवधान)

पर्यटन एवं जल मंत्री: आपसे प्रार्थना है कि आप सुनके जाइये।

...(व्यवधान)

श्री सही राम: अध्यक्ष जी, क्योंकि कल की जो नरेश यादव जी ने अभी चर्चा की, उसमें मेरी विधान सभा का भी जिक्र है। इसलिए सुबह साढ़े आठ बजे कपिल मिश्रा जी का मुझे फोन आता है कि आपके यहां तुगलकाबाद में ऐसी क्या किल्लत है ? मैंने भी अपने आदमी को भेजा और मैं खुद भी गया और इन्होंने सी.ई.ओ. वगैरह को भी भेजा। मेरे यहां एक पर्सेंट भी ऐसी दिक्कत नहीं थी लेकिन वहां ब्लैकमेलिंग की जा रही है बी.जे.पी. के जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा। वे, जहां भी टेंकर जाता है और गांव में टेंकर जाता उसकी वीडियो फिल्म दिखाकर...(व्यवधान) करते हैं देखो, मारामारी... अरे! वो तो कुछ कर नहीं पाये... अगर हम कर रहे हैं तो हमें करने तो दें। मैं तो धन्यवाद कर रहा हूँ कपिल जी का

कि उसी समय सी.ई.ओ पहुंचा, पूरी जांच हुई लेकिन एक चीज में कहना चाहूंगा कि ये जो बार-बार जांच होती है, उससे हमारे टेंकर वाले जो ड्राईवर हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं, हमारा स्टॉफ भी डिस्टर्ब होता है। एक बार जांच कर लें वो अच्छी तरह से, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दो बार कर लें लेकिन वो डेली जाकर तीसरे दिन जाकर जांच करते हैं। उससे वो भी परेशान हैं, अधिकारी भी परेशान हैं और हम डिस्टर्ब होते हैं, धन्यवाद जयहिन्द।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी।

श्री कपिल मिश्रा: माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो मामला है, कल दैनिक जागरण में एक खबर छपी। लगभग आधे पेज की खबर थी और उस खबर की हैड लाइन थी "दिल्ली में पानी के लिए महिलाओं में मारामारी।" तुगलकाबाद में, देवली में, महिपालपुर में, संगम विहार में बूंद-बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं" ऐसे करके उसकी हैडलाइन थी और दो बहुत बड़ी-बड़ी फोटो थी जिसमें दो महिलाएं आपस में लड़ रही थी पानी के बर्तन हाथों में लेकर और उसके बाद वो खबर थी पूरी। उस खबर में लिखा हुआ था कि पानी के लिए दंगे शुरू हो गये हैं, लड़ाई-झगड़ा हो रहा है। उस खबर में ये भी लिखा था कि मौके पर जब लड़ाई हो रही थी तो जो जनता वहां पर खड़ी थी, वो अरविन्द केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दे रही थी। उस खबर में ये लिखा था कि विधायक और जल बोर्ड के अधिकारी दो-दो हजार रुपये में टेंकर बेच रहे हैं और इस प्रकार से पूरी ये खबर बनाई गई थी। जैसे ही उस खबर को माननीय मुख्यमंत्री अरविन्द

केजरीवाल जी ने देखा, उन्होंने तुरंत ट्विटर के माध्यम से और फोन के माध्यम से मुझे आदेश दिया कि आज तुरंत इस क्षेत्र में जाओ, उन लोगों से मिलो जिनके बीच में ये लड़ाई हुई है और उस घटना की पूरी जानकारी लो और आज ही इसकी पूरी रिपोर्ट लाकर जमा कराओ। मैंने तुरंत उस क्षेत्र के सभी विधायकों को फोन किया, जल बोर्ड की पूरी टीम को लेकर मैं वहां पर गया। वहां पर जाने के बाद, मैं उस क्षेत्र में भी लोगों से मिला जिन महिलाओं की वो फोटो थी जो आपस में लड़ रही थीं। उनके घर गया। उनसे भी मैं मिलकर आया और ये जो रिपोर्टर हैं, दैनिक जागरण के, उनसे भी मैंने फोन पर भी बात की और इनको बुलाकर, दस लोगों के बीच में बिठाकर फिर मैंने इनसे बात की। मैंने इनसे पूछा कि आपको ये जो न्यूज है, ये आपने कहां से लिखी है? कहां से आपको पता लगा? तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उनके पास व्हाटसैप पर एक वीडियो आया जिसको देखकर उन्होंने ये न्यूज लिखी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वीडियो देखने के बाद आप उस इलाके में गये ?

अध्यक्ष महोदय: जो नरेश यादव जी ने रखा है, कपिल जी ने जिस पर अपना वक्तव्य दिया है और मुझे न्यूज पेपर की ये रिपोर्टिंग भी भेजी है, मुझे लगता है कि पीटिशन कमेटी को रेफर किया जाना चाहिए। मैं इस विषय को पीटिशन कमेटी को रेफर करता हूं।

अल्पकालिक चर्चा

अध्यक्ष महोदय: अब सुश्री भावना गौड़, सी.एन.जी. फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने में तथा कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच करने के लिए गठित जांच आयोग की स्थिति के संबंध में चर्चा प्रारंभ करेंगी।

सुश्री भावना गौड़ : शुक्रिया, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सन 2002 में सी.एन.जी. फिटनेस घोटाला हुआ और उस समय दिल्ली के अंदर सरकार कांग्रेस की थी। मुख्यमंत्री, माननीया श्रीमती शीला दीक्षित जी थी। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय कि अगर विकास के नाम पर पूछा जाये कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया? तो शायद उनकी गिनती शुरू नहीं होती! लेकिन अगर घोटालों के नाम पर क्या किया तो शायद उनकी गिनती खत्म नहीं होती! अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार को, उसकी चुनी हुई मुख्यमंत्री को, और इस घोटाले को, अगर मेगा घोटाले का नाम दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये घोटाला कोई दो-चार करोड़ रुपये का नहीं था, पूरे सौ करोड़ रुपये का घोटाला और इस घोटाले के विस्तार में जायें तो आज जिस परिस्थिति में केस नजर आता है, उससे तो सीधा सीधा केवल एक ही बात कही जाती है कि एल.जी. साहब और शीला दीक्षित के बीच में जिस तरह घोटालों का महागठबंधन चला आ रहा है, यह अपने आप में बहुत मजबूती लिये हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि “जुर्म करना अपने आप में जितना पाप है, उतना ही अधिक जुर्म को झेलने वाला, वह स्वयं भी अपने आपमें पापी होता है, दोषी होता है”। अध्यक्ष महोदय, पता नहीं, मैंने तो सुना था कि हिन्दुस्तान में दोस्ती निभाई जाती है, उठा-बैठी निभाई जाती है, रिश्तेदारी निभाई जाती है, लेकिन एक ऐसी महिला, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं, अनेक घोटालों के अंदर लिप्त रही, उसके अनेक अधिकारी इन घोटालों के साक्षी हैं। लेकिन एक संवैधानिक तरीके से, एक गमिरमामयी पद के ऊपर बैठे हुए हमारे एल.जी. साहब, वो न जाने क्यों लगातार शीला

दीक्षित जी के घोटालों को, उनको बचाने का प्रयास करते रहे हैं और मुझे तो यह लगता है कि यह दाल ही काली नहीं हैं, इस दाल के अंदर कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दल ही कहीं न कहीं काली है ?

अध्यक्ष महोदय, सी.एन.जी. फिटनेस का काम जिस ई.एस.टी. प्रा0 लि0 कम्पनी को सौंपा गया था, इस कम्पनी का गठन केवल और केवल बेमानी के लिए किया गया था। जिस वक्त 2014 में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू था तथा केन्द्र में बी.जे.पी. की सरकार थी। बड़ा चीख-चीख कर कह रही थी कि सी.एन.जी. फिटनेस घोटाले की जांच होनी चाहिए और यह मेरे अपने शब्द नहीं हैं, हमारे बी.जे.पी. वाले साथी अभी इस सदन में मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो लगातार इस बात को कहते थे कि शीला दीक्षित सरकार चोर है। शीला दीक्षित सरकार केवल और केवल घोटालों की सरकार है। लेकिन देखिए केन्द्र में अभी आज उनकी सरकार है, लेकिन शायद उनकी तरफ से कभी इस तरह का प्रयास नहीं हुआ। कभी इन घोटालों की जांच हो सके, उस तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने और यहां विपक्ष में बैठे हुए नेता ने कभी भी उस दिशा की ओर एक कदम बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। आदणीय अध्यक्ष जी, आज मुझे समझ में नहीं आता कि वो सरकार कहां गयी ? उस सरकार में बैठे हुए लोग कहां गये ? डी.डी.सी.ए. के मुद्दे पर अपने लोगों को बचा रही है। ये बात तो साफ-साफ समझ में आती है, उनके अपने लोग हैं। बिना नाम लिए कहूंगी कौन-कौन लोग उसमें लिप्त हैं, उनको बचाना तो समझ में आता है। लेकिन उनके घोर विरोधी सरकार, कांग्रेस की सरकार, उनके घोर विरोधी रही शीला दीक्षित की सरकार, उनको और उनके साथियों को बचाने का काम बी.जे.पी. स्वयं

क्यों कर रही है, यह मुझे भी समझ में नहीं आता! ए.सी.बी., जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, उसे भी इन्होंने छीन लिया। यह सीधा-सीधा बी.जे.पी. की नीयत को दर्शाता है और अगर मैं किसी कवि की पंक्तियों में कहूं:

सहिष्णुता की सुगंध पर, इतनी घबराहट क्यों है?

यह मेरा स्वयं का प्रश्न है बी.जे.पी. वालों से

सहिष्णुता की सुगंध पर, इतनी घबराहट क्यों है?

विकास देखने से हुई इतनी छटपटाहट क्यों है?

माना, कि आपके हाथ में सत्ता नहीं रही,

जो किया, वह पाया, इसमें इतनी घबराहट क्यों है?

तो सीधी सीधी-सी बात है कि केन्द्र के अंदर बी.जे.पी. की सरकार, स्वयं प्रतिपक्ष के नेता... ए.सी.बी. को छीन लिया। इन घोटालों की जांच वह स्वयं करवा सकते हैं। लेकिन, क्योंकि नीयत में नहीं है और अध्यक्ष महोदय मैं पूछना चाहती कि अगर हमारे प्रतिपक्ष के साथी यहां पर होते, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं और बी.जे.पी. के पदाधिकारियों से पूछना चाहती हूं। मेरा एक एक प्रश्न है आप लोगों से कि अगर दिल्ली के अंदर लोग आपको चुन करके भेज देते और दिल्ली के अंदर बी.जे.पी. की सरकार होती तो आप क्या करते। यह सीधा-सीधा सा प्रश्न है मेरा बी.जे.पी. से है। तो क्या करते? शीला दीक्षित को बचाते? उसके घोटालों के ऊपर पर्दा डालते? मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय कि ऐसा कदापि नहीं होता और अगर नहीं करते

तो आज केन्द्र में बैठी हुई सरकार, अपनी सरकार के द्वारा सी.एन.जी. फिटनेस की घोटालों की वह जांच क्यों नहीं करवाते? अध्यक्ष महोदय, मैंने विशेष तौर पर हाउस में कभी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन कहावत है। और कहावत में ये शब्द है, किसी ने कहा है कि “ चोर चोर मौसेरे भाई ”। मुझे तो खुद भी संकोच भी होता है और शर्म भी आती है ये बात कहते हुए, लेकिन आपकी करनी, आपके कर्म, ये सब इस बात को चरितार्थ करती है कहीं न कहीं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, इस सरकार में बैठे हुए ईमानदार लोगों का आना और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली को बनायेंगे— इस एजेंडे पर हमारा काम करना, शायद बी.जे.पी. को कहीं बर्दाश्त नहीं होता। सीधा सीधा एल.जी. का समर्थन करना, सी.एन.जी. घोटाले की जांच को अवैध ठहराना, शायद इनकी घबराहट और हड़बड़ाहट का ही परिणाम है।

अध्यक्ष महोदय, इस पूरे के पूरे प्रकरण में मुझे लगता है कि एल.जी. साहब की भूमिका अपने आप में बहुत संदेहास्पद है। 2013 में दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारी एम.एस. उस्मानी और दो वरिष्ठ अधिकारी, उन तीनों लोगों ने इस बात को स्वयं कबूल किया कि कांग्रेस के बड़े अधिकारियों ने उनके दबाव में आ कर के इन तीनों अधिकारियों ने इस कांट्रैक्ट के उपर साईन किये थे और उसके बाद में एंटीकरप्शन ब्यूरो ने इन तीनों अधिकारियों के उपर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी जिसे डायरेक्टर आफ विजिलेंस ने मंजूरी प्रदान नहीं की। अध्यक्ष महोदय, अगस्त 2013 में एल.जी. साहब ने कहा कि ये डाक्यूमेंट अधूरे हैं, ये अपने आप में डॉक्यूमेंट सक्षम नहीं है। इसीलिये किसी भी आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो को कोई

भी अप्रूवल नहीं दी जा सकती। अक्टूबर 2013 में एंटी करप्शन ब्यूरो दुबारा एल.जी. साहब के पास गया उन्होंने कहा कि इस केस को रि-ओपन करें। तब एल.जी. साहब ने जस्टिस मुकुल मुदगिल करके एक कमेटी का गठन किया लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो को उन्होने ये नहीं कहा कि वे भी अपने बिहाफ पर जांच करें। अध्यक्ष महोदय, एल.जी. साहब ने स्वयं कमेटी बनाई है, स्वयं जांच कराई लेकिन वो जांच का जो परिणाम आया, कमेटी ने कहा कि सी.एन.जी. स्कैम फिटनैसस स्कैम कमेटी के अंदर बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी कमियां हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रश्न किया कि कंपनी के नाम का बदलाव क्यों किया गया? ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह था उसके बाद में इस कमेटी ने प्रश्न किया कि उस समय तत्कालीन वित्त विभाग, परिवहन विभाग, कानून विभाग और योजना विभाग ने इन सब प्रस्तावों की मंजूरी कैसे दे दी? ये प्रश्न चिन्ह लगाये जस्टिस मुकुल मुदगिल की कमेटी ने। अध्यक्ष महोदय, और देखिये कि जिस कमेटी का गठन स्वयं एल.जी. ने किया, उस कमेटी की रिपोर्ट को भी एल.जी. ने दरकिनार कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करिये भावना जी प्लीज।

सुश्री भावना गौड़ : अध्यक्ष महोदय, उल्लेखनीय है कि 11 अगस्त को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक अहम बैठक ली और उसमें ये फैसला किया कि 2002 के सी.एन.जी. फिटनैस घोटाले पर एक जांच आयोग गठित किया जायेगा और यह जांच आयोग हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस एम.एम. अग्रवाल की अध्यक्षता में काम करेगा। ये तय हुआ। यह आयोग दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और जरूरत पड़ने पर एल.जी. साहब को भी अपने पास में बुला करके उनसे बातचीत करेगा।

अध्यक्ष महोदय, एल.जी. साहब ने मुकेश मीणा जी को ए.सी.बी. का प्रमुख बना दिया। मुझे तो लगता है कि थानेदार के ऊपर थानेदार बिठा दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख मुकेश मीणा जी के पास जब इस कमेटी की रिपोर्ट पहुंची तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन है और ये आयोग जो जांच कर रहा है, वो पूरी तरह से अवैध है और सम्मन उन्हें मिला है। उन्होंने क्लीयर शब्दों में कहा कि इस सम्मन का जवाब नहीं दूंगा। अध्यक्ष महोदय, वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल जी ने पी.एम. मोदी साहब को एक पत्र लिखा और उन्हें कहा कि जनता के हित लिए कम से कम हम दोनों सरकारों को अपने अपने मतभेदों को भुला देना चाहिये। इसके अलावा आदरणीय उप मुख्य मंत्री जी ने 26 अगस्त को एक पत्र एल.जी. साहब को लिखा। जिसके अंदर ये लिखा कि दिल्ली सरकार की जवाब देही गृह मंत्रालय के प्रति नहीं है और गृह मंत्रालय को दिल्ली सरकार के आदेश को रद्द करने का कोई अधिकार ही नहीं है। केवल कोर्ट ही उस आरोप को रद्द कर सकता है और पत्र में यह साफ साफ कहा गया।

अध्यक्ष महोदय : भावना जी, अब कन्कलूड करिये प्लीज।

सुश्री भावना गौड़ : सर, बस दो मिनट और लूंगी मैं। अध्यक्ष महोदय, पत्र में यह साफ साफ कहा गया कि जांच आयोग अपना काम करता रहेगा। अब शीला दीक्षित सरकार और एल.जी. दोनों जांच के घेरे के अंदर हैं। शीला गर्वनमेंट के दौरान घोटाला हुआ। शीला दीक्षित के करीबी अफसरों के चलते, इस घोटाले के चलते, उनको लगातार बचाने का प्रयास किया

जा रहा है। एल.जी. साहब इस जांच को आगे बढ़ने देते। सर, मैं दो मिनट कहकर अपनी बात को पूरी करूंगी। ये बात सी.एन.जी. घोटाले से संबंधित मैंने सदन के समक्ष रखी लेकिन अब दो बात मैं जरूर एल.जी. साहब से करूंगी। देखिये, एल.जी. साहब दिल्ली राज्य के प्रमुख हैं और एक उच्च संवैधानिक पद के पर वो आसीन हैं। इसलिये ये महत्वपूर्ण है कि संवैधानिक कार्यों और अपने कर्तव्यों को वो भली भांति से वो निभाना सीखें और मिस्टर एल.जी. साहब इस देश का कर्मचारी हो या अधिकारी, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, पार्षद हो या विधायक हो या वो चुना हुआ पी.एम. हो या वो आपकी तरह से गरिमामयी पद पर बैठा हुआ एल.जी. हो, हम सब जनता के सेवक हैं, हम सिर्फ यहां जनता की सेवा करने के लिये आये हैं जिसे शायद हमारे एल.जी. साहब भूल गये हैं और मैं कहूंगी एल.जी. साहब को कि आप स्वयं भी जनता के सेवक हैं लेकिन राजनीतिज्ञों की तरह ये गोल मोल भाषा का इस्तेमाल करना आप छोड़ दीजिये। राजनीतिज्ञ मत बनिये। सही मायने में एक सेवक बनिये। दिल्ली की जनता जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी सरकार के कामों में बाधा बन रहे हैं, दिल्ली की ये जनता आपको कत्तई माफ करने वाली नहीं है।

अध्यक्ष जी, यहां एक पंक्ति और कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगी। अध्यक्ष जी, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में आपस में टकराव होता है, जहां उनका संघर्ष होता है, वहां एल.जी. साहब को एक निष्पक्ष और तटस्थ एंपायर की तरह से अपनी भूमिका को निभाना चाहिए और बहुत कुछ अच्छा हो सकता है बशर्ते कि वो अपनी कार्यशैली को बदल लें और मैं तो एल.जी. साहब को एक ही संदेशा इस सदन के माध्यम से

देना चाहूंगी। दिल्ली में एक करोड़ अस्सी लाख लोग रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक गरिमामयी पद पर एल.जी. साहब विराजमान हैं। ये पिछले जन्मों के कर्मों का प्रारब्ध है, जिसको वो भोग रहे हैं लेकिन इस जन्म जो सब कुछ कर रहे हैं, ईमानदारी का साथ नहीं दे रहे, बेईमानों का साथ दे रहे हैं, घोटालों की सरकारों को बचा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि इस जन्म में जो वो कर रहे हैं उसको आने वाले जन्म में किस रूप में भुगतेंगे? बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। सौरभ भारद्वाज जी। संक्षेप में सौरभ जी, प्लीज।

श्री सौरभ भारद्वाज: बिल्कुल संक्षेप में अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ये बताना चाहता था, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं सी.एन.जी. फिटनेस स्कैम का।

अध्यक्ष महोदय, 2002 के अंदर जब सारे कमर्शियल व्हीकल्स को सी.एन.जी. के अंदर कंवर्ट किया गया तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ कि कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर सी.एन.जी. ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो, और हर कमर्शियल व्हीकल्स को साल में एक बार फिटनेस टेस्ट के लिए भेजा जाता है जिसके अंदर उसकी फिटनेस टेस्टिंग की जाती है और उस वक्त दिल्ली सरकार ने, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, इएसपीयूएसए लिमिटेड करके एक अमेरिका की कंपनी थी, जिसको कि उन्होंने कंसलटैण्ट बनाया कि आप हमें बताए कि किस तरह से सी.एन.जी. की गाड़ियों का फिटनेस टैस्ट किया जाएगा तो जो भी फाइल नोटिंग है, जो भी केबिनेट

नोट है, पूरा का पूरा जो भी फाइल्स अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में घूमी और जो टेंडर दिया गया, वो इएसपीयूएसस लिमिटेड नाम की कंपनी को ठेका दिया गया।

2006 में किसी ने आर.टी.आई. लगाकर पूछा कि जो कंपनी बुराड़ी के अंदर सी.एन.जी. फिटनेस का काम कर रही है, क्या ये कंपनी इएसपीयूएसए लिमिटेड ही है और उसका जवाब आया जी नहीं, ये इएसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और 2012 में पता चला कि इएसपीयूएसए लिमिटेड जिस कंपनी को कागजों में ठेके दिए गए थे वो, कंपनी काम नहीं कर रही है मगर उसी के नाम से मिलती-जुलती इएसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ये ठेका दिया गया है और इएसपीयूएसए का और इएसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का कोई लेना-देना नहीं है एक दूसरे से। ये एक फर्जी कंपनी है जो बनाई गई है।

2012 के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली की एसीबी ने इसके ऊपर केस रजिस्टर्ड किया, कई अधिकारियों को एरेस्ट किया और उन्होंने अपनी इंवैस्टीगेशन करने के बाद 2013 के अंदर जब हमारे एल.जी. नजीब जंग जी थे, उनसे सैंक्शन मांगी कि इन अधिकारियों के ऊपर हम एक मुकदमा दायर करना चाहते हैं, इनको चार्जशीट करना चाहते हैं तो इसकी इजाजत दी जाए। एल.जी. साहब ने 2013 के अंदर उस फाइल के अंदर नोटिंग दी कि मैंने इन कागजों को बहुत केयरफुली एग्जामिन किया है और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इसके अंदर प्रीवेंशन आफ करप्शन एक्ट्स के तहत कोई मुकदमा नहीं बनता और जो भी अधिकारियों का नाम आप ले

रहे हैं, मैं उनको क्लीन चिट देता हूँ। ये 2013 का मामला है। खास बात ये रही कि 2014 के अंदर इसकी शिकायत सेंट्रल ब्यूरो आफ इन्वैस्टिगेशन को की गई। सी.बी.आई. ने इसकी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी 2014 जनवरी में शुरू की। उस दौरान हमारी सरकार भी दिल्ली के अंदर पहली बार बनी। हमारी सरकार की तरफ से भी पत्र लिखा गया कि इसके अंदर दुबारा से इस केस को खोला जाए। सी.बी.आई. की प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के अंदर पता चला कि जो कागज एंटी करप्शन ब्रांच ने एल.जी. साहब को दिए थे और जिन कागजों के बेसिस पर एल.जी. साहब ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दी थी, वो कागज अलग-अलग थे। मतलब वो कागज जिनके बेसिस पर एल.जी. साहब ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई केस बनता है, एंटी करप्शन ब्रांच का कहना है कि हमने ये कागज कभी एल.जी. को दिए ही नहीं। हमने ये कागज कभी भेजे ही नहीं। एल.जी. के पास वो कागज कहां से आए? इस बात का जवाब एल.जी. साहब को देना चाहिए। इसके बावजूद सी.बी.आई. ने अपनी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के अंदर कंक्लूड करते हुए लिखा कि एल.जी. को ये पावर ही नहीं थी कि वो सैंक्शन दे या ना दे। ये पावर सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स को थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को थी। तो एल.जी. को ना तो सैंक्शन देने की, ना रोकने की पावर थी। एल.जी. ने जिन कागजों के बेसिस पर कह दिया कि इसके अंदर कोई घोटाला नहीं हुआ, वो ए.सी.बी. ने एल.जी. को कभी भेजे ही नहीं। तो इन सब चीजों का जवाब हमारे माननीय एल.जी. को देना चाहिए।

उसके बाद क्योंकि सैंक्शन एल.जी. ने दी नहीं, एसीबी ने आगे मुकदमा किया नहीं, सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी की रिपोर्ट दी, उसके ऊपर

सेंट्रल गर्वमेंट ने आगे बात नहीं बढ़ाई तो जब हमारी दिल्ली की सरकार दुबारा बनी, हमने अगस्त 2015 के अंदर एक इंडीपेंडेंट कमीशन आफ इंक्वायरी बनाई। रिटायर्ड जस्टिस एस.एन.अग्रवाल को उसका चैयरमैन बनाया गया और खास बात ये रही कि उसके अंदर भी केंद्र सरकार ने ये एतराज जताया कि ऐसी कोई भी कमीशन आफ इंक्वायरी गठित करने का दिल्ली सरकार को कोई अख्तियार नहीं है। यहां तक कि जो आरोपी थे, उसके अंदर एक एम.एस.उस्मानी साहब थे जो काफी समय तक जेल में भी रहे, उन्होंने भी हाई कोर्ट के अंदर ये पेटिशन दायर किया कि दिल्ली सरकार को ऐसा कमीशन आफ इंक्वायरी बनाने का कोई हक नहीं है। कहने का मतलब ये है जो लोग गिरफ्तार हुए, एक्यूज हुए, उनको भी पूरा भरोसा एल.जी. साहब के ऊपर है या सेंट्रल गर्वमेंट के ऊपर है। वो भी नहीं चाहते कि दिल्ली सरकार की कोई जांच इसके अंदर गठित कि जाए और अभी-अभी कुछ दिनों पहले 10 तारीख को जो एस.एन.अग्रवाल कमीशन आफ इंक्वायरी है, उन्होंने एल.जी. साहब को दुबारा से ये पत्र लिखा है और ये कहा है उनको कि आप ए.सी.बी. को ये डारेक्शंस दें कि कमीशन आफ इंक्वायरी को जो-जो दस्तावेज चाहिए, सी.एन.जी. फिटनेस स्कैम के लिए वो ए.सी.बी. दिल्ली सरकार को या कमीशन आफ इंक्वायरी को मुहैया कराएं और अभी तक एल.जी. साहब का उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया है तो आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से मैं बात सबके बीच में रखना चाहता हूं कि एल.जी. साहब को ये निर्देश दिया जाए यहां से कि वो ए.सी.बी. को कहें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स कमीशन आफ इंक्वायरी को चाहिए, वो मुहैया कराएं और एल.जी. साहब खुद कमीशन आफ इंक्वायरी के साथ कोऑपरेट करे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: संजीव झा जी।

श्री संजीव झा: बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वैसे काफी डिटेल्ड जानकारी हमारे दोनों माननीय सदस्यों ने रखी। सौरभ जी ने काफी डिटेल में बताया कि ये करप्शन क्या था और ये कैसे कैसे हुआ। जब से मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, मेरे मन में ये सवाल थे कि एल.जी. साहब की मंशा क्या थी। 2012 में जब ये संज्ञान में आया, ए.सी.बी. के संज्ञान में आया और जब ए.सी.बी. ने एल.जी. महोदय से इस पर कार्रवाई करने को, प्रोसीक्यूट करने के लिए परमिशन के लिए गए तो केवल परमीशन ही डिनाई नहीं किया, बल्कि जितने आरोपी थे, उनको भी बरी कर दिया। उसके बाद लगातार जब ए.सी.बी. का प्रेशर बनता रहा, आनन-फानन में मुदगल कमेटी भी बनी, उसकी भी रिपोर्ट ठीक नहीं आई। फिर सी.बी.आई. के संज्ञान में बातें आईं। सी.बी.आई. ने कहा कि इसमें कुछ अधिकारियों पर केस बनता है तब तक क्योंकि एल.जी. का रूल था यहां, कोई सरकार नहीं थी तो डैडलॉक पड़ा हुआ था। उसके बाद जब हमारी सरकार आई और हमारी सरकार ने जब ये जस्टिस अग्रवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई तो दौड़े-दौड़े एल.जी. साहब पहुंच गए एम.एच.ए. और एम.एच.ए. ने इसको ऐब-इनिशियो, नॅल एंड वाइड जो होता है, वो कर दिया इनको। उसके बाद बार-बार जस्टिस अग्रवाल की अध्यक्षता वाली कमेटी बार-बार उनको लिखती रही कोपरेट करने के लिए, वो कोपरेट नहीं करते रहे। तो मैं ये सोच रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे, उनकी मंशा क्या थी, वो किसको बचाना चाह रहे थे ? एक तरफ तो मैं देख रहा हूँ पिछले एक साल से जो हमारी सरकार में हम लोग जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए

पॉलिसी लाते हैं, काम करते हैं, उसको तो रोकना चाहते हैं। किसानों को लेकर हमारी सरकार ने कहा कि हम मुआवजा देंगे, एल.जी. साहब ने रोक दिया। अभी जन-सुविधा के लिए ऐप बेस बसेज की बातें थी, तो उन्होंने उसको रोक दिया। अभी हमारे साथी कह रहे थे ए.सी.बी., उसमें प्रिलमिनरी इन्क्वायरी इश्यू हो गया तो मेरा ये कहना है कि जब हम जनता की भलाई की बात करते हैं, उसको तो रोक देते हैं वो लेकिन कोई भ्रष्ट अधिकारी करप्शन करता है तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं वो, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। मैं धन्यवाद करता हूँ अध्यक्ष महोदय, आपका कि आज से तीन दिन पहले एक मामले में मेरे खिलाफ भी, राशन माफिया को संरक्षण उन्होंने दिया। उस पर सदन में चर्चा भी हुई। आपने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, आपने एक कमेटी बनाई और कमेटी उसकी जांच करेगी।

मैं ये मानता हूँ कि हम सब लोग जो सदन में यहां बैठे हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि दिल्ली में जनता की भलाई हो, दिल्ली में भ्रष्टाचार कम हो और ऐसे में अगर मशीनरी फेल हो जाएगी तो सदन को कोई न कोई ऐतिहासिक कदम उठाना पड़ेगा और आपने आज से तीन दिन पहले जो कमेटी गठन करके आपने जो कदम उठया है, वो सराहनीय है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से सुबह में चर्चा हुई डी.डी.सी.ए. के स्कैम को लेकर के, उसमें भी कमेटी का गठन हो रहा है, इसी तरह से मुझे लगता है आज जो सी.एन.जी. फिटनेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा काफी गहन हो गई है। मैं बार-बार उस डिटेल में जाना नहीं

चाहता, लेकिन इसमें भी कमेटी का गठन हो, सारे मुद्दे को जांचा जाए, परखा जाए, मैंने आज से तीन दिन पहले भी जब हमारे खिलाफ एल.जी. महोदय ने एफ.आई.आर. कराया था और राशन माफिया को बचाया था, तब भी हमने कहा था कि सदन को ऐतिहासिक कदम उठाना पड़ेगा। दिल्ली की भलाई के लिये हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, हम सब केवल विधायिकी एन्जॉए करने के लिए, सरकार एंज्वॉए करने के लिए नहीं आये हैं। मैं ये मानता हूँ एक धर्म युद्ध लड़ने आए हैं और ये युद्ध तब तक जारी रहेगा, जब तक दिल्ली की जनता को, जिसके लिए हम लोग आए हैं, उसको उसका हक ना मिले, यही आपसे निवेदन है कि इंकवायरी कमेटी का इसमें गठन हो, इसकी जांच हो और इसमें चाहे किसी भी पद पर कोई भी संवैधानिक व्यक्ति क्यों न हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसकी सजा मिले, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री सत्येन्द्र जैन जी।

परिवहन मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कई बार बताया है, पिछली बार जब हमारी सरकार बनी थी, 28 दिसम्बर, 2013 उसके चंद ही दिनों के अंदर हमने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ... और जो ये घोटाला है, इसके खिलाफ ए.सी.बी. में शिकायत की थी, 49 डेज के बाद हमारी सरकार नहीं रही और एक साल तक के लिए उन सारी फाइलों को ताला बंद करके रख दिया गया। हमारी सरकार आई वापस, हमने वो अलमारी खोली, फाइलें बाहर निकाली, इंकवायरी फिर से स्टार्ट की, जांच स्टार्ट की सब जगह, इन्होंने 6 जून,

2015 को ए.सी.बी. के ऊपर जबरन कब्जा कर लिया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी क्या चीज है कि जितने भी नेता हैं, सब एक ही बात कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे परन्तु करते नहीं हैं। ऐसा क्या कारण है कि वो बार-बार एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं कि हमें सत्ता में आने दीजिए, हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। जैसे अब विजेन्द्र गुप्ता को ही ले लीजिएगा। वेल में कूद के आत्महत्या करने को तैयार थे कि इस घोटाले की जांच कराइएगा, जब उन्हें पता लगा कि ये बात तो आपके ऊपर ही आ गई है, अब उनको सांप सूंघ गया। अब वो छोड़ के भाग गए। इस देश के अंदर पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से ले के दक्षिण तक सबसे ज्यादा जो ओमनी प्रेजेंट है, वो है भ्रष्टाचार। इस देश के दिल में भ्रष्टाचार पलता है। अपने यहां असम में चले जाइये। वहां भी पटवारी को पैसा देना पड़ता है। राजस्थान में चले जाइये, वहां भी पैसा देना पड़ता है। आप कश्मीर में जाइयेगा, आप तमिलनाडु में जाइएगा जिस काम के पैसे जहां लगते हैं, हर जगह पैसे देने पड़ते हैं। भ्रष्टाचार ऐज इट इज है। पिछले इतने सालों से हर इस देश का आम आदमी इन नेताओं की ये बात सुन सुनकर कि हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है, हमें भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए, सुन-सुनके, सुन-सुनके इनके बहकावे में आता रहा कि पता नहीं किसी दिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। पर लगता नहीं है। क्यों ? क्योंकि भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट व्यापारियों का गठजोड़ है। ये तीन चीजें हैं, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट व्यापारी इन तीनों ने गठजोड़ बनाया हुआ है इस देश को लूटने के लिए। तीनों तरह के

लोग मिल के आपस में गठजोड़ बनाते हैं जो कि इस प्रेजेंट, जो माननीय सदस्यों ने उठाया है मुद्दा, तीनों तरह के लोग इसमें शामिल हैं, जो व्यापारी हैं, बड़े-बड़े अधिकारी हैं और बड़े-बड़े नेता हैं, तीनों का गठजोड़ इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है। और नेता लोग क्या कहते हैं "you scratch my back and I will scratch your back". सिर्फ बातें करते रहेंगे, जांच नहीं होने देंगे, काम नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। कहते हैं फिक्र करो और फिक्र का जिक्र करो, काम कुछ मत करो। दिल्ली सरकार चाहती है इस घोटाले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, पूरी तह में जाना चाहिए और जो भी दोषी हैं, चाहे वो भ्रष्ट अधिकारी हों, चाहे वो भ्रष्ट व्यापारी हों, चाहे वो भ्रष्ट नेता हों कितने ही बड़े पदों पर हों किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: मुझे माननीय सदस्य श्री दिनेश मोहनिया जी से एक प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त हुआ है, सदस्यों द्वारा सदन में व्यक्त की गई भावनाओं के दृष्टिगत मैंने इस नोटिस को स्वीकार किया है और श्री दिनेश मोहनिया जी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेंगे।

श्री दिनेश मोहनिया: Sir, I may please be permitted to seek the leave of the House to move the motion.

अध्यक्ष महोदय: यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता;

प्रस्ताव पारित हुआ

अध्यक्ष महोदय: अब दिनेश मोहनिया जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री दिनेश मोहनिया: Thank you, Sir. "This House agrees that a Special Inquiry Committee be constituted to probe alleged irregularities in award of a contract to M/s. ESP India (P) Ltd. by the Transport Department of the Government of NCT of Delhi.

That the Committee shall consist of the following members:

1. Sh. Nitin Tyagi
2. Sh. Som Nath Bharti
3. Sh. Akhilesh Pati Tripathi
4. Ms. Sarita Singh
5. Sh. Jarnail Singh (Rajouri Garden)
6. Sh. Ajesh Yadav
7. Sh. Kailash Gehlot
8. Sh. Rajesh Gupta; and
9. Sh. Jagdish Pradhan/Sh. Rajendera Pal Gautam

जगदीश प्रधान जी ने शायद विदग्ध किया है तो उनकी जगह में श्री राजेन्द्र पाल गौतम।

अध्यक्ष महोदय: आप दोनों नाम बोल दीजिए मैं बात कर लूंगा।
वो एग्री करेंगे तो ठीक है।

श्री दिनेश मोहनिया: That the hon'ble Speaker shall appoint one of the members of the Committee as its Chairperson.

That the terms of reference of this Committee shall be:

1. To look into all Aspects of award of contract by the Transport Department, Govt. of NCT of Delhi for inspection and clarification of commercial vehicles for fitness to M/s. ESP India(P) Ltd. and to point out irregularities, ifAny.

2. To fix responsibility for irregularities, if any.

3. To look into the circumstances surrounding denial of sanction for prosecuting persons perceived to be responsible for the irregularities, if it is now found that the case for prosecution is actually made out against them.

4. To recommend action against the persons responsible for these irregularities, if any, and to suggest future course of action in this case.

5. To suggest remedial action at institution level to avoid such irregularities, if any, in future, and

6. to suggest measures for recovery of amount illegally accrued by the vendor by way of this contract, if any.

That the Committee is free to decide its own procedure to fulfil the mandate given to it by the House

That the Committee is free to enlarge the scope of investigation, if needed, subject to approval of the hon'ble Speaker.

That the Committee shall exercise all powers and immunities available to the existing committees of the legislative assembly; and

that the Committee shall submit its report to the hon'ble Speaker before the commencement of the Sixth Session of the Sixth Legislative Assembly. Thank you.

अध्यक्ष महोदय: अब दिनेश मोहनिया जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहे;

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता;

प्रस्ताव पारित हुआ

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो छोटी सी बातें रखनी हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तो आज सौरभ जी ने जो सबह मूव किया था, आपकी जो परमिशन मांगी थी, उस पर आपकी रूलिंग नहीं आई है। जो प्रिविलेज कमेटी को मैटर रैफर करने का जो मुद्दा उठाया था।

अध्यक्ष महोदय: मैंने रूलिंग दे दी उस पर। सौरभ भारद्वाज के प्रस्ताव पर पहले ही रूलिंग पढ़ी है। मैंने रूलिंग दिया है। पेटिशन कमेटी को नहीं

दे रहे हैं। वो रूलिंग दे दिया था। नहीं अब बैठिए प्लीज। एक महत्वपूर्ण जानकारी...

श्री सोमनाथ भारती : एक दूसरी बात, जो मैंने पीछे कही थी कि जितने भी डाक्यूमेंट्स टेबल पर प्लेस किये जाते हैं, they should be made available only in the preferred language of the concerned MLA. मुझे लगता है कि अभी भी अब ये चार्ट मुझे मिला है – दो हिन्दी का दो इंगलिश का environmental concern को देखते हुए उस पर रूलिंग आपकी आनी चाहिए या तो वो मुद्दा जल्द से जल्द फैसला किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं कम्प्यूराइज्ड पेपर लैस के लिए अभी तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मैं माननीय मंत्री से कई बार बात चुका। अभी तक हमको इजाजत नहीं मिली है।

श्री सोमनाथ भारती : जब तक आपको इजाजत नहीं मिलती, तब तक उनसे पूछ लिया जाए कि उनका preferred language क्या है। इंगलिश, हिन्दी और उसके अनुसार उनको दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : चलिए, वो कर लेते हैं। वो इस बार व्यवस्था करवा देंगे। चलिए अब जरा प्लीज।

सुश्री भावना गौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट लेना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय : भावना जी, ऐसे चल नहीं पाएगा। प्लीज बैठिए अब। अब मैं इजाजत नहीं दे रहा हूँ। प्लीज बैठिए। भावना जी प्लीज बैठ जाइए।

सुश्री भावना गौड़ : बी.जे.पी. के कुछ साथियों ने 2013 के अंदर मुझ पर एक झूठा केस डाला था अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : भावना जी।

सुश्री भावना गौड़ : मुझ पर एक झूठा केस डाला था। न्यायालय की तरफ से जो कार्रवाई हुई है, मैं सदन को उसकी जानकारी मात्र देना चाह रही हूँ। 2013 में कुछ ऐसी मानसिकता के लोग, जो सही मायने में न तो हमें बर्दाश्त कर पाए, न हमारी ईमानदारी को बर्दाश्त कर पाए और न हमारे काम को बर्दाश्त कर पाए। ऐसे कुछ लोगों के समूह ने मिलकर के एक झूठा केस मेरे खिलाफ डाला। लगातार टीवी चैनल्स के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और हमारे न्यूज पेपर के माध्यम से मुझे एक कटघरे के तहत खड़ा किया गया और मुझ से बार-बार ये सवाल किया गया कि डिग्रियां फर्जी है। अध्यक्ष महोदय, चैनल के माध्यम से मैंने लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि मैं स्वयं में बी.ए बी.एड हूँ और मेरी जितनी भी डिग्रियां हैं, वो सब जाली डिग्रियां नहीं हैं। वो सब ओरिजनल डिग्रियां हैं क्योंकि मैंने पढाई की है। युनिवर्सिटी ने ससम्मान मुझे वे डिग्रियां प्रदान की हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे मीडिया चैनल वालों ने मुद्दा बनाया। लगातार मुझ से इस बात पर प्रश्न किये जाने लगे कि क्या सच में आपकी डिग्रिया फर्जी हैं और आखिरकार इन सब चीजों से परेशान होकर मुझे अदालत का सहारा लेना पड़ा। हम लोग कोर्ट गए और कोर्ट में सेशन जज विवेक दुल ने मेरी सारी डिग्रियों को ओरिजनल पाया। मुझे कोर्ट से ससम्मान उन्होंने बरी किया।। अध्यक्ष महोदय जज साहब ने अपने आर्डर में लिखा

कि आपके ऊपर किसी तरह के कोई चार्ज नहीं बनते। आपके ऊपर किसी तरह का कोई केस फिट नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगी बी.जे.पी. और कांग्रेस के बड़े-बड़े लोगों ने टीवी चनेल्स पर बैठकर मेरे खिलाफ डिबेट्स की। रमेश बिधुडी जो बाहरी दिल्ली के एम.पी. हैं, उन्होंने तो शायद उनको बातचीत करना नहीं आता। लेकिन दूसरों की ईमानदारी पर कैसे अगुली उठाते हैं, यह खूब अच्छे तरीके से वो जानते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से उनको चैलेन्ज करना चाहूंगी कि हमेशा ज्यादा ईमानदारी की बात करते हैं। विशेष तौर पर मैं अपनी बात करूंगी कि मैं एक ऐसी महिला हूँ जिसने अपना पूरा जीवन समाज के लिए अर्पित किया है। आप हमारी ईमानदारी की बात करते हैं। मेरी ईमानदारी के ऊपर पर तो सही मायने में कोर्ट ने ठप्पा लगाया है। जज साहब ने मुझे ससम्मान वहां से बरी किया है। इसकी जानकारी मैं पूरे सदन को देना चाहती हूँ। क्योंकि ईमानदारी सदैव जिंदा रहती है और हमेशा सत्यता की ही जीत होती है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री सोमनाथ भारती : भावना जी को बहुत-बहुत बधाई ओर मैं आशा करता हूँ कि जो और शख्स हैं हिन्दुस्तान में माननीय मोदी जी और स्मृति ईरानी जी, उनकी डिग्रियों की जांच हो जाए। जिस तरह से हमारी भावना गौड़ बहन बाहर आई है, उस तरह से उनको आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, बैठिए। मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली विधान सभा अपनी एक व्याख्यान श्रृंखला

प्रारम्भ करने जा रही है। यह भारत के विधान मंडलीय इतिहास में इस तरह का पहला प्रयोग है। "दिल्ली विधान सभा व्याख्यान श्रृंखला" Delhi Assembly Lecture Series का उद्देश्य विधायकों को विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना है ताकि सदन के अंदर तथा बाहर उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके और वे विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों के संबंध में गहन जानकारी प्राप्त कर सकें तथा इसका उपयोग विधायक के रूप में अपने कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान कर सकें। श्रृंखला का पहला व्याख्यान दिनांक 27 जून 2016 को होगा। मैगासेसे पुरस्कार विजेता श्री पी. साई नाथ भारत में सूखे की स्थिति विषय पर व्याख्यान देंगे। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल श्रृंखला का उद्घाटन करेंगे। श्री साई नाथ सुप्रसिद्ध पत्रकार हैं तथा ग्रामीण मुद्दों और विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर निरंतर शोध करते रहे हैं। वे टाइम्स आफ इंडिया समाचार पत्र के फ़ैलो रहे हैं तथा दी हिन्दू के Rural affairs Editor रहे हैं। मैं सभी विधायकों को दिनांक 27 जून, 2016 को अपराह्न 2.30 बजे CM Conference Hall दिल्ली विधान सभा में सादर आमंत्रित करता हूँ।

इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित करूँ, स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का निर्वाह करते हुए सदन के नेता एवं माननीय मुख्य मंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया, सभी मंत्रीगण, श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इसके अलावा विधान सभा सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव व उनके समस्त अधिकारियों,

दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सी.आर.पी.एफ.बटालियन-55 तथा लोक निर्माण विभाग के Civil, Electrical o Horticultural Division, अग्निशमन विभाग आदि द्वारा किये गये सराहनीय कार्य के लिये भी उनका धन्यवाद करता हूं। विधान सभा की कार्यवाही को मीडिया के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्र गान के लिए खड़े हों।

(राष्ट्रीय गान जन-गण-मन)

(सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई)